विषय-सूची

अध्याय — पृष्ठ

राजा और रानी

अध्याय २

संयुक्त ईस्ट इण्डिया कम्पनी और १७ वीं शताब्दी का व्यापारिक युद्ध

ईस्ट इण्डिया कम्पनी की उन्नति—अँगरेज़ धीरे-धीरे अपनी उन्नति करने में लगे हुए थे। सन् १६०८ ई० में कप्तान हाकिन्स सूरत पहुँचा और जहाँगीर बादशाह के दर्बार में गया। वहाँ उसका सत्कार हुआ और सूरत में कोठी बनाने की आज्ञा मिल गई, परन्तु पुर्तगालियों की चाल से यह आज्ञा पीछे से रद्द कर दी गई। सन् १६१५ ई० में टामस रो हिन्दुस्तान आया। उसने अपनी बुद्धिमानी से कम्पनी के व्यापार की दशा सुधारने के लिए जहाँगीर से फरमान हासिल कर लिया। सूरत में कम्पनी ने अब अपनी कोठी बना ली। सन् १६३२ में शाहजहाँ ने नाराज़ होकर पुर्तगालियों को बङ्गाल से निकाल दिया। अँगरेज़ों को मौका मिला। सन् १६३४ ई० में उन्होंने हुगली में अपनी कोठी बनाई। एक बार जब बादशाह की बेटी जहाँआरा बीमार हुई तब अँगरेज़ डाक्टर बाउटन ने उसका इलाज किया और उसे अच्छा कर दिया। इस बात से प्रसन्न होकर बादशाह ने अँगरेज़ी कम्पनी को बङ्गाल में बिना महसूल तिजारत करने और कोठियाँ खोलने की आज्ञा दे दी। सन् १६४० ई० में मदरास का नाम पड़ा और वहाँ सेण्ट जार्ज नामक किला बनाया गया। परन्तु [illegible] में [illegible]
[illegible]

सिराजुद्दौला

लार्ड क्लाइव

मु ग ल
रा ज्य
अरब सागर
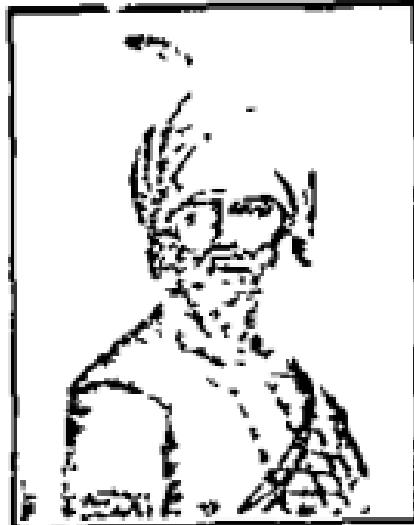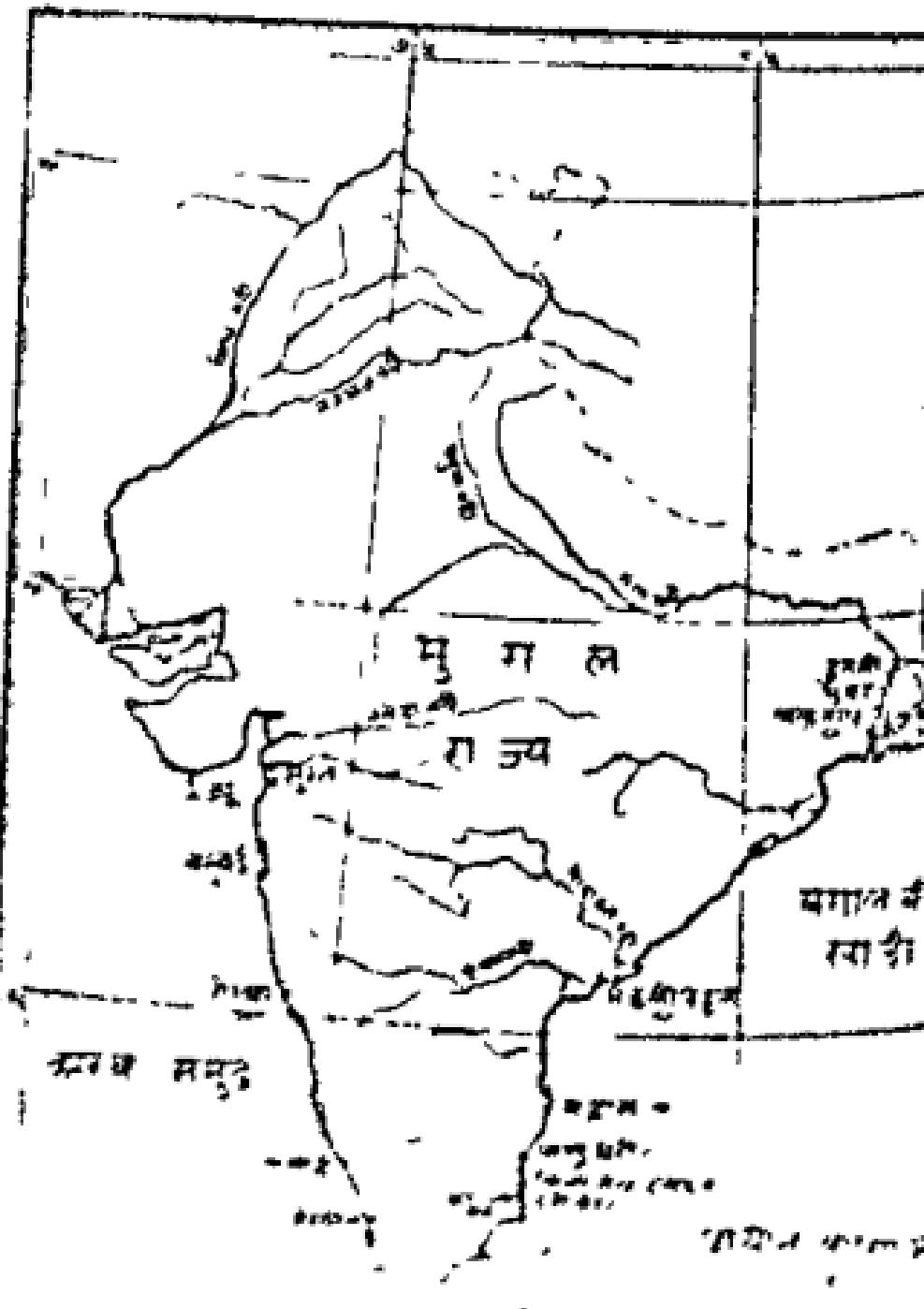
ई० में पूर्वीय देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक कम्पनी स्थापित हुई परन्तु वह थोड़े दिन बाद बैठ गई। इसके बाद सन् १६६४ ई० में एक दूसरी कम्पनी स्थापित हुई। इस कम्पनी ने शीघ्र ही हिन्दुस्तान में कोठी बनाना आरम्भ कर दिया। सन् १६७४ ई० में फ्रांसिस मार्टिन ने पाण्डुचेरी की नींव डाली और चन्द्रनगर में एक कोठी बनवाई। इतने में हालेंडवालों से लड़ाई छिड़ गई। उन्होंने पाण्डुचेरी को जीत लिया परन्तु सन्धि होने पर फिर लौटा दिया। अँगरेज़ी ईस्ट इण्डिया कम्पनी से फ्रांस की कम्पनी का युद्ध होना ही था। सन् १७४१ ई० से, जब डूप्ले पाण्डुचेरी का हाकिम हुआ, यह पारस्परिक युद्ध प्रचण्ड रूप से होने लगा। इसका उल्लेख आगे किया जायगा।

अँगरेज़ों की व्यापारिक विजय—हिन्दुस्तान के व्यापार से लाभ उठाने की सबसे अधिक कोशिश पुर्तगाल, फ्रांस और इंगलैंड—इन्हीं तीन देशों ने की। पुर्तगालवालों ने राजनीति और धर्म को मिलाकर बड़ी गड़बड़ की और हिन्दुस्तान के निवासियों को अपना शत्रु बना लिया। हालेंड के लोग यह [illegible]

[illegible]

लिया। परन्तु जब फ्रांसीसी उपनिवेशों का हाकिम ड्यूमा हुआ तब उसने नई नीति से काम लिया। उसने सोचा कि हिन्दुस्तान में फ्रांस का प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। दक्षिण में मुग़ल राज्य के दौर्बल्य के कारण अँगरेज़ों और फ्रांसीसियों ने फ़ौजें रख छोड़ी थीं। ऐसी स्थिति में उन्हें परस्पर युद्ध करने का मौक़ा मिला।

डूप्ले—जब डूप्ले पाण्डुचेरी का हाकिम हुआ तब उसने ड्यूमा की नीति का प्रयोग किया। उसने यह समझ लिया कि हिन्दुस्तान में फ्रांस का आधिपत्य स्थापित करना कठिन न होगा। वह अँगरेज़ हाकिमों से अधिक बुद्धिमान् और दूर-दर्शी था और हिन्दुस्तान की दशा को अच्छी तरह जानता था क्योंकि उसे यहाँ रहते बहुत दिन हो गये थे।

पहला युद्ध—सन् १७४४ ई० में यूरोप में इँगलैंड और फ्रांस के बीच लड़ाई छिड़ गई। इस समय से यह एक रिवाज सा हो गया कि जब यूरोप में दोनों देशों के बीच लड़ाई हो तब जहाँ कहीं भी अँगरेज़ और फ्रांसीसी होते वहीं उनमें लड़ाई होने लगती। सन् १७४६ ई० में एक जहाज़ी बेड़ा फ्रांस से आया और उसने मदरास पर चढ़ाई की। मदरास के हाकिम ने कुछ समय तक तो सामना किया परन्तु अन्त में वह हार गया। मदरास को जीत लेने के बाद फ्रांसीसियों ने सेंट डेविड के किले को, जो पाण्डुचेरी से थोड़ी दूर पर था और जहाँ क्लाइव और कम्पनी के थोड़े से नौकर भागकर जा छिपे थे लेना चाहा। परन्तु इतने में [illegible] से कुछ सेना आ गई। उसकी मदद से अँगरेज़ी सेना ने पाण्डुचेरी को घेर लिया। [illegible] ने [illegible] सेना लेकर चढ़ाई की। [illegible] शाम में सुलह [illegible] अधिक [illegible] उसने अँगरेज़ी फ़ौज को [illegible] कर [illegible]।

म
र
ह
ठा
निजाम का राज्य
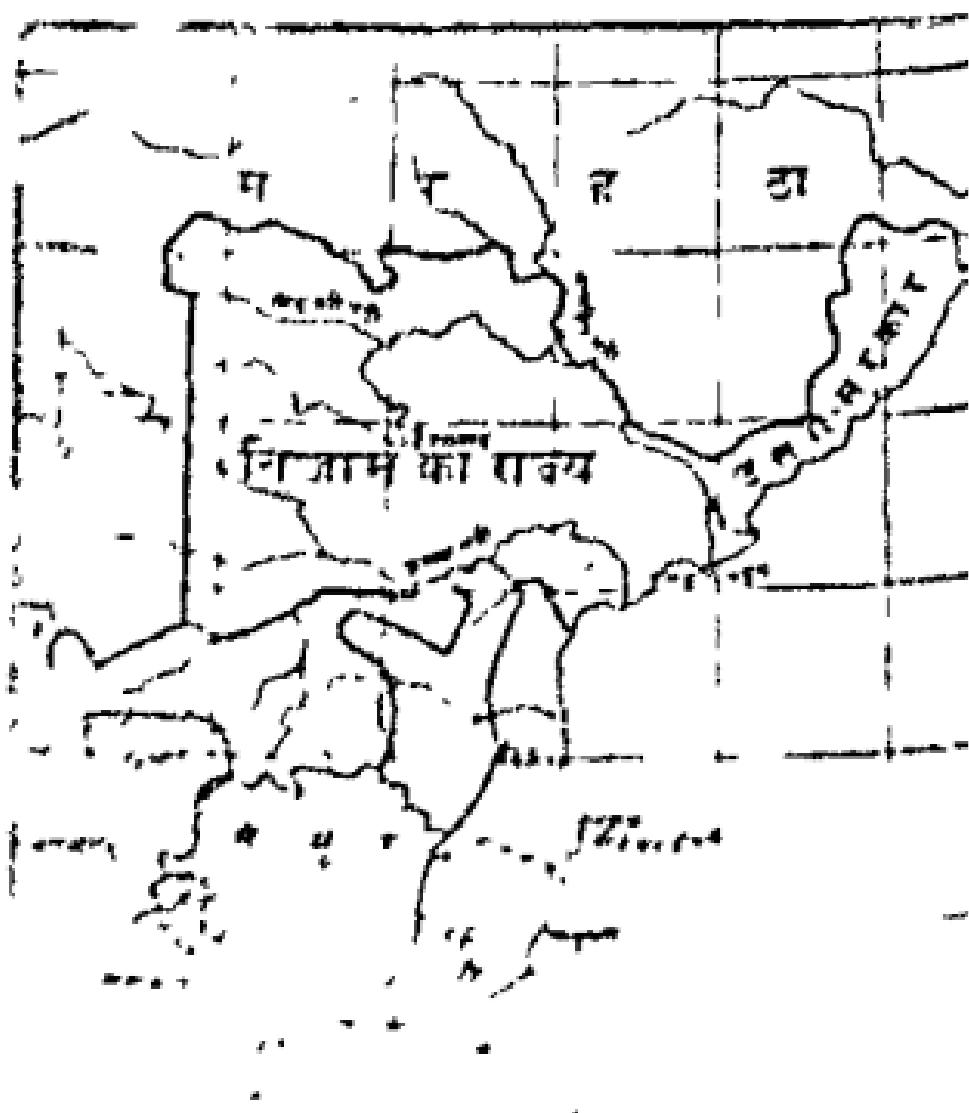
एलाशपल की सन्धि—सन् १७४८ ई० में यूरोप में इंगलैंड और फ्रांस में सन्धि हो गई। इसलिए हिन्दुस्तान में भी दोनों ने लड़ाई बन्द कर दी। मदरास फिर अँगरेज़ों को वापस दे दिया गया।

अध्याय ४

अँगरेज़ों और फ्रांसीसियों का दूसरा युद्ध और अर्काट की रक्षा

(सन् १७५० ई० से १७५४ ई० तक)

डूप्ले का हौसला—सन् १७४८ ई० की लड़ाई ने डूप्ले का हौसला बढ़ा दिया। इसलिए वह चाल और कूटनीति-द्वारा देश में अपना प्रभुत्व जमाना चाहता था। वह दक्षिण की हालत को अच्छी तरह जानता था और समझता था कि उसे अपना प्रभुत्व स्थापित करने और व्यापार में अँगरेज़ों से आगे बढ़ जाने में अधिक कठिनाई न होगी। जैसे-जैसे उसको सफलता होती गई, उसका साहस बढ़ता गया। धीरे-धीरे उसने भारतवर्ष में फ्रांस का साम्राज्य स्थापित करने की इच्छा की।

आसफ़जाह की मृत्यु—अँगरेज़ों में कोई ऐसा न था जिसकी डूप्ले से तुलना की जा सके। सन् १७४८ ई० में आसफ़जाह निज़ामुलमुल्क की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका बेटा नाज़िरजङ्ग गद्दी पर बैठा परन्तु मुज़फ़्फ़रजङ्ग ने, जो उसका भानजा था, नाज़िरजङ्ग का विरोध किया और स्वयं निज़ाम बनना चाहा। दोनों युद्ध की तैयारी करने लगे। इसी समय चाँदा साहब, जो एक योग्य पुरुष था, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन

उसने युसी को अपने यहाँ रख लिया और सन् १७५३ ई० में उसे उत्तरी सरकार का इलाक़ा दे दिया। चाँदा साहब कर्नाटक का नवाब हो गया। उसने भी फ्रांसीसियों को धन दिया और जागीर दी। मुहम्मदअली को त्रिचनापल्ली में चाँदा साहब और फ्रांसीसियों ने घेर लिया। अँगरेज़ों ने उसकी मदद के लिए एक सेना भेजी जिसमें रावर्ट क्लाइव भी एक अफसर था।

क्लाइव प्रारम्भिक जीवन—क्लाइव सन १७४४ ई० में हिन्दुस्तान में आया था। वह बचपन से बड़ा नटखट था। पढ़ने-लिखने में वह मन नहीं लगाता था। जब उसके पिता ने देखा कि वह पढ़ने से जी चुराता है तब उसे हिन्दुस्तान में कंपनी की नौकरी करने भेज दिया। जिस समय मदरास पर आक्रमण हुआ, क्लाइव भी वहाँ उपस्थित था और क़ैद कर लिया गया था। उस समय वह केवल २१ वर्ष का था। परन्तु जैसा पहले कह चुके हैं, वह शत्रु के हाथ से निकल गया। उसने जाकर सेंट डेविड नाम के क़िले में शरण ली। फ्रांसीसियों ने इस क़िले को जीतने का भी कई बार प्रयत्न किया परन्तु मेजर लारेंस और क्लाइव ने बड़ी बहादुरी से उनको पीछे हटाया। क्लाइव बड़ा साहसी और वीर युवक था। उसकी इच्छा थी कि वह किसी दिन बड़ा आदमी बने। अवसर मिलने पर उसने युद्ध-विद्या सीख ली। लेखक के पद से हटाकर वह सेना में एक छोटे से पद पर नियुक्त कर दिया गया। धीरे-धीरे उसने अपनी योग्यता बढ़ा ली और उन्नति की। युद्ध से क्लाइव कभी नहीं घबराता था। वह बड़े धैर्य और विचार के साथ काम करता था। सेना के साथ वह हमेशा दया का बर्ताव करता था। यही कारण था कि कठिन से कठिन संकट पड़ने पर भी उसके सैनिक लड़ाई से नहीं [illegible]

[illegible]

अर्काट से निश्चिन्त होकर क्लाइव ने मेजर लारेन्स के साथ त्रिचनापल्ली पर चढ़ाई की। इस बीच रसद का सामान बहुत सा आ गया। फ्रांसीसियों ने वीरता से सामना किया परन्तु वे हार गये और त्रिचनापल्ली अँगरेज़ों के हाथ आ गया। मुहम्मद-अली कर्नाटक का नवाब हो गया। चांदा साहब को तन्जौर-नरेश के एक सैनिक अधिकारी ने मार डाला।

डुप्ले की कूट-नीति—डुप्ले ने इस कठिन समय में बड़े धैर्य के साथ काम किया परन्तु अँगरेज़ों ने उसका मनोरथ पूरा न होने दिया। इस समय उसकी दशा अच्छी न थी। उसकी सेना हार चुकी थी, मित्र असन्तुष्ट थे और रुपये की भी कमी थी। इससे विवश होकर उसे सन्धि करनी पड़ी। परन्तु उसकी कड़ी शर्तों को अँगरेज़ों ने स्वीकार नहीं किया। उधर फ्रांस की सरकार डुप्ले से अप्रसन्न हो गई थी। वह गवर्नर के पद से हटा दिया गया और उसके फ्रांस लौट जाने पर सन्धि हो गई। दोनों कम्पनियों ने सन्धि-पत्र पर दस्तख़त किये कि अब कभी आपस में न लड़ेंगे और न देशी राजाओं के झगड़ों में भाग लेंगे।

क्लाइव का इँगलैंड लौटना—अधिक परिश्रम करने के कारण क्लाइव का स्वास्थ्य कुछ बिगड़ गया था। इसलिए वह छुट्टी लेकर इँगलैंड चला गया। वहाँ उसका बड़ा आदर हुआ। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के सञ्चालकों ने एक तलवार, जिसका मूल्य लगभग ५०० पौंड था, उसको भेंट की। क्लाइव का यश चारों तरफ़ फैल गया और उसकी गिनती वीर पुरुषों में होने लगी।

टोक आया-जाया करते। परन्तु अँगरेज़ी जहाज़ी बेड़े की शक्ति को कम किये बिना यह कैसे हो सकता था। अँगरेज़ों का जहाज़ी बेड़ा यूरोप में सबसे अधिक बलवान् था। यूरोप का कोई राज्य उसका सामना नहीं कर सकता था। फ़्रांस का जहाज़ी बेड़ा इस समय अत्यन्त दुर्बल हो गया था। उसमें इतनी शक्ति न थी कि वह समुद्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर सके।

डूप्ले की हार का एक और भी कारण था। वह यह कि फ़्रांसीसी अफ़सर और सैनिक परस्पर ईर्ष्या रखते और एक दूसरे का विरोध करते थे। बहुत से स्वार्थी थे और अपने लाभ के आगे कम्पनी की कुछ भी परवा नहीं करते थे। अँगरेज़ों में यह बात न थी। उनका संगठन अच्छा था। वे एक दूसरे की सलाह से काम करते थे। देश-भक्ति उनकी ऐसी बढ़ी-चढ़ी थी कि वे देश के लिए अपने सुख, लाभ और प्राणों तक का त्याग करने को सदा तैयार रहते थे। फ़्रांसीसियों की अपेक्षा वे चतुर भी अधिक थे और समय के अनुकूल व्यवहार करने में कुशल थे।

डूप्ले जब फ़्रांस को लौटा तब उसके साथ वहाँ की सरकार ने कठोर बर्त्ताव किया। उसके ऊपर मुक़दमा चलाया गया जिसमें उसका बहुत सा धन ख़र्च हो गया। डूप्ले की नीति हितकर न हुई परन्तु यह मानना पड़ेगा कि वह प्रतिभाशाली मनुष्य था। यदि उपर्युक्त कारण उपस्थित न होते तो वह भारतवर्ष में फ़्रांस का राज्य स्थापित करने में सफल हो जाता।

इस उत्तर से नवाब बहुत नाराज़ हुआ। उसकी नाराज़ी के और भी कारण थे। अँगरेज़ों ने एक आदमी को, जिसे नवाब पकड़ना चाहता था, अपनी शरण में रख लिया था और व्यापार करने के लिए उन्हें सन् १७१७ ई० में जो आज्ञा-पत्र मिला था उसके विरुद्ध भी आचरण किया था। ये ही सिराजुद्दौला की नाराज़ी के मुख्य कारण थे। बंगाल में बड़ा राज्य-विप्लव होनेवाला था। वहाँ के व्यापारियों—हिन्दू और अँगरेज़ दोनों—ने मिलकर मुसलमानी राज्य को शक्तिहीन करने की इच्छा की। इसके अतिरिक्त नवाबी राज्य में घरेलू झगड़े भी थे जिनके कारण उसका पतन हुआ।

बंगाल का सूबा बहुत बड़ा था। उसमें बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। वास्तव में हिन्दुस्तान में उस सूबे के बराबर उपजाऊ भूमि और कहीं नहीं थी। हिन्दुस्तान में जितने हमला करनेवाले आये थे वे सब गङ्गा-यमुना के बीच के देश में लूटमार कर लौट गये थे। बंगाल तक कोई नहीं पहुँचा था। इसी कारण बंगाल ने बहुत सी सम्पत्ति का सञ्चय कर लिया था। हिन्दू बड़े धनाढ्य थे और मुसलमानी राज्य से अपने को बचाना चाहते थे। अलीवर्दीखाँ शक्तिमान् हाकिम था। उसके समय में हिन्दू और अँगरेज सब चुपचाप रहे परन्तु उसके मरने के बाद [illegible] और [illegible] ने समझ लिया कि [illegible] में बड़ा [illegible] राज्य-विप्लव होनेवाला है।

इस और [illegible] रखने के लिए [illegible] [illegible] आदि [illegible] कोई [illegible] अँगरेज सब [illegible] ने इस और [illegible]

नाना फडनवीस

माधोराव

वाट्सन को जहाज़ी बेड़ा सौंपा गया। क्लाइव की इस नियुक्ति से दूसरे अफ़सर नाराज़ हुए; क्योंकि वह उनसे अवस्था में छोटा था। इसके सिवा उसे नौकरी करते भी अधिक समय नहीं हुआ था। परन्तु किसी ने कुछ कहा नहीं। क्लाइव ने लेखक का काम बड़े हर्ष से छोड़ा। ९०० अँगरेज़ तथा १५०० हिन्दुस्तानी सिपाहियों को लेकर वह बङ्गाल की ओर चल दिया। वाट्सन भी अपने जहाज़ी बेड़े को लेकर साथ हो लिया। तीन महीने में दोनों कलकत्ते पहुँचे। उन्होंने दूसरी जनवरी सन् १७५७ ई० को कलकत्ता जीत लिया और कुछ दिन बाद हुगली को भी सर कर लिया। नवाब से कुछ भी करते न बना। उसने सन्धि की प्रार्थना की। सन्धि हो गई। नवाब ने कम्पनी का क़िला उसे लौटा दिया, सिक्का चलाने की आज्ञा दे दी और वादा किया कि तुम्हारी जो कुछ हानि हुई है वह पूरी कर दी जायगी।

पाठकों को आश्चर्य होगा कि क्लाइव ने इस सन्धि में ब्लैक होल की घटना का ज़िक्र तक नहीं किया और न नवाब से अपने सैनिकों को सज़ा देने को कहा। क्लाइव अपनी स्थिति खूब जानता था। यदि वह देर करता तो नवाब और फ़्रांसीसी दोनों मिल जाते और अँगरेज़ों को हरा देते। दूसरे कलकत्ता-कौंसिल उसकी सहायता पूरी तौर से नहीं करती थी। तीसरे, कम्पनी की व्यापारिक उन्नति के लिए शान्ति स्थापित होने की बड़ी ज़रूरत थी। इन्हीं कारणों से क्लाइव ने नवाब से सुलह कर ली।

परन्तु सिराजुद्दौला कब चुप बैठनेवाला था। उसने फ़ौरन फ़्रांसीसियों से लिखा-पढ़ी की और सहायता माँगी। बुसी इस समय उसकी सरकार में था। उसके पास युद्ध की सामग्री भी काफ़ी थी। क्लाइव ने चन्द्रनगर पर चढ़ाई की। फ़्रांसीसियों ने वीरता से अँगरेज़ों का सामना किया परन्तु अन्त में उनकी हार हुई। क्लाइव और नवाब से फिर सुलह की बातचीत होने लगी।

अँगरेज़ों के राज्य की नींव पड़ी और नवाबों की शक्ति कम हो गई।

अध्याय ७

अँगरेज़ों और फ़्रांसीसियों का तीसरा युद्ध और फ़्रांसीसियों की अवनति

(सन् १७०६ ई० से सन् १७६१ ई० तक)

यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध—सन् १७५६ ई० में यूरोप में इंगलैंड और फ़्रांस में युद्ध छिड़ गया जिसे सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। इस युद्ध के आरम्भ होते ही हिन्दुस्तान में भी युद्ध की तैयारी होने लगी। सन् १७५८ ई० में काउन्ट लैली बहुत लम्बे सफ़र के बाद हिन्दुस्तान में आया। जिस रात को वह जहाज़ से उतरा उसी रात को उसने सेंट डेविड नामक क़िला सहज ही में जीत लिया। परन्तु इस घटना के बाद उसने कोई विशेष सफलता नहीं प्राप्त की क्योंकि लैली वीर और सच्चरित्र होने पर भी स्वभाव का चिड़चिड़ा था और उससे दूसरे अफ़सरों से नहीं पटती थी।

पाण्डुचेरी का गवर्नर लैली की सेना को काफ़ी धन नहीं दे सकता था। इसलिए लैली ने तन्जौर के राजा पर, रुपया लेने के उद्देश्य से, चढ़ाई की। इससे फ़्रांसीसियों की प्रतिष्ठा और भी घट गई। लैली ने अब बुसी को हैदराबाद से बुलाया और स्वयं मदरास पर चढ़ाई करने की तैयारी की। बुसी आया और दोनों ने मिलकर मदरास पर चढ़ाई की। [illegible] इस समय बंगाल में था परन्तु वह इस राज्य को अच्छी तरह [illegible]
[illegible]

दुप्ले के उत्तराधिकारी कडोर को दिसम्बर सन् १७५८ ई० में इनाया और मछलीपट्टन पर भी चढ़ाई की। हैदराबाद में जो कुछ फ़्रांसीसियों का प्रभुत्व था वह जाता रहा। इससे उनको भारी हानि पहुँची।

दिसम्बर में मदरास पर चढ़ाई हुई। छः महीने तक मेजर लारेंस और उनके सैनिकों ने मदरास की रक्षा की। इसके पीछे इँगलैंड से कुछ सेना आ गई। दो वर्ष तक इसी प्रकार युद्ध होता रहा। सन् १७६० ई० में सर आयरकूट ने फ़्रांसीसियों को वांडवाश नामक स्थान पर परास्त किया और लाली को कैद करना चाहा। वह पाण्डुचेरी की ओर भागा। वहाँ उसने अँगरेज़ों के हाथ आत्म-समर्पण कर दिया। वहाँ से वह इँगलैंड भेजा गया परन्तु पीछे से छोड़ दिया गया। उसे फ़्रांस जाने की आज्ञा दे दी गई। वहाँ उसके ऊपर मुकद्दमा चलाया गया और अन्त में उसे फाँसी का दण्ड दिया गया। पाण्डुचेरी भी अब अँगरेज़ों के हाथ आ गया। फ़्रांसीसियों और अँगरेज़ों में जितने युद्ध हुए थे उनमें यह सबसे बड़ा था। इसके जीत होने से अँगरेज़ों की शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ गईं। इसी समय से मदरास प्रान्त की नींव पड़ी।

पेरिस की सन्धि—सन् १७६३ ई० में पेरिस की सन्धि हो जाने के कारण लड़ाई समाप्त हो गई। पाण्डुचेरी और चन्द्र-नगर फ़्रांसीसियों को फिर मिल गये। मुहम्मदअली कर्नाटक का नवाब हुआ और हैदराबाद में फ़्रांसीसियों का कुछ भी प्रभुत्व न रहा। उत्तरी सरकार के ज़िले अँगरेज़ों के अधीन रहे।

अँगरेज़ों की जीत के कारण—इस युद्ध में अँगरेज़ों [illegible]
[illegible]
[illegible]

मीर जाफ़र नाम-मात्र का नवाब था। राज्य का सारा अधिकार क्लाइव के हाथ में था। जो कुछ वह चाहता वही नवाब करता था। मीर जाफ़र के गद्दी पर बैठते ही उसके शत्रुओं ने विद्रोह का झण्डा खड़ा किया परन्तु क्लाइव ने उनको दबा दिया। यदि नवाब योग्य और साहसी पुरुष होता तो बङ्गाल में शान्ति स्थापित रहती और शासन-प्रबन्ध भी अच्छा होता परन्तु वह बड़ा आलसी था और अफ़ीम खाता था। इसी लिए उससे कुछ करते न बन पड़ा।

शाहज़ादे के आने का समाचार सुनकर मीर जाफ़र बहुत घबराया परन्तु क्लाइव ने उसे ढाढ़स बँधाया और सहायता देने का वचन दिया। जब शुजाउद्दौला ने सुना कि क्लाइव मीर जाफ़र की मदद के लिए आ रहा है तब वह शीघ्र अवध को लौट गया और शाहज़ादे को चुपचाप अकेला छोड़ गया। शाहज़ादा अब क्या कर सकता था। उसके पास न तो इतनी सेना थी कि वह अँगरेज़ों से युद्ध करता और न उसमें इतनी योग्यता ही थी कि बङ्गाल पर फिर मुग़ल-राज्य का आधिपत्य स्थापित करता। इसलिए निराश होकर उसने अपने को क्लाइव के सपुर्द कर दिया। क्लाइव ने उसको ५०० सोने की मुहरें भेंट देकर बिदा किया।

मीर जाफ़र और डच—बंगाल में अँगरेज़ों का प्रभुत्व स्थापित हो जाने से डच लोगों के व्यापार को बड़ी हानि [illegible]

अध्याय ६

मीर क़ासिम

(सन् १७६१ ई० से १७६२ ई० तक)

बङ्गाल की दशा—क्लाइव के चले जाने के बाद बंगाल में बड़ी गड़बड़ी मच गई। कम्पनी के ख़ज़ाने में रुपया नहीं रहा और नवाब के ऊपर बहुत सा क़र्ज़ हो गया। उसे अपना अधिकार स्थापित करने में भी कठिनाई होने लगी। प्लासी की लड़ाई के बाद अँगरेज़ों ने बंगाल को जीत तो लिया था परन्तु शासन-प्रबन्ध उन्होंने अपने हाथ में नहीं लिया था। वे अभी तक अपने को व्यापारी कहते और शासन की ज़िम्मेदारी को अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे। उन्हें रुपये की बड़ी ज़रूरत थी। उधर नवाब ने अपनी सेना को तनख़्वाह भी नहीं दी थी और विद्रोही ज़िमींदारों को दबाने के लिए उसे धन और सेना दोनों की ज़रूरत थी। इसके सिवा एक कठिनाई और थी। अँगरेज़ नवाब से रुपया माँगते थे और वह दे नहीं सकता था। इसका नतीजा यह हुआ कि शासन-प्रबन्ध बिगड़ गया। कम्पनी के नौकर अनुचित रीति से धन कमाने की कोशिश करने लगे। कम्पनी के गुमाश्तों और नवाब के नौकरों में लड़ाई होने लगी। अँगरेज़ व्यापारी तो केवल धन कमाने की इच्छा से हिन्दुस्तान आते थे। इसलिए मौक़ा मिलने पर उन्होंने बेईमानी से रुपया कमाने का प्रयत्न किया। बहुत से तो व्यापार के बहाने लूट करने लगे जिसके कारण देश में अशान्ति फैल गई। चारों तरफ़ बेईमानी होने लगी। कम्पनी और नवाब दोनों की आर्थिक दशा पहले की अपेक्षा अधिक बिगड़ गई।

शाहज़ादे की चढ़ाई—उसी समय शाहज़ादे ने, जो शाहआलम द्वितीय के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठ चुका था,

अनुचित रीति से धन कमाने में लगे हुए थे और शासन-प्रबन्ध में हस्तक्षेप करते थे। इस बात से मीर क़ासिम बहुत अप्रसन्न था।

मीर क़ासिम का गद्दी से उतारा जाना—मीर क़ासिम को लड़ाई का बहाना शीघ्र मिल गया। सन् १७१७ ई० से कम्पनी अपना माल, बिना कर दिये, बंगाल के बाहर भेज सकती थी। प्लासी की लड़ाई के बाद कम्पनी के नौकरों ने, जो बंगाल में व्यापार करते थे, अपने निज के माल पर भी महसूल देना बन्द कर दिया। यही नहीं, उन्होंने देशी व्यापारियों से रुपया लेकर उन्हें भी आज्ञा दे दी कि वे चाहें जहाँ अपना माल, बिना चुङ्गी दिये, ले जायँ। यदि नवाब के हाकिम पूछते कि किसका माल है तो उत्तर मिलता था कि कम्पनी के नौकरों का। इससे नवाब को बड़ी हानि हुई। उसकी आय घटने लगी। नवाब के अफ़सरों और कम्पनी के गुमाश्तों और लेखकों में लड़ाई-झगड़ा होने लगा। मीर क़ासिम ने इस हानिकारक रीति को बन्द करने की कोशिश की। परन्तु अँगरेज़ों को यह बात बुरी मालूम हुई। उन्होंने इसका विरोध किया। अन्त में विवश होकर नवाब ने सबको आज्ञा दे दी कि जो चाहे बिना किसी प्रकार का कर अथवा महसूल दिये अपना माल चाहे जहाँ ले जाय। इससे कम्पनी के नौकरों को हानि हुई क्योंकि अब उन्हें रुपया मिलना बन्द हो गया। वे चाहते थे कि औरों से महसूल लिया जाय और स्वयं उन्हें कुछ भी न देना पड़े। इससे अधिक अन्याय और क्या हो सकता था। मीर क़ासिम ने कौंसिल के मेम्बरों से भी कहा-सुना परन्तु कुछ नतीजा न हुआ। अन्त में उसे लड़ाई की तैयारी करनी पड़ी। उसने शाहआलम और शुजाउद्दौला को भी युद्ध का निमन्त्रण दिया। [illegible] पटना में जो अँगरेज [illegible] थे, कैद कर लिये गये सैनिक [illegible] को मार डाला

नकशा
बंगाल बिहार और अवध
पटना
बक्सर
भागलपुर
मुर्शिदाबाद
प्लासी
हुगली
कलकत्ता

अध्याय १०

क्लाइव का दूसरी बार बंगाल का गवर्नर नियुक्त होना

(सन् १७६५ ई० से १७६७ ई० तक)

सन् १७६५ ई० में कम्पनी की स्थिति—बक्सर की लड़ाई और पटना के हत्याकाण्ड की ख़बर जब इंगलैंड पहुँची तब ईस्ट इण्डिया कम्पनी के सञ्चालकों ने फिर क्लाइव से हिन्दुस्तान जाने को कहा। इस बार उन्होंने उसे बंगाल का गवर्नर और प्रधान सेनापति बना कर भेजा। उसे १० वर्ष के लिए उसकी जागीर दे दी गई। मई सन् १७६५ ई० में क्लाइव हिन्दुस्तान पहुँचा। लड़ाई ख़तम हो चुकी थी और कम्पनी की सेना ने विजय प्राप्त की थी। मुग़ल- बादशाह, जिसके नाम का अभी तक हिन्दुस्तान में बड़ा आदर था, उसके डेरे में था। अवध का नवाब शुजाउद्दौला भी सन्धि करने को तैयार था। परन्तु कम्पनी की आन्तरिक दशा अच्छी नहीं थी। कलकत्ता-कौंसिल के सदस्यों ने कम्पनी के सञ्चालकों के नियमों के विरुद्ध काम किया था। उन्होंने नवाबों को गद्दी पर बिठाने के समय बहुत सा रुपया लिया था और मीर क़ासिम से लड़ाई कर कम्पनी के व्यापार को हानि पहुँचाई थी। कम्पनी के नौकरों का भी चालचलन ठीक नहीं था। उनकी स्वार्थ-परता ऐसी बढ़ी हुई थी कि वे कम्पनी के लाभ की ज़रा भी परवा नहीं करते थे।

इलाहाबाद की सन्धि—क्लाइव को ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने पूरा अधिकार दे दिया था। वह जानता था कि कम्पनी को [illegible] के [illegible] कोई साधन नहीं है। इसलिए

उसकी रक्षा के लिए एक सेना देने का भी वादा किया जिसका खर्च उसी के ज़िम्मे किया गया। इस सन्धि से क्लाइव की दूरदर्शिता प्रकट होती है। अवध बंगाल की पश्चिमोत्तर सीमा पर था। मरहठे इस समय भी उत्तरी हिन्दुस्तान पर धावा करते थे। कम्पनी उनसे लड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि अभी उसके राज्य का अधिक संगठन नहीं हुआ था। क्लाइव ने बड़ी बुद्धिमानी से अवध को अपनी ओर मिला लिया। इसका यह नतीजा हुआ कि बंगाल की पश्चिमोत्तर सीमा ४० वर्ष तक सुरक्षित रही। इतने में कम्पनी को बंगाल में अपनी शक्ति को संगठित करने के लिए समय मिल गया।

शासनसुधार—कम्पनी के नौकरों का सुधार करने में क्लाइव को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। उसने उनसे प्रतिज्ञा-पत्र लिये जिसमें लिखा था कि वे न तो अपना निज का व्यापार करेंगे और न किसी हिन्दुस्तानी से भेंट लेंगे। परन्तु उसने उनके वेतन बढ़ा दिये और बड़े कर्मचारियों को नमक के व्यापार का ठेका दे दिया जिससे उनकी आमदनी में खूब वृद्धि हो गई। फौज में सिपाहियों को [illegible] भत्ता मिलता था। क्लाइव ने उसे बन्द कर दिया। इससे फौज का खर्च बहुत घट गया। इस सुधार से सेना में बड़ी हलचल मच गई। कुछ लोगों ने बलवा करने की चेष्टा की परन्तु क्लाइव ने उन्हें शीघ्र दबा दिया और उनके [illegible] कर दिये कि फिर [illegible] एक [illegible] है। इसके सिवा कम्पनी के शासन में उसने और भी सुधार किये जिनसे उसकी शक्ति अधिक बढ़ गई और [illegible] का प्रबन्ध भी [illegible] से होने लगा।

क्लाइव का इँगलैंड लौटना—शासन सुधार करने के बाद सन् १७६७ ई० में क्लाइव इँगलैंड लौट गया। कम्पनी के [illegible]

किया हुआ दोहरा प्रबन्ध अभी तक प्रचलित था। उसमें अनेक दोष उत्पन्न हो गये थे। एक देश में दो शासक नहीं रह सकते। किन्तु बंगाल में इस समय आधा प्रबन्ध कम्पनी के हाथ में था और आधा नवाब के हाथ में। क्लाइव ने मीर जाफ़र के एक बेटे को नाम-मात्र के लिए नवाब बना दिया था। साथ ही साथ कुछ अँगरेज़ी सेना भी अमन-चैन क़ायम रखने के लिए रक्खी गई थी। हेस्टिंग्ज़ ने शीघ्र इन दोषों को समझ लिया और उन्हें मिटाने का उपाय किया।

इस दोहरे प्रबन्ध में नवाब के नौकरों को सदा यह डर लगा रहता था कि न जाने हमारी नौकरी कब छूट जाय। इसलिए छोटे-बड़े सभी यह चाहते थे कि दूसरों की आँखों में धूल झोंककर अपने लिए धन इकट्ठा कर लें। हर जगह घूस ली जाती थी। छोटे और बड़े सभी सरकारी हाकिम घूस लेते थे। केवल घूस ही नहीं, बहुत से हाकिम तो रुपया भी खा जाते और हिसाब नहीं देते थे। ऐसी हालत में प्रजा को बड़ा कष्ट होता था। सन् १७६९-७० ई० में बङ्गाल में बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा जिसके कारण प्रजा की दशा और भी बिगड़ गई।

पहले तो वारेन हेस्टिंग्ज़ ने असह्य करों को उठा लिया; फिर देशी हाकिमों और नौकरों को बरख़ास्त कर दिया और बंगाल तथा विहार के हर एक ज़िले में एक-एक कलक्टर नियत किया, जिनका काम प्रजा से मालगुज़ारी वसूल करना था। मालगुज़ारी की तादाद और उनके वसूल करने का समय नियत कर दिया। इससे प्रजा का भार हलका हो गया और कम्पनी की आमदनी भी बढ़ गई।

अँगरेज़ हाकिम, प्रजा की भाषा न जानने के कारण, न तो लोगों की ठीक दशा को जान सकते थे और न अच्छी तरह न्याय ही कर सकते थे। इससे हेस्टिंग्ज़ ने अँगरेज़ कलक्टरों के साथ हिन्दुस्तानी पण्डित और मौलवी रख दिये [illegible]

और उनके निकल जाने पर रुहेले उसे ४० लाख रुपया देंगे। वारेन हेस्टिंग्ज़ जानता था कि नवाब को सन्तुष्ट रखना कितना आवश्यक है; क्योंकि उसका देश अँगरेज़ी राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा पर था। दूसरे, कम्पनी को रुपये की बड़ी ज़रूरत थी। वज़ीर ने जब हेस्टिंग्ज़ से मदद माँगी तब उसने शीघ्र ख़बर भेजी कि हम मदद देने को तैयार हैं। युद्ध समाप्त होने पर नवाब ने ४० लाख रुपया अँगरेज़ों को देने का वादा किया। मरहठों ने रुहेलों पर हमला किया परन्तु नवाब और कम्पनी की सेनाओं ने उन्हें भगा दिया। अब नवाब ने ४० लाख रुपया माँगा, परन्तु हाफ़िज़ रहमतख़ाँ ने टालमटोली की। इस पर नवाब ने हेस्टिंग्ज़ से मदद माँगी। वह राज़ी हो गया और कर्नल चैम्पियन एक पलटन लेकर रुहेलखण्ड की ओर चला। नवाब की सेना भी आ पहुँची। दोनों ने रुहेलों पर चढ़ाई की। रुहेलों ने बड़ी बहादुरी से युद्ध किया परन्तु वे हार गये। हाफ़िज़ रहमतख़ाँ लड़ाई के मैदान में मारा गया। नवाब और कम्पनी की सेनाओं ने रुहेलों के साथ बड़ा कठोर बर्ताव किया। बहुत से बेचारे अपना देश छोड़कर चले गये और फिर लौटकर नहीं आये। रुहेल-नवाब का बेटा राजा बनाया गया और रुहेलखण्ड अवध के अधीन हो गया।

[illegible]

हुआ, क्योंकि वह उचित शासन-प्रबन्ध न कर सका। हाफ़िज़ रहमतखाँ के राज्य में प्रजा सुखी थी और चैन से रहती थी। परन्तु अब उसकी दशा बुरी हो गई। हेस्टिंग्ज के पक्ष में केवल इतना कहा जा सकता है कि उसने कम्पनी की आर्थिक दशा को सुधार दिया और नवाब को सन्तुष्ट कर कम्पनी के राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा को सुरक्षित बना दिया।

अध्याय १३

वारेन हेस्टिंग्ज़, पहला गवर्नर-जनरल

(पूर्वार्द्ध)

(सन् १७७२ ई० से १७८२ ई० तक)

रेग्यूलेटिङ्ग ऐक्ट—सन् १७७२ ई० तक ईस्ट इण्डिया कम्पनी केवल व्यापार करती थी परन्तु जब उसने बङ्गाल में राज्य स्थापित किया तब इँगलेंड की पार्लियामेंट ने उसके प्रबन्ध में भाग लेना आरम्भ किया। कम्पनी पर इस समय ऋण बहुत हो गया था। इस ऋण को चुकाने के लिए उसने इँगलेंड की सरकार से मदद माँगी। उसने रुपया तो दे दिया परन्तु एक नया क़ानून पास किया जिसका नाम रेग्यूलेटिंग ऐक्ट था। इसके अनुसार कम्पनी के प्रबन्ध में बहुत हेर-फेर हो गया। इस क़ानून के द्वारा बङ्गाल के गवर्नर के अधिकार बढ़ गये। उसे सारे ब्रिटिश भारत के गवर्नर-जनरल की उपाधि मिली और बम्बई और मदरास के गवर्नर उसके अधीन हो गये। उसकी मदद के लिए एक कौंसिल नियत हुई। इसके चार मेम्बर थे—बारवेल, क्लेवरिंग, फ्रांसिस और मानसन। इन मेम्बरों की नियुक्ति इँगलेंड की सरकार के हाथ में था। मुकदमों का फ़ैसला करने के लिए एक बड़ी अदालत कलकत्ते में स्थापित की

गई। इस अदालत के जजों को विलायत की गवर्नमेंट नियुक्त करती थी। गवर्नर-जनरल और उनकी कौंसिल का अधिकार सारे अँगरेज़ी राज्य पर स्थापित हो गया और दूसरे सूबों के गवर्नरों को हुक्म दिया गया कि वे गवर्नर-जनरल की सलाह के बिना कोई सन्धि अथवा युद्ध न करें।

रेग्यूलेटिङ्ग ऐक्ट का उद्देश भिटिश भारत के शासन को सँभालना था। परन्तु इस उद्देश की पूर्ति न हुई। इसके कई कारण थे। गवर्नर-जनरल कौंसिल का सभापति तो था परन्तु उसे मेम्बरों को अनुचित बातों को रद करने का अधिकार न था। जब कौंसिल के मेम्बर हिन्दुस्तान में आये तब उन्होंने आते ही हेस्टिंग्ज़ का विरोध करना आरम्भ कर दिया। कोई बात ऐसी न थी जिसमें वे उससे सहमत होते। ये लोग विलायत से नये-नये आये थे और हिन्दुस्तान की दशा से तनिक भी परिचित नहीं थे। फ्रांसिस हेस्टिंग्ज़ का कट्टर विरोधी था। इसलिए कौंसिल का काम कभी शान्ति से नहीं हुआ। बड़ी अदालत के भी अधिकार बहुत थे। अदालत और कौंसिल के बीच झगड़ा होने लगा। जज समझते थे कि हम इँगलैंड की सरकार के नौकर हैं और स्वतन्त्र हैं। इसलिए वे कौंसिल के कामकाज में हस्तक्षेप करते और उसके बनाये हुए क़ानून की कुछ भी परवा नहीं करते थे।

इस ऐक्ट में और भी दोष थे। ऐसे समय में इस बात की आवश्यकता थी कि गवर्नर-जनरल को पूरा अधिकार दिया जाता। दूसरे सूबों के गवर्नर कहने को तो उनके अधीन थे परन्तु बहुधा मनमानी करते थे। बड़ी अदालत, जो हिन्दुस्तानी लोगों के रीति-रिवाजों को नहीं जानती थी, अँगरेज़ी क़ानून के अनुसार न्याय करती थी। इससे प्रजा को बड़ा कष्ट होता था।

नन्दकुमार को फाँसी—नन्दकुमार एक बङ्गाली ब्राह्मण था। वह हेस्टिंग्ज़ के पहले ही से मान के महकमे में नौकर था। हेस्टिंग्ज़ ने उसे दूसरे नौकरों के साथ बर्खास्त कर

दिया था। इस कारण वह उससे शत्रुता रखता था। फ़ासिस और उसके साथियों के इशारे से नन्दकुमार ने हेस्टिंग्ज़ पर कुछ दोष लगाये और कौंसिल में दावा किया। हेस्टिंग्ज़ कौंसिल का सभापति था। उसे यह बात बुरी लगी। मुक़दमे की पेशी के समय वह कौंसिल से उठकर चल दिया। इसी समय एक दूसरे आदमी ने, जिसका नाम मोहनप्रसाद था, नन्दकुमार के ऊपर जालसाज़ी का मुक़दमा चलाया। बड़ी अदालत में उसे फाँसी का दण्ड मिला। पीछे से हेस्टिंग्ज़ पर यह दोष लगाया गया कि उसने इम्पी जज से मिलकर नन्दकुमार को फाँसी का दण्ड दिलाया है। परन्तु यह निर्मूल था। इतिहासकारों ने बड़ी खोज के बाद निर्णय किया है कि इम्पी ने ईमानदारी से मुक़दमा किया था। इसमें सन्देह नहीं कि नन्दकुमार को अन्त कड़ा दण्ड दिया गया। जालसाज़ों के लिए उस समय इंग्लैंड में फाँसी का ही दण्ड दिया जाता था परन्तु [illegible] कानून को हिन्दुस्तान में प्रयोग करना अनु-[illegible]

फ़ासिस और हेस्टिंग्ज़ का द्वन्द्वयुद्ध—[illegible]

[illegible]

अध्याय १४

वारेन हेस्टिंग्ज़, पहला गवर्नर-जनरल

(उत्तरार्द्ध)

मरहठों की पहली लड़ाई (सन् १७७५-८२ ई०)—सन् १७७२ ई० में चतुर्थ पेशवा माधवराव का देहान्त हो गया। उनके कोई सन्तान न थी। इसलिए उनका छोटा भाई नारायणराव गद्दी पर बैठा। परन्तु छः ही महीने बाद उनके विरोधियों ने उसे मरवा डाला। अब उनका चचा रघुनाथराव गद्दी पर बैठा परन्तु मरहठा सर्दारों ने उनका विरोध किया और नारायणराव के बेटे को, जो उनके मरने के पीछे पैदा हुआ था, पेशवा बनाना चाहा। नाना फड़नवीस ने राज्य का सारा प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया। राघोबा ने मरहठा राजाओं से मदद माँगी परन्तु उनको नाना फड़नवीस ने, जो बड़ा बुद्धिमान् राजनीतिज्ञ था, अपनी ओर मिला लिया। निदान विवश होकर रघुनाथराव ने अँगरेज़ों से सहायता माँगी। बम्बई सरकार ने दो शर्तों पर मदद देने का वचन दिया। एक तो यह कि जो अँगरेज़ी सेना भेजी जाय उसका ख़र्च राघोबा दे और दूसरी यह कि सालसट और बेसीन के टापू, जो बम्बई के समीप थे, अँगरेज़ों को दे दिये जावें। राघोबा ने ये शर्तें मान लीं और मार्च सन् १७७५ ई० में सूरत में सन्धिपत्र लिखा गया।

पुरन्दर का सन्धि-पत्र—रेग्यूलेटिंग ऐक्ट के अनुसार बम्बई की सरकार गवर्नर-जनरल के अधीन थी। उसका कर्त्तव्य था कि वह बिना भारत-सरकार की सलाह के ऐसा काम न करती। जब भारत-सरकार को इस सन्धि की ख़बर मिली तब उसने इसे स्वीकार नहीं किया और बम्बई सरकार की उस नीति का विरोध किया। सन् १७७६ ई० में नाना फड़न-

धीम ने पुरन्दर में एक दूसरा सन्धिपत्र लिख दिया। इसमें उसने अँगरेज़ों को सालसट और बेसीन देने की प्रतिज्ञा की और राघोबा को तीन लाख रुपया सालाना पेंशन देने का निर्णय हुआ। जब कम्पनी के डाइरेक्टरों ने सुना कि सालसट और बेसीन उन्हें पहले ही मिल चुके हैं तब उन्होंने तुरन्त ही इस सन्धिपत्र को अस्वीकार कर दिया। यह आज्ञा दोनों सरकारों को माननी पड़ी और दोनों मिलकर युद्ध की तैयारी करने लगीं।

बम्बई की सेना कर्नल एजर्टन की अध्यक्षता में राघोबा को लेकर पूना पहुँचाने चली। परन्तु उसे रास्ते में सिन्धिया की सेना का सामना करना पड़ा। तालेगाँव नामक स्थान पर सिन्धिया की सेना ने उसे घेर लिया और पीछे हटा दिया। हेस्टिंग्ज़ ने कर्नल गौडार्ड के साथ एक फौज भेजी जिसने मरहठों से लड़ाई की और बेसीन को जीत लिया, उधर मेजर पोफम ने ग्वालियर का किला ले लिया।

सालबाई का सन्धिपत्र—दोनों दल युद्ध से उकता गये। कम्पनी के कोष में रुपये की कमी थी। इसके सिवा हेस्टिंग्ज़ की कौंसिल उसके साथ सहयोग नहीं करती थी। सिन्धिया को लाभ के बदले हानि हो रही थी। उधर हैदरअली ने मरहठों से सन्धि करके कर्नाटक पर चढ़ाई कर दी थी। ऐसी हालत में युद्ध का जारी रखना कठिन था। परन्तु १७८२ ई० में हैदरअली मर गया। उसकी मृत्यु का समाचार पाते ही मरहठों ने सन्धि की बातचीत करना शुरू कर दिया। सन् १७८२ ई० में सालबाई के स्थान पर सन्धिपत्र लिखा गया और यह निश्चय हुआ कि न अँगरेज़ मरहठों के दुश्मनों की और न मरहठे अँगरेज़ों के दुश्मनों की किसी प्रकार की मदद देंगे। सालसट और बसीन अँगरेज़ों के पास रहे। राघोबा को पेन्शन दी गई और अँगरेज़ों को व्यापार करने की भी आज्ञा दे दी गई।

मैसूर की दूसरी लड़ाई (सन् १७८०-१७८४ ई०)—पहली लड़ाई के बाद हैदरअली ने अँगरेज़ों से सुलह कर ली थी। वह दस वर्ष तक रही। इतने में उसने मैसूर, मलाबार और कनारा के पालीगारों को दबाकर अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली। सेना भी उसके पास काफ़ी थी और उसमें फ़्रांसीसी अफ़सर भी थे।

सन् १७७८ ई० में यूरोप में फ़्रांस और इंग्लैंड में लड़ाई शुरू हो गई थी। हिन्दुस्तान में भी ऐसा ही हुआ। अँगरेज़ों ने पाण्डुचेरी पर चढ़ाई की और उस पर कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद उन्होंने माही का बन्दरगाह, जो हैदरअली के राज्य में था, ले लिया। हैदरअली इस बात से बहुत अप्रसन्न हुआ। उसने बम्बई-कौंसिल को लिखा कि अगर माही पर कम्पनी अपना अधिकार स्थापित करेगी तो मैं लड़ाई के लिए तैयार हूँ। ऐसा ही हुआ।

मदरास का गवर्नर लड़ाई के लिए तैयार नहीं था। उसके पास काफ़ी सेना नहीं थी। कर्नल बेली चार हज़ार आदमी लेकर हैदरअली से युद्ध करने को आगे बढ़ा। टीपू ने उसे काञ्जीवरम् के पास लड़ाई में हराया। कई अँगरेज़ अफ़सर घायल हुए। जब हेस्टिंग्ज़ ने यह सुना तो उसने सर आयर कूट को भेजा। उसने हैदरअली को सन् १७८१ ई० में, पोर्टोनोवो की लड़ाई में, हराया। परन्तु हैदरअली ने फिर सेना इकट्ठी करके पोलीलोर नामक स्थान में उस पर हमला किया। वह फिर हारा। तीसरी बार शोलिंगर नामक स्थान पर लड़ाई हुई। घमासान युद्ध के बाद फिर उसकी हार हुई। सन् १७८२ ई० में वह [illegible]

लड़ाई में टीपू की जीत हुई थी पर उसका [illegible] न था। [illegible] और [illegible] ने फिर अपनी शक्ति का संगठन कर लिया था। वह युद्ध के मैदान

कर रहा था। उसका बेटा टीपू अभी अपनी सेना लिये लड़ाई के मैदान ही में पड़ा था। कम्पनी की आर्थिक दशा बिगड़ रही थी। मदरास में अकाल पड़ रहा था और बङ्गाल अकेला इतने खर्च का भार नहीं सह सकता था।

परन्तु अँगरेज़ों के सौभाग्य से अचानक समाचार मिला कि ७ दिसम्बर सन् १७८२ ई० को हैदर का देहान्त हो गया। इस समय उसकी अवस्था ६० वर्ष की थी। राजनैतिक स्थिति पर उसकी मृत्यु का बड़ा प्रभाव पड़ा। मरहठों ने शीघ्र ही सालबाई की सन्धि कर ली और वे अँगरेज़ों के मित्र हो गये। पिता के मरने की खबर पाकर टीपू श्रीरंगपट्टन आया और गद्दी पर बैठ गया। एकाएक बहुत सा पैतृक धन पाने पर उसका हौसला और भी बढ़ गया। उसने फिर अँगरेज़ों से लड़ने की तैयारी की। जनरल मैथ्यूज़ अपनी सेना लेकर उसका सामना करने गया, परन्तु हार गया। फ्रांसीसी इस युद्ध में टीपू की मदद कर रहे थे। परन्तु जब यूरोप में फ्रांस और इंगलैंड में सन्धि हो गई तब उन्होंने मदद देना बन्द कर दिया। अँगरेज़ भी लड़ाई से तङ्ग आ गये थे। अतः सन् १७८४ ई० में मंगलौर के स्थान पर टीपू के साथ सन्धि हो गई। दोनों पक्षों ने इस बात को स्वीकार किया कि जीते हुए देश और क़ैदी एक दूसरे को लौटा दिये जायँ। यह सन्धि बहुत काल तक नहीं रही। टीपू फिर चुपचाप अपनी शक्ति बढ़ाने लगा।

हैदर का चरित्र—हैदर केवल वीर सिपाही ही न था, वरन् शासन-प्रबन्ध में भी कुशल था। उसके राज्य का प्रबन्ध ब्राह्मण शासक करते थे और उन पर वह विश्वास रखता था। पक्षपात उसमें न था। वह योग्यता देखकर नौकरी देता था। उसकी दृष्टि में हिन्दू-मुसलमान में भेद नहीं था। वह बराबर यह चाहता था कि उसके नौकर स्वामिभक्त हों और अपने कर्तव्य का उचित रूप से पालन करें। कर्तव्य का [illegible]

को भी वह कड़ा दण्ड देता था। अभिमान उसमें नहीं था। वह छोटे से छोटे मनुष्य से भी मिलता था। राज्य का सारा काम उनकी सलाह से होता और हर एक मामले को वह स्वयं देखता था।

हैदर पढ़ा-लिखा न था; परन्तु बड़ा बुद्धिमान् था और कई भाषाएँ बोल सकता था। स्मरण-शक्ति उसकी अद्भुत थी। इन गुणों को छोड़ उसके चरित्र में दोष भी थे। वह बड़ा कठोर-हृदय था और अपना काम पूरा करने के लिए सब तरह के साधनों का प्रयोग करने को तैयार रहता था।

हेस्टिंग्ज़ और चेतसिंह—मैसूर और मरहठों की लड़ाई में कम्पनी का बहुत सा रुपया खर्च हो गया था। हेस्टिंग्ज़ को रुपये की बड़ी ज़रूरत थी। मुहम्मदअली एक पैसा नहीं दे सकता था। उसके देश में अकाल पड़ रहा था और प्रजा माल-गुज़ारी भी नहीं दे सकती थी। बंगाल में कम्पनी के खज़ाने में कुछ भी न था। ऐसी कठिन स्थिति में हेस्टिंग्ज़ ने बनारस के राजा चेतसिंह से कम्पनी की सहायता करने के लिए कहा।

चेतसिंह से रुपया माँगने का भला हेस्टिंग्ज़ को क्या अधि-कार था? वह पहले अवध के अधीन था, परन्तु सन् १७७५ ई० में उसने कम्पनी का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। सन् १७७५ ई० में जब अँगरेज़ों और फ़्रांसीसियों ने लड़ाई हुई तब हेस्टिंग्ज़ ने उससे रुपया माँगा। चेतसिंह ने रुपया दे दिया। १७७८ ई० में फिर उससे रुपया माँगा गया। उसने फिर दे दिया। इसके बाद उससे २००० सवार माँगे गये। उसने देने में आनाकानी की। इससे अप्रसन्न होकर हेस्टिंग्ज़ ने राजा पर ५० लाख जुर्माना किया। जुर्माना वसूल करने के लिए वह स्वयं बनारस गया। वहाँ जाकर उसने राजा को गिरफ़्तार करने की कोशिश की, जिससे सारे नगर में गड़बड़ी मच गई। चेतसिंह एक खिड़की की राह महल से बाहर निकल गया और ग्वालि-यर की ओर चला गया। हेस्टिंग्ज़ ने शीघ्र ही एक सेना इकट्ठी

कर ली और विद्रोह को दबा दिया। चेतसिंह का राज्य छीन लिया गया। उसके स्थान में उसका भानजा राजा हुआ। यह सच है कि कम्पनी को धन की ज़रूरत थी; परन्तु इस बात को हेस्टिंग्ज़ की प्रशंसा करनेवाले भी मानते हैं कि उसने राजा चेतसिंह के साथ अनुचित बर्ताव किया। राजा को उसी की राजधानी में पकड़ने की चेष्टा करना बिलकुल अनुचित था। इससे प्रकट होता है कि हेस्टिंग्ज़ ने इस मामले में सोच-समझकर काम नहीं किया।

हेस्टिंग्ज़ और अवध की बेगमें—इसके बाद हेस्टिंग्ज़ ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बेटे आसफउद्दौला से रुपया माँगा। उस पर कम्पनी का बहुत ऋण हो गया था। उसने उत्तर दिया कि मेरे पास रुपया नहीं है, मेरी माँ और दादी ने खज़ाने का सारा रुपया दबा लिया है। यदि आप आज्ञा दें तो उनसे रुपया ले लूँ। बेगमें पहले आसफउद्दौला को रुपया दे चुकी थीं और उसने वादा किया था कि मैं फिर कुछ न माँगूँगा। परन्तु अब उसने हेस्टिंग्ज़ से कहा कि बेगमों के साथ जो सन्धि हुई थी वह तोड़ दी जाय। हेस्टिंग्ज़ को रुपये की ज़रूरत तो थी ही, उसने शीघ्र ही नवाब को आज्ञा दे दी। एक अँगरेज़ी सेना भी नवाब की सहायता के लिए गई। नवाब ने बेगमों से रुपया लेने में उनके नौकरों के साथ बुरा बर्ताव किया। बेगमों को भी क़ैद का डर दिखाया गया और धमकी दी गई। अन्त में लाचार हो गईं। उन्हें रुपया देना पड़ा। बेगमों पर यह दोष लगाया गया कि उन्होंने चेतसिंह का साथ दिया था। इसका हेस्टिंग्ज़ को पूरा विश्वास था और इसी लिए उसने नवाब को उनसे रुपया लेने की आज्ञा दी थी। बेगमों से ज़बर्दस्ती रुपया वसूल करना निस्संदेह अन्याय था। [illegible] यह मानना पड़ेगा कि [illegible] कम्पनी का काम [illegible] हो समझा [illegible] था।

हेस्टिंग्ज़ का इस्तीफ़ा—फ़्रांसिस जब इंगलैंड पहुँचा तब उसने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के डाइरेक्टरों से हेस्टिंग्ज़ की शिकायत की और पार्लियामेंट के मेम्बरों को उसके विरुद्ध भड़काया। उस पर बड़े-बड़े दोष लगाये गये। सन् १७८५ ई० में वह इस्तीफ़ा देकर विलायत गया। वहाँ उसके ऊपर एक मुक़दमा चला, जो सात वर्ष तक होता रहा। इसमें उसका बहुत सा रुपया ख़र्च हो गया। अन्त में वह निर्दोष ठहराया गया और कम्पनी ने उसकी पेन्शन नियत कर दी। सन् १८१८ ई० में, ८६ वर्ष की अवस्था में, उसका देहान्त हो गया। ब्रिटिश शासकों में हेस्टिंग्ज़ का स्थान बहुत ऊँचा है। वह बहुत गम्भीर, विचारशील और बुद्धिमान् मनुष्य था और आपत्ति के समय कभी नहीं घबराता था। कम्पनी की सेवा को वह अपना मुख्य कर्तव्य समझता था और घोर विरोध होने पर भी धैर्य और शान्ति से काम लेता था।

पिट का इण्डिया बिल—सन् १७८४ ई० में इंगलैंड के प्रधान मंत्री पिट ने एक नया क़ानून पास किया। इसे पिट का इण्डिया बिल कहते हैं। इसके अनुसार एक प्रबन्धकारिणी सभा बनाई गई, जिसमें ६ सदस्य थे। इसका नाम 'बोर्ड आफ़ कन्ट्रोल' रक्खा गया। इसका काम यह था कि वह हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट की बागडोर अपने हाथ में रक्खे। इस क़ानून के अनुसार गवर्नर-जनरल को पार्लियामेंट की सलाह के बिना किसी देशी राजा या नवाब से सन्धि अथवा युद्ध करने का अधिकार नहीं रहा। सन् १७८४ ई० से यही सभा भारत का शासन करने लगी। इस क़ानून से कम्पनी की शक्ति कम हो गई; परन्तु गवर्नर-जनरल और उसकी कौंसिल को पहले से अधिक अधिकार मिल गये।

अध्याय १५

लार्ड कार्नवालिस, दूसरा गवर्नर-जनरल

गवर्नर-जनरल का अधिकार (सन् १७८६ ई० से १७९३ ई० तक) लार्ड कार्नवालिस सन् १७८६ ई० में गवर्नर-जनरल होकर आया। वह एक धनाढ्य आदमी था। इँगलैंड में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी, और इसी लिए उसे अधिकार भी हेस्टिंग्ज़ से अधिक मिले थे। वह शान्त स्वभाव का मनुष्य था और पिट के इण्डिया बिल के अनुकूल ही कार्य करना चाहता था, परन्तु भारत की स्थिति ऐसी थी कि उसे युद्ध की तैयारी करनी पड़ी।

मैसूर की तीसरी लड़ाई (सन् १७९०–९२ ई०)—मँगलोर की सन्धि के बाद टीपू ने ८ वर्ष तक शान्तिपूर्वक राज्य किया। इस बीच में उसने अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ा लिया और उसे ख़ूब सङ्गठित किया। मैसूर के आसपास के देश भी उसने जीत लिये जिससे उसका अभिमान और भी अधिक बढ़ गया। अँगरेज़ों से वह बड़ी घृणा करता था और उन्हें हिन्दुस्तान से बाहर निकाल देना चाहता था।

अन्ततः अपनी शक्ति के घमण्ड में टीपू ने सन् १७८९ ई० में ट्रावनकोर पर हमला किया। ट्रावनकोर का राजा अँगरेज़ों का मित्र था। उसने उनसे मदद माँगी। पिट के इण्डिया बिल के अनुसार कार्नवालिस को किसी देशी राजा के साथ सन्धि अथवा युद्ध करने का अधिकार न था, परन्तु ट्रावनकोर का राजा अँगरेज़ों का मित्र था और टीपू था उनका कट्टर शत्रु, इसलिए उसने राजा को सहायता का वचन दिया। गवर्नर-जनरल ने निज़ाम और मरहटों से भी इस युद्ध में शामिल होने को कहा। उन दोनों ने इस बात को स्वीकार कर लिया।

लार्ड कार्नवालिस स्वयं कलकत्ते से सेना लेकर बँगलोर की ओर बढ़ा। उसने आसपास के कई क़िले जीत लिये, पर निज़ाम और मरहठों ने जो सेना भेजी, वह किसी काम की न थी। लड़ाई के समय वह लूट-मार में लगी रही। बँगलौर और उसके आसपास के ज़िलों को जीतकर लार्ड कार्नवालिस श्रीरङ्गपट्टन की ओर चला। ऐसी दशा में टीपू ने जीत की आशा छोड़ सन्धि कर ली।

श्रीरङ्गपट्टन की सन्धि—श्रीरङ्गपट्टन में सन् १७९२ ई० में सन्धि हुई। टीपू को आधा राज्य और ३ करोड़ रुपया लड़ाई का ख़र्च देना पड़ा। डेढ़ करोड़ रुपया तो उसी समय अदा कर दिया और शेष की ज़मानत के रूप में उसने अपने दो बेटों को अँगरेज़ों के हवाले किया।

निज़ाम और मरहठों ने युद्ध में कुछ भाग नहीं लिया था; इसलिए जीते हुए देश पर उनका कोई हक़ न था। परन्तु अँगरेज़ उन्हें प्रसन्न रखना चाहते थे, इससे उन्हें भी बराबर भाग दे दिया। निज़ाम को उत्तर-पूर्वीय भाग मिला और मरहठों को पश्चिमीय। पश्चिमीय समुद्र-तट पर मलाबार और कर्नाटक के दो ज़िले, जो अब सेलम और मदूरा कहलाते हैं, अँगरेज़ों को मिले। इस प्रकार मैसूर की तीसरी लड़ाई का अन्त हुआ।

इस्तमरारी बन्दोबस्त—मुग़ल-राज्य में सारी ज़मीन बादशाह की समझी जाती थी। बादशाह के नौकर लगान वसूल करके सरकारी ख़ज़ाने में जमा करते थे। कभी ज़मीन ठेके पर दे दी जाती थी और ठेकेदार प्रजा से जितना चाहते उतना लगान वसूल करते थे। ये सरकारी नौकर धीरे-धीरे ज़मींदार हो गये। मुग़ल-साम्राज्य का अन्त होने पर भी यही प्रथा जारी रही। लगान वसूल करने में ज़मींदार बड़ा अत्याचार

करते थे। अधिक रुपया वसूल करने के अतिरिक्त वे प्रजा के साथ बड़ी कठोरता का बर्ताव करते थे। बंगाल में जब कम्पनी का राज्य स्थापित हो गया तब लोगों ने शिकायत की। हेस्टिंग्ज़ ने सुधार करने की चेष्टा की; परन्तु उसका कोई विशेष फल नहीं हुआ। सन् १७७२ ई० में उसने पञ्चसाला बन्दोवस्त जारी किया और मालगुज़ारी का ठेका देना शुरू कर दिया। ठेकेदार किसानों को बहुत सताते थे। सरकारी रुपया भी कम वसूल होता था। इस पर हेस्टिंग्ज़ ने सालाना बन्दोवस्त कर दिया; परन्तु तब भी कुछ लाभ न हुआ। रुपया भी कठिनाई से वसूल होता था और प्रजा को भी कष्ट उठाना पड़ता था।

कार्नवालिस स्वयं एक धनाढ्य जमींदार था। इँगलैंड में ज़मीन का मालिक ज़मींदार ही समझा जाता था। उसने यहाँ भी वैसे ही जमींदार बनाने का विचार किया। सन् १७९३ ई० में उसने जमींदारों को ज़मीन दे दी और मालगुज़ारी, जो वे कम्पनी को देते थे, सदा के लिए नियत कर दी। ज़मींदार अपनी जमीन का पूरा मालिक हो गया और उसे भूमि-कर के घटने-बढ़ने का डर न रहा।

इस्तमरारी बन्दोवस्त से सरकार को बड़ी हानि हुई और जमींदारों को बड़ा लाभ हुआ, क्योंकि ज़मीन की कीमत बढ़ जाने से उनकी आय बढ़ गई। सरकार को वे जो कर देते थे उसमें कोई बढ़ती नहीं हुई, क्योंकि वह तो पहले ही से नियत हो चुका था। इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार ने इस कमी को दूसरे सूबों से, अधिक कर वसूल करके, पूरा किया।

सरकार को लाभ यह हुआ कि वह बार-बार के बन्दोबस्तों की उलझनों से बच गई और उसे अपनी मालगुज़ारी वसूल होने का कुछ भी खटका न रहा। जमींदारों की आर्थिक दशा सुधर गई। उन्होंने सन् १८५७ ई० के गजविद्रोह के समय सरकार की पूरी सहायता की। कार्नवालिस ने किसानों

की सुविधाओं का भी ख़याल रक्खा और ऐसे नियम बना दिये जिनसे उनके स्वत्वों की रक्षा हुई।

शासन-सुधार—लार्ड कार्नवालिस ने अदालतों का भी सुधार किया। उसने हर एक ज़िले में माल के मुक़दमों का फ़ैसला करने के लिए जज नियत किये और कलकत्ता, ढाका, पटना तथा मुर्शिदाबाद में चार बड़ी-बड़ी अदालतें स्थापित कीं। ये सब अदालतें 'सदर दीवानी अदालत' के अधीन थीं जो कलकत्ते में थी। फ़ौजदारी का काम उसने नायब नाज़िमों के हाथ से ले लिया और सूबों के चार जजों के लिए नियम बनाया कि वे अपने-अपने ज़िलों में दौरा कर फ़ौजदारी के मुक़दमों का फ़ैसला किया करें। सबसे बड़ी फ़ौजदारी की अदालत 'सदर निज़ामत अदालत' कलकत्ते में थी। जजों की सहायता के लिए हिन्दू पण्डित और मुसलमान क़ाज़ी अदालतों में रहते थे। फ़ौजदारी क़ानून का भी सुधार किया गया। जो कठोर दण्ड मुसलमानी समय से चले आते थे, बन्द कर दिये गये। पुलिस का भी अच्छा प्रबन्ध किया गया।

लार्ड कार्नवालिस को हिन्दुस्तानियों पर विश्वास नहीं था। उसने यह नियम बनाया कि हिन्दुस्तानी ऊँचे पदों पर नियुक्त न किये जायँ। कम्पनी के नौकरों की तनख़्वाहें उसने बढ़ा दीं, जिससे वे घूस न लें और निज का कोई व्यापार न करें।

अध्याय १९

सर जान शोर, तीसरा गवर्नर-जनरल

([illegible])

सर जान शोर की नीति—[illegible]

जान [illegible]

जनरल हुआ। वह पिट के बिल की नीति का पूरा पक्षपाती था। इँग्लेंड की सरकार की यह आज्ञा थी कि भारत के शासक न तो देशी राजाओं अथवा नवाबों के साथ किसी प्रकार की छेड़-छाड़ करें और न उनके झगड़ों में ही भाग लें। इस आज्ञा का सर जान शोर ने पूरी तरह से पालन किया और इस बात की चेष्टा की कि शान्ति बनी रहे।

परन्तु टीपू और मरहठे कब माननेवाले थे। टीपू अपनी खोई हुई शक्ति को फिर प्राप्त करना चाहता था और मरहठों को निज़ाम तथा टीपू को जीतकर दोनों से चौथ लेने की इच्छा थी।

निज़ाम पर चढ़ाई—मरहठों ने निज़ाम से चौथ माँगी। उसने कई वर्ष से चौथ नहीं दी थी। वास्तव में उसके पास न तो रुपया था और न उसमें लड़ने की ही शक्ति थी। परन्तु सन् १७९४ ई० में मरहठों ने निज़ाम पर चढ़ाई कर दी। निज़ाम अँगरेज़ों का मित्र था। उसने उनसे अपनी पहली सन्धि के अनुसार सहायता की प्रार्थना की, परन्तु सर जान शोर ने साफ़ इनकार कर दिया और लिख दिया कि मैं इँग्लेंड की सरकार की आज्ञा के विरुद्ध काम नहीं कर सकता।

खर्दा की लड़ाई—अब क्या था, मरहठों की चढ़ बनी। मरहठे सर्दार ग्वालियर, इन्दौर, बरार और गुजरात से सेना ले-लेकर निज़ाम पर चढ़ दौड़े। निज़ाम के पास इतनी सेना न थी जो मरहठों का सामना करती। अपनी [illegible] होकर वह युद्ध के लिए तैयार हुआ। सन् १७९५ ई० में खर्दा नामक स्थान पर जिसे कर्दला भी कहते हैं [illegible] लड़ाई हुई। निज़ाम हार गया। उसे मरहठों से सन्धि करनी पड़ी। [illegible] उसने मरहठों को दे दिया और [illegible] बचा उसकी [illegible] चौथ देने की प्रतिज्ञा की

सर जान शोर की नीति ने निज़ाम को चौपट कर दिया। [illegible]स्तव में निज़ाम की सहायता करना अँगरेज़ों का कर्त्तव्य था, [illegible]योंकि वह उनका मित्र था। इसका परिणाम यह हुआ कि [illegible]रहठों की शक्ति अधिक हो गई; निज़ाम अप्रसन्न हो गया और [illegible]टीपू फ्रांसीसियों से सन्धि की बातचीत करने लगा। अफ़ग़ानि-[illegible]स्तान के बादशाह ज़मानशाह को भी उसने अपनी सहायता के [illegible]लिए बुलाया।

अध्याय १७

लार्ड वेलेज़ली, चौथा गवर्नर-जनरल

(सन् १७९८ ई० से १८०५ ई० तक)

सर जान शोर के बाद मई सन् १७९८ ई० में लार्ड वेले-ज़ली हिन्दुस्तान का गवर्नर-जनरल होकर आया। उसके साथ उसका छोटा भाई कर्नल वेलेज़ली भी था। वह बड़ा वीर योद्धा था और अपने पराक्रम से ही उन्नति करते-करते अन्त में इंग्लैंड के प्रधान मन्त्री के पद पर पहुँच गया था।

भारत की दशा—जिस समय लार्ड वेलेज़ली आया उस समय भारतवर्ष की दशा अच्छी न थी। चारों ओर अशान्ति फैल रही थी। प्रजा की रक्षा का कोई प्रबन्ध न था। सन् १७८४ ई० के क़ानून को बिना सोचे-समझे अमल में लाने से कम्पनी की प्रतिष्ठा को हानि पहुँची। हिन्दुस्तान के राजाओं में टीपू और मरहठे ही सबसे अधिक बलवान् थे। टीपू, जैसा पहले कह चुके हैं, अँगरेज़ों का कट्टर शत्रु था। फ्रांस में इस समय राज्य-क्रान्ति के पश्चात् नेपोलियन बोनापार्ट [illegible] फ्रांस का एक प्रसिद्ध जनरल था, मिस्र ले [illegible] इसने हिन्दुस्तान पर

आक्रमण करने के अभिप्राय से टीपू से लिखा-पढ़ी की थी। ग
हिन्दुस्तान में फ़्रांसीसियों का प्रभुत्व स्थापित करना चाहता थ
इसी लिए बहुत से फ़्रांसीसी सिन्धिया, निज़ाम और दूसरे देशी
राजाओं तथा नवाबों की सेनाओं में भर्ती हो गये थे। टीपू
अफ़ग़ानिस्तान के बादशाह ज़मानशाह से भी सहायता माँगी थी
निज़ाम और मरहठे भी चुपके-चुपके टीपू से मिलने की चे
कर रहे थे। सन् १७९८ ई० में अँगरेज़ इसी कठिन स्थिति
थे। लार्ड वेलेज़ली ने आते ही समझ लिया कि यदि दे
राजाओं की स्वतन्त्रता रहेगी तो हिन्दुस्तान में शान्ति स्थापि
होना कठिन है। इसलिए उसने कम्पनी को सबसे अधिक शक्ति
मान् बनाने का निश्चय किया।

इसी समय टीपू ने फ़्रांसीसियों से, अँगरेज़ों पर चढ़ाई क
की इच्छा से, सन्धि की। गवर्नर-जनरल को जब इसकी सूच
मिली तब उसने टीपू से कहा कि फ़्रांसीसियों से मित्रता न
करो। परन्तु टीपू ने न माना और युद्ध की तैयारी आरम्भ क
दी। ऐसी अवस्था में मरहठे और निज़ाम कब चुप बैठनेवा
थे। उधर ज़मानशाह उत्तरी भारत पर हमला करने की धम
दे रहा था। इस कठिन स्थिति को देख लार्ड वेलेज़ली को ब
चिन्ता हुई; परन्तु उसने धैर्य से काम लिया। वह युद्ध
तैयारी करने लगा।

सहायक सन्धि—यदि ऐसे समय में लार्ड वेलज़ल
हस्तक्षेप न करने की नीति से काम न लेता तो अँगरेज़ी राज्य प
चारों ओर से आक्रमण होने लगते और शत्रु-दल का साम
करना कठिन हो जाता। परन्तु वह बड़ा वीर और साहसी था
डाइरेक्टरों की आज्ञा की वह कुछ भी परवा नहीं करता था
ब्रिटिश-राज्य की रक्षा करने और शान्ति स्थापित रखने के लि
उसने "सहायक सन्धि" की प्रथा निकाली और देशी राजाओं
और नवाबों को लिखा कि वे फ़्रांसीसियों को निकाल दें और

देश में शान्ति स्थापित रखने और उनकी रक्षा करने के लिए अँगरेज़ी सेना रक्खें, उसका ख़र्च दें और अँगरेज़ों का आधिपत्य स्वीकार करें। इनके बदले में अँगरेज़ों ने देशी राज्यों की रक्षा करने की प्रतिज्ञा की और यह भी कहा कि हम शान्तिपूर्वक राज्य करने में शासकों की पूरी-पूरी सहायता करेंगे। यह नीति नई नहीं थी। वारेन हेस्टिंग्ज़ ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ भी ऐसा ही किया था; परन्तु लार्ड वेलेज़्ली ने इस नीति का विशेष प्रयोग किया। इसका परिणाम यह हुआ कि अँगरेज़ी राज्य सदा के लिए भारत में दृढ़ हो गया। परन्तु सहायक सन्धि की प्रथा बिल्कुल दोषरहित नहीं थी। देशी राज्य अँगरेज़ी सरकार पर अधिक भरोसा करने लगे और कमज़ोर होने गये। राजा, नवाब आराम-तलब हो गये और भोग-विलास में दिन बिताने लगे। कम्पनी को उन्हें रुपया देना पड़ता था। बहुधा इस रुपये के देने में देर होती थी। रुपया न देने पर इनके राज्य का भाग अँगरेज़ी राज्य में मिला लिया जाता था।

निज़ाम के साथ सन्धि—वेलेज़्ली ने पहले निज़ाम से सन्धि करने को कहा। निज़ाम का राज्य नाम को राज्य था, शक्ति उसमें कुछ भी न थी। वह मरहठों से भी डरता था और टीपू से भी। उसने तुरन्त ही "सहायक सेना" रखना और सन्धि करना स्वीकार कर लिया। अँगरेज़ों ने भी रक्षा करने का वचन दिया। अब निज़ाम ने उन फ़्रांसीसियों को निकाल दिया जो उसके यहाँ नौकर थे, और अँगरेज़ी सेना चुना ली। एक अँगरेज़ी पलटन शीघ्र ही हैदराबाद भेजी गई। निज़ाम ने इक़रार-नामा लिख दिया कि वह किसी यूरोप-निवासी को, बिना अँगरेज़ी सरकार की आज्ञा के नौकर नहीं रक्खेगा। [illegible] ने
[illegible]

मैसूर की चौथी लड़ाई (सन् १७६६ ई०)—टीपू अँगरेज़ों से बड़ी शत्रुता रखता था। उसने उन्हें हिन्दुस्तान से निकालने के लिए फ्रांस की गवर्नमेन्ट से लिखा-पढ़ी की। जब सन् १७६८ ई० में मौरीशस के गवर्नर ने टीपू की मदद के लिए कुछ सिपाही भी इकट्ठे किये। वेलेज़ली इस बात से बहुत नाराज़ हुआ। टीपू से सहायक सन्धि स्वीकार करने को भी कहा गया परन्तु उसने कुछ ध्यान न दिया। जो अफ़सर गवर्नर-जनरल का सन्देसा लेकर उसके पास गया था उससे उसने भेंट भी न की। इसी पर वेलेज़ली ने लड़ाई की घोषणा कर दी।

एक सेना मदरास से जनरल हैरिस के साथ और दूसरी बम्बई से जनरल स्टुअर्ट के साथ भेजी गई। निज़ाम ने बीस हज़ार सैनिक अपने बेटे के साथ भेजे परन्तु वास्तव में उनका सेनापति गवर्नर-जनरल का भाई कर्नल वेलेज़ली था।

टीपू ने पहले बम्बई की सेना पर धावा किया परन्तु वह हार गया। इसके बाद उसने कर्नाटक की सेना पर, मलावली नामक स्थान पर, छापा मारा परन्तु इसमें भी उसकी हार हुई। अब दोनों अँगरेज़ी सेनाओं ने उसे दबाया और उसको राजधानी श्रीरङ्गपट्टन में उसे घेर लिया। इस हार के कारण उसे बड़ा दुख हुआ। वह पागल आदमी की तरह आचरण करने लगा। उसके यहाँ जितने अँगरेज़ क़ैदी थे सबको उसने मरवा डाला।

अब अँगरेज़ी सेना ने श्रीरङ्गपट्टन का घेरा आरम्भ किया। जनरल बेअर्ड ने, जो एक बार टीपू के यहाँ चार वर्ष तक क़ैद रहा था, क़िले पर गोलियों की बौछार की। टीपू के सिपाही बड़ी वीरता से लड़े परन्तु हार गये और वह भी स्वयं लड़ता हुआ मारा गया। थोड़ी देर में अँगरेज़ों ने शहर जीत लिया।

मैसूर का प्रबन्ध—टीपू के राज्य का कुछ अंश तो अँग-

दिया। यदि मरहठे टीपू के साथ मिल जाते तो अँगरेज़ों का आधिपत्य इतने थोड़े समय में स्थापित न होता।

कम्पनी के राज्य का विकास—वेलेज़ली भारत में अँगरेज़ों का आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। मैसूर की लड़ाई के बाद उसे कम्पनी के राज्य को बढ़ाने का मौक़ा मिला। सन् १७९९ ई० में तंजौर के राजा ने अपना सारा इलाक़ा अँगरेज़ों को सौंप दिया और स्वयं पेन्शन लेना स्वीकार कर लिया। सूरत की नवाबी का भी यही हाल हुआ। नवाब को पेन्शन दे दी गई और उसका राज्य अँगरेज़ी राज्य में मिला लिया गया।

कर्नाटक का नवाब मुहम्मदअली, जिसका पहले वर्णन हो चुका है, अँगरेज़ों का मित्र था। वह १७९५ ई० में मर गया। उसके बाद उसका बेटा नवाब हुआ। उसने भी राज्य का प्रबन्ध नहीं सँभाला। श्रीरङ्गपट्टन की लड़ाई के समय दोनों नवाबों की कुछ चिट्ठियाँ ऐसी पकड़ी गईं जिनमें उन्होंने टीपू को अँगरेज़ों के विरुद्ध मदद देने का वादा किया था। सन् १८०१ ई० में नवाब की मृत्यु होने पर वेलेज़ली ने कर्नाटक को अँगरेज़ी राज्य में मिला लिया और नवाब के रिश्तेदारों को पेन्शनें दे दीं। आज-कल इतिहास-लेखक मानते हैं कि चिट्ठियों का सबूत काफ़ी नहीं था, परन्तु शासन-प्रबन्ध अच्छा न था। [illegible]

[illegible]

वेलेज़ली और अवध—अवध का देश सदा से अँगरेज़ों के अधीन था। लार्ड वेलेज़ली ने सोचा कि पश्चिमोत्तर सीमा सुरक्षित करने के लिए अवध में भी सहायक सेना रखना आवश्यक है। ज़मानशाह की चढ़ाई की ख़बर सुनकर उसे अधिक चिन्ता हुई। पहले तो नवाब ने आना-कानी की परन्तु जब लार्ड वेलेज़ली स्वयं लखनऊ गया और उसने नवाब को धमकी दी तब वह मान गया। एक अँगरेज़ी सेना अवध में भेजी गई और नवाब ने उसका ख़र्चा देना स्वीकार कर लिया। इस ख़र्चे के लिए उसने दोआब के कुछ ज़िले अँगरेज़ों को दे दिये।

इस प्रकार लार्ड वेलेज़ली ने बहुत से देशी राज्यों को कम्पनी का आधिपत्य स्वीकार करने पर विवश किया। कम्पनी की शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों बहुत बढ़ गई। केवल मरहठों ने सहायक-नीति को स्वीकार नहीं किया था। अब वेलेज़ली ने उनसे लड़ने की तैयारी की।

अध्याय १८

वेलेज़ली और मरहठे

पेशवा की स्थिति—जिस समय लार्ड वेलेज़ली हिन्दु-स्तान में आया था, [illegible]

ताप्ती नदी
दामन
नासिक
औरंगाबाद
गोदावरी नदी
बेसीन
बम्बई
अहमदनगर
पूना
सतारा
शोलापुर
भीमा नदी
कोल्हापुर
बीजापुर

की सेना से बहुत बड़ी थी और कहते हैं कि इस समय लड़ाई के मैदान में तीन लाख मरहठे उपस्थित थे।
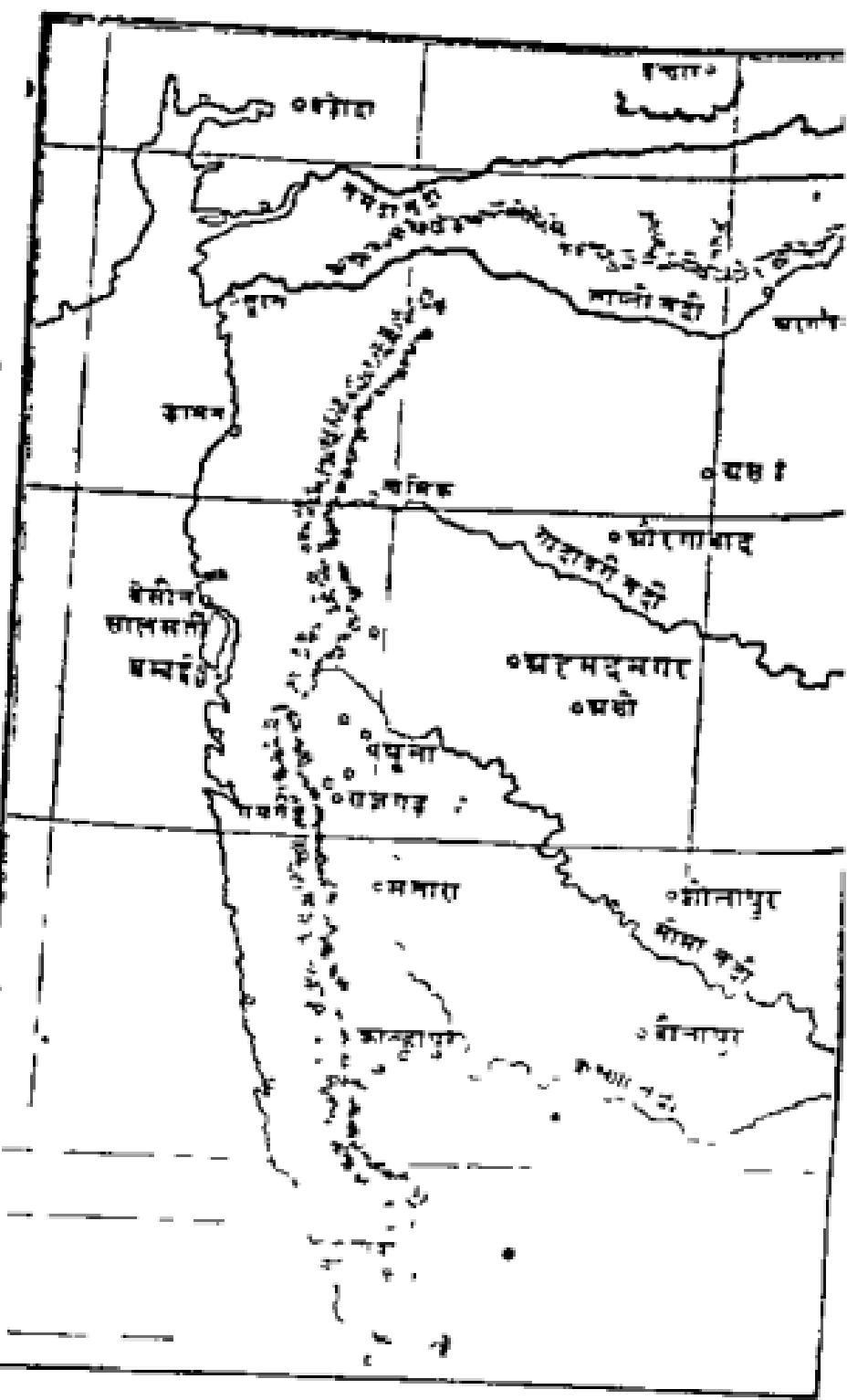
असी और अरगाँव की लड़ाइयाँ—सन् १८०३ ई० में असी नामक स्थान पर, जो निज़ाम के राज्य में है, दोनों सेनाओं में मुठभेड़ हुई। कर्नल वेलेज़ली के पास केवल ४,७०० सिपाही थे जिनमें १,५०० गोरे थे। मरहठे बड़ी वीरता से लड़े परन्तु उनकी हार हुई। लड़ाई जारी रही। अरगाँव नामक स्थान पर भोंसला की हार हुई। उसने देवगाँव में सन्धि कर ली। कटक तथा बरार के ज़िले अँगरेज़ों को मिल गये और भोंसला ने सहायक-रीति के सारे नियम स्वीकार कर लिये।

जनरल लेक ने उधर उत्तरी हिन्दुस्तान में अलीगढ़ का किला जीत लिया। इसके बाद दिल्ली, आगरा भी उसके हाथ आ गये। लार्ड लेक ने जब दिल्ली के क़िले में प्रवेश किया तब उसने मुग़ल बादशाह शाहआलम को बड़ी दुर्दशा में पाया। अँगरेज़ों ने बादशाह के साथ दया का बर्ताव किया, उसकी पेन्शन नियत कर दी और अपने पूर्वजों के महलों में रहने की आज्ञा दे दी। इसके बाद लेक ने मरहठों को लासवाड़ी नामक स्थान पर, जो अलवर की रियासत में है, फिर पराजित किया।

सिन्धिया के साथ सन्धि—युद्ध समाप्त हो गया। सिन्धिया ने सुर्जीअर्जुनगाँव नामक स्थान पर सन्धि [illegible] [illegible]

[illegible]

युद्ध का परिणाम [illegible]

[illegible]

अँगरेज़ी राज्य का विस्तार भी अधिक हो गया और चारों ओर अँगरेज़ों की धाक बैठ गई।

मरहठों की तीसरी लड़ाई (सन् १८०४-५ ई०)—मरहठों में अब केवल होल्कर रह गया जिसने अभी तक अँगरेज़ों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। जब अँगरेज़ी सेना सिन्धिया और भोंसला से लड़ने में लगी हुई थी तब होल्कर ने उत्तरी भारत और राजपूताना में खूब लूट-मार की। इस समय उसके पास अस्सी हज़ार के लगभग सेना थी। यह सेना मालवा और राजपूताना में लूट-मार करती और राजपूत राजाओं पर आक्रमण करती थी।

सन् १८०४ ई० में होल्कर के साथ लड़ाई आरम्भ हुई। कर्नल मॉनसन सिन्धिया की एक सेना के साथ चला परन्तु होल्कर की सेना ने उसे घेर लिया। इससे घबराकर वह आगरे की ओर लौटा। इतने में बरसात आरम्भ हो गई। नदियों में बाढ़ आ गई। मॉनसन बड़ी कठिनाई से आगरे पहुँचा। होल्कर ने मथुरा पर धावा किया और फिर दिल्ली की ओर बढ़ा परन्तु वहाँ उसे सफलता न हुई। दिल्ली से वह भरतपुर की ओर चला गया। वहाँ के राजा ने उसे मदद दी। सन् १८०४ ई० में डोग की लड़ाई में लेक ने होल्कर और भरतपुर की सेना को पराजित किया। कुछ दिन बाद लेक ने फिर होल्कर को फ़र्रुखाबाद के पास हराया। होल्कर अपने देश की तरफ़ भाग गया। डोग का क़िला अँगरेज़ों ने जीत लिया। दक्षिण और मालवा में भी जो उसके क़िले थे वे भी अँगरेज़ों के अधिकार में आ गये।

भरतपुर का घेरा—होल्कर को पराजित करने के बाद लेक ने भरतपुर पर चढ़ाई की। भरतपुर का क़िला मिट्टी का बना हुआ था और हिन्दुस्तान के सब क़िलों में मज़बूत समझा जाता था। लेक ने उसे जीतने की चेष्टा कई बार की परन्तु

जाटों ने अँगरेज़ी सेना को पीछे हटा दिया। अन्त में लेक ने क़िले को घेर लिया। साढ़े तीन महीने की लड़ाई के बाद रा[illegible] ने अँगरेज़ों से सन्धि कर ली।

वेलेज़ली का इस्तीफ़ा—वेलेज़ली से कम्पनी के [illegible] रेक्टर असन्तुष्ट थे। इसलिए उसने सन् १८०५ ई० में इस्ती[illegible] दे दिया और वह इँगलैंड लौट गया।

वेलेज़ली की नीति का फल—जिस समय वे[illegible] ज़ली हिन्दुस्तान आया था, कम्पनी की स्थिति अच्छी न थी। उसके शत्रु चारों ओर युद्ध करने पर कमर कसे हुए थे। वे[illegible] ज़ली ने वीरता के साथ एक-एक को परास्त किया और अँग[illegible] रेज़ों का आधिपत्य स्वीकार करने पर विवश किया। मुग़[illegible] सम्राट् कम्पनी का पेन्शनर होगया। मरहठों ने सहायक-सन्धि[illegible] की रीति स्वीकार कर ली। बहुत से नये ज़िले कम्पनी को मि[illegible] गये। बम्बई और मदरास प्रान्त बन गये और अँगरेज़ी रा[illegible] का विस्तार पहले से अधिक हो गया। अँगरेज़ों का सामना करने योग्य कोई राजा अथवा नवाब अब हिन्दुस्तान में [illegible] रहा। उसने फ़्रांसीसियों की जड़ काट डाली और उन्हें [illegible] के लिए असमर्थ कर दिया।

अध्याय १६

लार्ड कार्नवालिस—सर जार्ज बार्लो

कार्नवालिस—सन् १८०५ ई० में लार्ड कार्नवालिस, जो पहले हिन्दुस्तान का गवर्नर-जनरल रह चुका था, [illegible]

[illegible]

गया था, इसलिए डाइरेक्टरों ने भी कहा कि कम्पनी को
यापार की उन्नति से मतलब है; देशी राजाओं के झगड़ों में
ड़ना उसका काम नहीं है। कार्नवालिस ने इसी नीति से काम
लया। उसने शीघ्र, लार्ड लेक के मना करने पर भी, होल्कर
सन्धि करने की तैयारी कर दी।

परन्तु कार्नवालिस बहुत बूढ़ा हो गया था। उसकी अवस्था
लगभग ७० वर्ष की थी। वह ग़ाज़ीपुर में, ५ अक्टूबर सन्
८०५ ई० को, मर गया। यदि वह जीवित रहता तो वेलेज़ली
ी नीति को उलट देता और कम्पनी को बड़ी हानि पहुँचाता।

सर जार्ज वार्लो—(सन् १८०५ ई० से १८०७ ई०
तक)—लार्ड कार्नवालिस के बाद कौंसिल का सबसे बड़ा मेम्बर
सर जार्ज वार्लो, थोड़े समय के लिए, गवर्नर-जनरल के पद पर
नियुक्त हुआ। वह भी हस्तक्षेप न करने की नीति का प्रयोग
करना चाहता था। लार्ड लेक के मना करने पर भी उसने
होल्कर से सन्धि कर ली। सिन्धिया को प्रसन्न करने के लिए
उसने ग्वालियर और गोहद के क़िले उसे लौटा दिये। इसका
परिणाम यह हुआ कि मरहठे फिर छोटी-छोटी रियासतों पर
छापा मारने और अपनी खोई हुई शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न
करने लगे।

वैलोर का ग़दर—मैसूर की चौथी लड़ाई के बाद टीपू
के दो बेटे वैलोर के क़िले में रहने के लिए भेज दिये गये थे।
वहाँ सिपाहियों ने नये फ़ौजी नियमों से असन्तुष्ट होकर उप-
द्रव किया। उन्होंने ११३ गोरे सिपाही मार डाले और अँगरेज़ों
से, जो वहाँ थे, लड़ाई ठान ली। यह विद्रोह अधिक नहीं बढ़ने
पाया और शीघ्र दबा दिया गया। टीपू के लड़कों पर यह दोष
लगाया गया कि उन्होंने सिपाहियों को भड़काया था। परन्तु
यह दोष बिलकुल निर्मूल था। इस सन्देह का फल यह हुआ

कि वे कलकत्ते भेज दिये गये। वहाँ पहले से अधिक उन
निगरानी होने लगी। सन् १८०७ ई० में सर जार्ज बार्लो म
रास का गवर्नर बनाकर भेज दिया गया और उसके स्थान
लार्ड मिन्टो गवर्नर-जनरल नियुक्त हुआ।

अध्याय २०
लार्ड मिन्टो
(सन् १८०७ ई० से १८१३ ई० तक)

देश में अशान्ति—लार्ड मिन्टो ने भी कार्नवालिस औ
सर जार्ज बार्लो की नीति को जारी रक्खा। उसने देशी रि
सतों के लड़ाई-झगड़ों में कुछ भी भाग नहीं लिया। मध
भारत में अशान्ति फैल गई और मरहठे फिर छोटे-छोटे रा
पर अत्याचार करने लगे। बुन्देलखण्ड के सर्दारों ने उपद्रव कि
परन्तु लार्ड मिन्टो ने शीघ्र ही एक सेना भेज दी जिसने उ
शान्त कर दिया। पञ्जाब में सिक्खों का ज़ोर था। नादिरश
और अहमदशाह की चढ़ाइयों के बाद हिन्दुस्तान में जो गा
बड़ी फैली उससे सिक्खों ने बड़ा लाभ उठाया। उन्होंने पञ्जा
पर अपना अधिकार जमा लिया। सिक्खों में सबसे प्रभावशा
सर्दार रणजीतसिंह था। रणजीतसिंह का जन्म सन् १७८
ई० में हुआ था। १६ वर्ष की अवस्था में उसने लाहौर को ल
लिया और राजा की उपाधि ली। धीरे-धीरे उसने मुसलमा
से लड़कर अमृतसर, मुल्तान, काश्मीर और पेशावर पर अ
अधिकार स्थापित कर लिया और सतलज नदी तक अपने रा
का विस्तार कर लिया।

विदेशी राज्यों के साथ सम्बन्ध—जब रणजीतसि
ने अपने हाथ-पैर फैलाने शुरू किये और सरहिन्द प
चढ़ाई की तब वहाँ के सर्दारों ने अँगरेज़ी सरकार से मद

माँगी। अँगरेज़ों को इस समय फ्रांस का भी बड़ा डर था क्योंकि यूरोप में इंगलैंड और फ्रांस में लड़ाई हो रही थी। लार्ड मिन्टो ने सर चार्ल्स मेटकाफ़ को एलची बनाकर भेजा। सन् १८०८ ई० में सन्धि हो गई और सतलज नदी तक अँगरेज़ी राज्य की सीमा नियत हो गई। अँगरेज़ों और सिक्ख राज्यों में परस्पर मेल हो गया। लार्ड मिन्टो ने काबुल और फ़ारस को भी दूत भेजे। इन देशों के बादशाहों के साथ सन्धि हो गई और उन्होंने वादा किया कि हम अँगरेज़ों के सिवा और किसी यूरोपीय जाति के सैनिकों को अपने देश में होकर नहीं निकलने देंगे।

हस्तक्षेप न करने की नीति ने देश में बड़ी अशान्ति फैला दी। राजपूताना में राजा लोग आपस में लड़ने लगे। पिन्डारियों का भी ज़ोर दिन पर दिन बढ़ता जाता था। वे देश में लूटमार कर रहे थे। यह प्रकट हो गया था कि इस नीति का प्रयोग अब नहीं हो सकता था। इससे कम्पनी के राज्य को बहुत बड़ी हानि पहुँचने का डर था।

अध्याय २१

लार्ड हेस्टिंग्ज़

(सन् १८१३ ई० से १८२३ ई० तक)

कम्पनी का आज्ञापत्र—सन् [illegible] ई० में कम्पनी [illegible]

प्रजा के सुख और रक्षा का प्रयत्न करना चाहिए और दूसरे लोगों को भी व्यापार करने की आज्ञा मिलनी चाहिए। इसके पहले कम्पनी के सिवा किसी अँगरेज़ व्यापारी को हिन्दुस्तान में व्यापार करने की आज्ञा नहीं थी। कम्पनी के सञ्चालकों ने इस प्रस्ताव का बड़ा विरोध किया परन्तु उनकी एक न चली। उनका ठेका टूट गया और यह आज्ञा हो गई कि जिसका जी चाहे वह हिन्दुस्तान में व्यापार करे। इसी समय यह भी प्रश्न उठा कि हिन्दुस्तान के लोगों की शिक्षा का प्रबन्ध करना कम्पनी का कर्त्तव्य है। इसका भी विरोध हुआ परन्तु बहुत सी बहस के बाद शिक्षा-प्रचार के लिए एक लाख रुपया मंज़ूर किया गया।

लार्ड हेस्टिंग्ज़—इसी समय लार्ड हेस्टिंग्ज़ हिन्दुस्तान का गवर्नर-जनरल होकर आया। वह बड़ा वीर और अनुभवी शासक था। उसने बड़े कठिन समय में योग्यता के साथ कम्पनी के राज्य का प्रबन्ध किया। उसने आते ही देखा कि हिन्दुस्तान में बड़ी अशान्ति फैल रही है। उत्तर और दक्षिण में पिण्डारी लूट-मार कर रहे थे। मध्य प्रदेश में मरहठे उपद्रव करने के लिए तैयार थे। देशी रियासतें आपस में लड़ाई-झगड़ा करती थीं। हेस्टिंग्ज़ ने आते ही कम्पनी के डाइरेक्टरों को लिखा कि यदि इस समय वेलेज़ली की नीति काम में न लाई जायगी तो अँगरेज़ी राज्य पर कठिन आपत्ति आ जायगी। इँगलेंड की सरकार और डाइरेक्टरों को लार्ड हेस्टिंग्ज़ की योग्यता पर भरोसा था। इसलिए उन्होंने उसे पूरा अधिकार दे दिया और कहा कि कम्पनी के राज्य की रक्षा और उन्नति के लिए जो कुछ आवश्यक हो करो।

गोरखों की लड़ाई (सन १८१४–१६ ई०)—गोरखा एक पहाड़ी जाति है। ये लोग नैपाल देश में रहते हैं, जो हिन्दुस्तान और तिब्बत के बीच हिमालय पर्वत की अधियों में है।

ार्ड हेस्टिंग्ज़ के आने के कुछ दिन पहले गोरखों ने हिन्दुस्तान
ी ओर बढ़ना आरम्भ कर दिया था और बुटवल और श्योराज
ामक दो गाँव, जो अवध के उत्तर में थे, छीन लिये थे । ये
ाँव अँगरेज़ों के थे। उनसे कहा गया कि इन गाँवों को लौटा
ा परन्तु उन्होंने इनकार कर दिया और थोड़े ही दिन बाद
ट अँगरेज़ अफ़सरों को मार डाला। अब क्या था । लड़ाई
ीघ्र आरम्भ हो गई।

लार्ड हेस्टिंग्ज़ ने चार सेनाएँ चार जनरलों के साथ भेजीं।
ेपाल पहाड़ी देश है। वहाँ युद्ध की सामग्री ले जाना बड़ा
कठिन था इसलिए वहाँ भारी-भारी तोपें न पहुँच सकीं। गोरखे
ड़ी वीरता से लड़े और उन्होंने तीन सेनाओं को पीछे हटा
दिया। परन्तु चौथी सेना, जिसका सेनापति आक्टरलोनी था,
ोरखों को बार-बार हराती हुई उनकी राजधानी काठमान्डू
क पहुँच गई। सन् १८१५ ई० में आक्टरलोनी ने मलाँव का
क़िला छीन लिया और गोरखों को गढ़वाल के ज़िले से निकाल
दिया। इस प्रकार गोरखे सन्धि करने पर विवश हुए। सिगौली
ामक स्थान पर उन्होंने सन् १८१६ ई० में सन्धिपत्र लिख
दिया।

सिगौली की सन्धि—इस सन्धि के अनुसार गोरखों
ने जो गाँव छीन लिये थे उन्हें लौटाने की प्रतिज्ञा की और गढ़-
वाल और कमायूँ के ज़िले अँगरेज़ों को दे दिये। मसूरी, नैनी-
ताल आदि हवा खाने की जगहें इन्हीं ज़िलों में हैं। नेपाल-राज्य ने
अपने यहाँ एक अँगरेज़ रेज़िडेन्ट रखना भी स्वीकार कर लिया।

[illegible]

प्रजा के सुख और रक्षा का प्रयत्न करना चाहिए और दूसरे लोगों को भी व्यापार करने की आज्ञा मिलनी चाहिए। इसके पहले कम्पनी के सिवा किसी अँगरेज़ व्यापारी को हिन्दुस्तान में व्यापार करने की आज्ञा नहीं थी। कम्पनी के सञ्चालकों ने इस प्रस्ताव का बड़ा विरोध किया परन्तु उनकी एक न चली। उनका ठेका टूट गया और यह आज्ञा हो गई कि जिसका जी चाहे वह हिन्दुस्तान में व्यापार करे। इसी समय यह भी प्रश्न उठा कि हिन्दुस्तान के लोगों की शिक्षा का प्रबन्ध करना कम्पनी का कर्त्तव्य है। इसका भी विरोध हुआ परन्तु बहुत सी बहस के बाद शिक्षा-प्रचार के लिए एक लाख रुपया मंज़ूर किया गया।

लार्ड हेस्टिंग्ज़—इसी समय लार्ड हेस्टिंग्ज़ हिन्दुस्तान का गवर्नर-जनरल होकर आया। वह बड़ा वीर और अनुभवी शासक था। उसने बड़े कठिन समय में योग्यता के साथ कम्पनी के राज्य का प्रबन्ध किया। उसने आते ही देखा कि हिन्दुस्तान में बड़ी अशान्ति फैल रही है। उत्तर और दक्षिण में पिण्डारी लूट-मार कर रहे थे। मध्य प्रदेश में मरहठे उपद्रव करने को लिए तैयार थे। देशी रियासतें आपस में लड़ाई-झगड़ा करती थीं। हेस्टिंग्ज़ ने आते ही कम्पनी के डाइरेक्टरों को लिखा कि यदि इस समय वेलेज़ली की नीति काम में न लाई जायगी तो अँगरेज़ी राज्य पर कठिन आपत्ति आ जायगी। इँगलैंड की सरकार और डाइरेक्टरों को लार्ड हेस्टिंग्ज़ की योग्यता पर भरोसा था। इसलिए उन्होंने उसे पूरा अधिकार दे दिया और कहा कि कम्पनी के राज्य की रक्षा और उन्नति के लिए जो कुछ आवश्यक हो करे।

गोरखों की लड़ाई (सन् १८१४—१६ ई०)—गोरखा एक पहाड़ी जाति है। ये लोग नैपाल देश में रहते हैं जो हिन्दुस्तान और तिब्बत के बीच हिमालय पर्वत की घाटियों में है।

को लार्ड हेस्टिंग्ज़ ने पूरा किया। इसी लिए उसकी गिनती भारत के प्रसिद्ध शासकों में है।

इस्तीफ़ा—सन् १८२३ ई० में लार्ड हेस्टिंग्ज़ ने इस्तीफ़ा दे दिया और वह विलायत लौट गया। वह बुद्धिमान और प्रजा का हितैषी शासक था। उसके समय में शिक्षा का प्रचार हुआ और एक हिन्दुस्तानी समाचार-पत्र भी निकाला गया। कम्पनी के मालिक उसकी नीति से भी असन्तुष्ट रहे। उसके इस्तीफ़ा देने का यही कारण था।

अध्याय २२

लार्ड एमहर्स्ट

(सन् १८२३ ई० से १८२८ ई० तक)

ब्रह्मा की पहली लड़ाई (सन् १८२४—२६ ई०)—जिस समय अँगरेज़ बंगाल में लड़ रहे थे उसी समय, सन् १७६० ई० के लगभग, अलोंगपरा नामक एक सरदार ने ब्रह्मा में स्वाधीन राज्य स्थापित किया था। धीरे-धीरे उसके वंश ने उन्नति की और राज्य का विस्तार भी अधिक कर लिया। ब्रह्मा के राजा ने एक बार अँगरेज़ी सरकार से चटगाँव, ढाका, मुर्शिदाबाद आदि ज़िले भी माँगे थे, परन्तु इस पर सरकार ने कुछ ध्यान नहीं दिया था। सन् १८२३ ई० में ब्रह्मा के लोगों ने [illegible] अथवा शाहपुरी नामक टापू पर, जो चटगाँव के पास है, हमला किया और उस पर कब्ज़ा कर लिया। यह टापू अँगरेज़ी राज्य की हद में था, इसलिए लार्ड-एमहर्स्ट को सेना भेजना पड़ा। [illegible] करना [illegible] इस [illegible]

होल्कर के साथ लड़ाई आरम्भ हुई। जसवन्तराव होल्कर की मृत्यु के बाद उसका बेटा मल्हारराव गद्दी पर बैठा। उसके बालक होने के कारण राज्य का काम होल्कर की रानी तुलसीबाई करती थी। मराठा-सरदारों ने तुलसीबाई को मार डाला और लड़ाई की तैयारी की। सन् १८१७ ई० में ये लोग लगभग ३० हजार सेना लेकर चम्बल के किनारे पर पहुँच गये। सर जान हिसलौप और सर जान मैलकॉम भी अपनी सेनाएँ लेकर आ गये। उन्होंने महीदपुर नामक गाँव के पास मराठों को हराया। सन् १८१८ ई० में होल्कर के साथ सन्धि हो गई।

पेशवा से युद्ध होता रहा। अँगरेज़ों ने सतारा से निकलकर और बाजीराव को अष्टी नामक स्थान पर, जो शोलापुर के पास है, सन् १८१८ ई० में, लड़ाई में हराया। कोरिगाँव की लड़ाई में भी उसकी हार हुई। कुछ दिन तक तो वह इधर-उधर घूमता रहा, परन्तु अन्त में उसने अँगरेज़ों की अधीनता स्वीकार कर ली। उसका राज्य अँगरेज़ी राज्य में मिला लिया गया और उसके लिए पेन्शन नियत कर दी गई। अब उसे कानपुर के पास बिठूर में रहने की आज्ञा हुई। इस प्रकार पेशवा के वंश का अन्त हो गया।

शान्ति का स्थापित होना—सन् १८२३ ई० तक सारे भारतवर्ष में शान्ति स्थापित हो गई। जो लोग लूट-मार और दंगा पर अत्याचार करते थे वे अब गाँवों में जा बसकर शान्ति से रहने और खेती-बारी करने लगे। मराठों की शक्ति का अन्त हो गया और इंग्लैण्ड ...

[illegible]

के नीचे सुरङ्ग लगाई गई और क़िला बारूद से उड़ा दिया गया। भरतपुर को अंगरेज़ों ने जीत लिया और जो मनुष्य वास्तव में अधिकारी था उसे गद्दी पर बिठा दिया। भरतपुर की जीत से अंगरेज़ों की धाक जम गई और लोग उन्हें बड़े शक्तिमान् समझने लगे।

लार्ड एम्हर्स्ट सन् १८२८ ई० में हिन्दुस्तान से चला गया।

अध्याय २३

लार्ड विलियम बैंटिङ्क

(सन् १८२८ ई० से १८३५ ई० तक)

सुधार का समय—लार्ड विलियम बैंटिङ्क हिन्दुस्तान के प्रसिद्ध गवर्नर-जनरलों में से है। यह बड़ा सज्जन और शान्त-स्वभाव का शासक था और भारतवासियों के साथ सहानुभूति रखता था। उसने अपने शासनकाल में बहुत से सुधार किये। विलियम बैंटिङ्क २० वर्ष पहले मदरास का गवर्नर रह चुका था, परन्तु ईस्ट इण्डिया कम्पनी के मालिकों ने अप्रसन्न होकर उसे वापिस बुला लिया था। अब उसे अपनी योग्यता दिखाने का अवसर मिला। हिन्दुस्तान की स्थिति बहुत कुछ बदल गई थी। वेलेज़्ली और लार्ड हेस्टिंग्ज़ के प्रयत्नों-द्वारा देश में शान्ति स्थापित हो गई थी। मरहठे और पठान अपनी शक्ति खो चुके थे। पिण्डारियों का नाश [illegible]

[illegible]

बुन्देला को, अँगरेज़ों को बंगाल से निकालने के लिए, भेजा
कहते हैं कि महाबुन्देला गवर्नर-जनरल को बाँधने के लिए अप
साथ सोने की ज़ंजीर भी लाया था । यही सब लड़ाई क
कारण था ।

सर आर्चीबोल्ड कैम्पबैल एक सेना लेकर इरावदी
रास्ते में रंगून पहुँचा । उसने उस नगर को जीत लिया । इ
से बरसात आरम्भ हो गई और अँगरेज़ी सेना को बड़ा क
उठाना पड़ा । परन्तु बरसात के बीतने पर अँगरेज़ों ने ब्रह्मा
सेना पर चढ़ाई की । एक सेना प्रोम की ओर बढ़ी और दूस
अराकान की ओर । कई महीने के बाद कैम्पबैल ने ब्रह्मा
सेना को हराया और उसे लड़ाई के मैदान से भगा दिया । मह
बुन्देला लड़ाई में हारा और मारा गया । इसके बाद विज
जनरल ने आवा की ओर कूच किया, परन्तु जब राजा ने दे
कि लड़ने से कुछ न होगा तब सन्धि कर ली ।

याँडबू की सन्धि—सन् १८२६ ई० में याँडबू
सन्धि होने पर लड़ाई समाप्त हो गई । अँगरेज़ों को अराका
टनासिरम के सूबे मिले और कुछ दक्षिणी प्रान्तों पर भी उन
अधिकार स्थापित हो गया । राजा ने आसाम छोड़ दिया औ
एक करोड़ रुपया हरजाना देने का वादा किया ।

भरतपुर का घेरा—जैसा पहले कह चुके हैं, भरत
का किला मिट्टी का बना हुआ था और बहुत मजबूत था । स
१८०६ ई० में लार्ड लेक ने उस पर चढ़ाई की थी परन्तु किल
सर नहीं हुआ था । सन् १८२६ ई० में राजा का देहान्त हे
गया । गद्दी के लिए दो मनुष्यों में झगड़ा होने लगा । अंग्रे
ने उसका पक्ष लिया जो वास्तव में अधिकारी था । लार्ड काम्बर
मियर एक बड़ी सेना लेकर भरतपुर को चला । अनधिकारी ने
जो बलात् गद्दी पर बैठ गया था, नगर की मिट्टी की दीवार
पर तोपों के गोलों का कुछ भी प्रभाव न पड़ा । अन्त में दीवार

के नीचे सुरङ्ग लगाई गई और किला बारूद से उड़ा दिया गया। भरतपुर को अँगरेज़ों ने जीत लिया और जो मनुष्य वास्तव में अधिकारी था उसे गद्दी पर बिठा दिया। भरतपुर की जीत से अँगरेज़ों की धाक जम गई और लोग उन्हें बड़े शक्तिमान् समझने लगे।

लार्ड एम्हर्स्ट सन् १८२८ ई० में हिन्दुस्तान से चला गया।

अध्याय २३

लार्ड विलियम बेंटिङ्क

(सन् १८२८ ई० से १८३५ ई० तक)

सुधार का समय—लार्ड विलियम बेंटिङ्क हिन्दुस्तान के प्रसिद्ध गवर्नर-जनरलों में से है। वह बड़ा सज्जन और शान्त-स्वभाव का शासक था और भारतवासियों के साथ सहानुभूति रखता था। उसने अपने शासनकाल में बहुत से सुधार किये। विलियम बेंटिङ्क २० वर्ष पहले मदरास का गवर्नर रह चुका था, परन्तु ईस्ट इण्डिया कम्पनी के मालिकों ने अप्रसन्न होकर उसे वापिस बुला लिया था। अब उसे अपनी योग्यता दिखाने का अवसर मिला। हिन्दुस्तान की स्थिति बहुत कुछ बदल गई थी। वेलेज़ली और लार्ड हेस्टिंग्स के यत्नों-द्वारा देश में शान्ति स्थापित हो गई था। मरहठे चार युद्धों में अपनी शक्ति खो चुके थे। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

पञ्जाब में रणजीतसिंह की अध्यक्षता में अपनी शक्ति का सं
ठन कर रहे थे और दूसरे सिन्ध के अमीर।

शासन-सुधार—हिन्दुस्तान में आने पर लार्ड वि.बे
वैंटिङ्क को कोई लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी। जैसा कह चुके हैं,
में शान्ति स्थापित हो गई थी और अब कोई ऐसा शत्रु न
रहा था जिसको पराजित करना कठिन हो। इसलिए
गवर्नर-जनरल ने आते ही शासन-सुधार का काम बड़े उत्सा
और साहस से अपने हाथ में लिया।

ब्रह्मा की लड़ाई के कारण सरकार की आर्थिक दशा बहु
बिगड़ गई थी। रुपये की बड़ी आवश्यकता थी। इसलि
अफ़ीम के ठेकों से बहुत सा रुपया वसूल किया गया और
पश्चिमोत्तर प्रदेश और मदरास में लगान और मालगुज़ारी वसू
करने के नियमों में परिवर्तन किया गया, जिससे सरकारी आ
बहुत कुछ बढ़ गई। बङ्गाल में जो इस्तमरारी बन्दोबस्त* लार्ड
कार्नवालिस के समय में हुआ था उसकी नक़ल दूसरे सूबों में
नहीं की गई; क्योंकि उससे सरकार को हानि पहुँचती थी। मद
रास में सरकार ने किसानों से सीधा कर वसूल करने की प्रथा
जारी कर दी और पश्चिमोत्तर देश में तीस वर्ष का बन्दोबस्त
किया। ऐसे भी बहुत से लोग थे जिनके पास ज़मीन थी,
परन्तु कर, न नहीं देते थे। उनसे कर वसूल करने की कोशिश
की गई।

माल और सेना के महकमों का भी बहुत कुछ सुधार
किया गया। आते ही बैंटिङ्क ने इनकी जाँच के लिए एक कमेटी
नियत की। उसने फ़ौजी अफ़सरों का भत्ता कम कर दिया

* इस्तमरारी बन्दोबस्त सन् १७९३ ई० में बङ्गाल में हुआ था।
इसके अनुसार सरकार ने ज़मींदारों से लिया जानेवाला कर सदा के
लिए नियत कर दिया था।

अवध—अवध की दशा भी ख़राब थी। राज्य का प्रबन्ध अच्छा न था। ज़मींदार कर नहीं देते थे और राज्य के हाकिमों से लड़ने को तैयार रहते थे। सन् १८३१ ई० में लार्ड बैंटिङ्क ने स्वयं लखनऊ जाकर नवाब से राज्य का प्रबन्ध ठीक करने को कहा।

कछार—इसके बाद कछार और कुर्ग अँगरेज़ी राज्य में मिला लिये गये। कछार का सूबा बंगाल के उत्तर-पूर्व के कोने की सीमा पर है। सन् १८३२ में वहाँ के राजा का देहान्त हो गया। उसके कोई सन्तान न थी। प्रजा के इच्छानुसार कछार का देश अँगरेज़ी राज्य में सम्मिलित हो गया।

कुर्ग—सन् १८३४ ई० में कुर्ग का देश, जो मैसूर के पश्चिम में है, ब्रिटिशराज्य में मिलाया गया। सन् १८२० ई० से वीरराज कुर्ग का राजा था। वह बड़ा निर्दयी और दुष्ट स्वभाव का मनुष्य था। उसने गद्दी पर बैठते ही अपने विरोधियों को मरवा डाला, अपने कई सम्बन्धियों को जङ्गल में भिजवा दिया और वहाँ उनके सिर कटवा डाले। अँगरेज़ी सरकार को वह अपना शत्रु समझता था और अँगरेज़ों का ज़रा भी विश्वास नहीं करता था। राजा को समझाने की भी चेष्टा की गई परन्तु कुछ सफलता न हुई। अन्त में १८३४ ई० में कर्नल लिनज़े एक सेना लेकर कुर्ग में पहुँचा। कुर्ग की सेना ने अँगरेज़ी सेना का सामना किया और २०० सैनिकों को मार डाला परन्तु अन्त में उसकी हार हुई। राजा गद्दी से उतार दिया गया और उसका राज्य अँगरेज़ी राज्य में मिला लिया गया। आजकल कुर्ग का शासन-प्रबन्ध एक चीफ कमिश्नर द्वारा होता है।

सिन्धिया का राज्य—सन् १८२७ ई० में ग्वालियर का राजा दौलतराव सिन्धिया मर गया। न तो उसके कोई

सन्तान थी और न उसने किसी को गोद ही लिया था। इस-
लिए उनकी रानी बायजाबाई ने, सर्दारों के कहने से, एक
लड़का गोद लिया परन्तु उसकी शिक्षा आदि का कुछ भी
प्रबन्ध नहीं किया। उसके बालिग़ होने पर भी राज्य का काम
वह स्वयं करती रही और उसे अधिकार से वंचित रक्खा। इस
पर दोनों में झगड़ा होने लगा। लार्ड बैंटिङ्क ग्वालियर गया।
उसने राजा को समझाया कि जब तक रानी जियें, ठहरे रहो,
परन्तु जनकोजी कब माननेवाला था। उसने महल को घेर
लिया। रानी अपने भाई के पास भाग गई और उसने रेज़ी-
डेंट से मदद माँगी। बड़ी कठिनाई से शान्ति स्थापित की गई।
जनकोजी को ग्वालियर का राज्य दिया गया और बायजाबाई
पेन्शन देकर आगरे भेज दी गई।

९. रणजीतसिंह के साथ सन्धि—जैसा पहले कहा गया
है, रणजीतसिंह ने धीरे-धीरे अपना राज्य बढ़ा लिया था। उसके
पास एक सुशिक्षित सेना थी जिसमें यूरोपीय अफ़सर नौकर थे। सन्
१८२३ ई० में उसने ३५,००० सिपाही लेकर पेशावर पर चढ़ाई
की। नौशेरा की लड़ाई में पहले तो सिक्खों की हार हुई, परन्तु
अन्त में वे जीत गये। उन्होंने पेशावर को ख़ूब लूटा। रणजीत-
सिंह बड़ा दूरदर्शी था। राज्य की [illegible]
था। उसने जान लिया कि अँगरेज़ों से मेल रखना [illegible]
के लिए हितकर होगा। इधर अँगरेज़ भी [illegible]
[illegible] करना चाहते थे।* सन् १८३१ ई० [illegible]
रूपड़ में लाटसाहब से भेंट की। बड़ी [illegible]
हुआ और सन्धि हो गई। सन्धिपत्र में [illegible]

* रणजीतसिंह अफ़ग़ानिस्तान से [illegible]
और [illegible] के रास्ते से हिन्दुस्तान [illegible]
थे। इसलिए [illegible]

सरकार और सिक्ख-सरकार में सदैव मित्रता रहेगी। रणजीतसिंह ने एक बार अँगरेज़ी राज्य का नक़शा देखकर कहा था कि किसी समय सारा नक़शा लाल हो जायगा। जब तक रणजीतसिंह जीवित रहा, उसने अँगरेज़ों से मेल रक्खा और उन्होंने भी कभी उसे अप्रसन्न नहीं किया।

शासन-सुधार—जैसा कि ऊपर कह चुके हैं, लार्ड बेंटिङ्क के समय में ब्रिटिश-शासन में कई सुधार हुए। लार्ड कार्नवालिस ने कुछ सुधार किये थे सही परन्तु उनका अधिक प्रभाव नहीं हुआ। अदालतों में घूस खूब चलती थी। हाकिम लोग बेईमानी से काम करते थे। लार्ड बेंटिङ्क ने अदालतों के दोषों को दूर किया और पश्चिमोत्तर प्रान्त में एक सदर अदालत स्थापित की। माल का बड़ा दफ़्तर भी इलाहाबाद में खोला गया जहाँ से सब काम सुगमता से हो सकता था। अदालतों का काम अब तक फ़ारसी भाषा में होता था, जिससे सर्वसाधारण को बड़ी असुविधा होती थी। लार्ड बेंटिङ्क ने आज्ञा दी कि फ़ारसी के बदले उर्दू का प्रयोग किया जाय।

सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में लार्ड कार्नवालिस ने यह नियम कर दिया था कि हिन्दुस्तानी लोगों को कोई बड़ा ओहदा न मिले। इससे कम्पनी को बड़ी हानि पहुँची। एक तो हिन्दुस्तानी लोग अप्रसन्न हो गये, दूसरे राज्य का प्रबन्ध भी अच्छा नहीं हुआ। शिक्षा का प्रचार होने पर लोगों का असन्तोष और भी बढ़ गया। लार्ड बेंटिङ्क ने इसके बुरे नतीजे को समझ लिया और हिन्दुस्तानियों के लिए सरकारी ओहदों का दरवाज़ा खोल दिया। हिन्दुस्तानी लोग जज तक होने और अच्छा वेतन पाने लगे।

सती का बन्द होना—सती की प्रथा हिन्दुस्तान में प्राचीन समय से चली आती थी। जब किसी स्त्री का पति मरता

सती ।

लार्ड विलियम बैंटिङ्क ।

या तब वह उसके साथ चिता में जलकर भस्म हो जाती थी। इस प्रकार सहस्रों स्त्रियाँ अपने प्राण दे डालती थीं। पहले तो पति के वियोग से दुखी होकर स्त्रियाँ सचमुच अपने प्राण दे देती थीं परन्तु धीरे-धीरे ऐसा रिवाज हो गया कि जो सती नहीं होना चाहती थी उसे भी, बदनामी के डर से, अपने पति के साथ जलकर मरना पड़ता था। मुग़ल-बादशाह अकबर ने इस अमानुषिक प्रथा को बन्द करने का प्रयत्न किया था परन्तु उसे सफलता न हुई। बंगाल में सती का रिवाज अधिक था। लार्ड बैंटिङ्क जब हिन्दुस्तान में आया तब उसने कम्पनी के बड़े-बड़े अफ़सरों से इस मामले में सलाह की। फ़ौज के अफ़सरों में से अधिकांश लोगों ने अपनी राय इसके हटाने के लिए दी और सदर के महकमे के बहुत से लोगों ने भी ऐसा ही किया। परन्तु कुछ विद्वानों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। इनमें होरेस विल्सन साहब भी थे जो हिन्दुस्तान की विद्या के बड़े प्रेमी थे। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से हिन्दू लोग समझेंगे कि सरकार हमारे धर्म पर आघात करना चाहती है। लार्ड बैंटिङ्क ने यह देखकर कि अधिकतर लोगों की राय इस कुरीति के बन्द करने के पक्ष में है, ४ दिसम्बर १८२९ ई० को एक क़ानून प्रकाशित किया जिसके द्वारा सती होना या सती होने में सहायता देना हत्या के बराबर अपराध माना गया। इस क़ानून का बंगाल में बहुत विरोध हुआ। कुछ लोगों ने प्रिवी कौंसिल को एक प्रार्थना-पत्र भी भेजा परन्तु कुछ सुनाई न हुई। इस कुरीति को बन्द कर लार्ड बैंटिङ्क ने हिन्दुओं के साथ बड़ा उपकार किया और लाखों स्त्रियों के प्राण बचा दिये।

ठगी का बन्द होना—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

दिया के परन्तु धीरे-धीरे बहुत से स्कूल खुल गये और विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ गई।

अँगरेज़ी भाषा के पढ़ने से हिन्दुस्तानियों को बड़ा लाभ हुआ और सरकार को भी। इसके पहले हिन्दुस्तान के भिन्न-भिन्न सूबे एक दूसरे से पृथक् थे। एक भाषा न होने के कारण लोग न तो परस्पर बातचीत कर सकते थे और न एक दूसरे से पत्र-व्यवहार। परन्तु अँगरेज़ी भाषा के द्वारा पञ्जाबी, मदरासी, बङ्गाली, मरहठा इत्यादि सब आपस में बातचीत कर सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि हमारे देश में राष्ट्रीयता का भाव अँगरेज़ी भाषा ही के द्वारा पैदा हुआ है। सरकार को इससे यह लाभ हुआ कि पढ़े-लिखे मनुष्य मिलने लगे जिनसे देश के शासन में बहुत कुछ मदद मिली।

परन्तु इसमें हानि भी हुई है। विदेशी भाषा में शिक्षा होने के कारण विद्यार्थियों को बड़ी कठिनाई होती है और शिक्षा का प्रचार भी यथेष्ट नहीं होता।

कम्पनी का आज्ञा-पत्र (सन् १८३३ ई०)—नया आज्ञापत्र पाने के लिए कम्पनी ने सन् १८३३ ई० में इँगलैंड की सरकार से प्रार्थना की। चीन के साथ व्यापार करने का सब हक़ केवल ईस्ट इण्डिया कम्पनी को ही अधिकार था। परन्तु इस समय लन्दन नगर के व्यापारियों ने बड़ा विरोध किया और सरकार से कहा कि चीन के साथ व्यापार करने की आज्ञा उनके लोगों को भी दी जाय [illegible]

[illegible]

शासन-प्रबन्ध करे। शासन-प्रणाली में कई परिवर्तन हुए। यह तय हुआ कि पश्चिमोत्तर सूबे का शासन लेफ्टिनेन्ट गवर्नर-द्वारा होगा। क़ानून सुधारने के लिए एक कमेटी नियत हुई जिसका सभापति मैकौले था। बड़े लाट की कौंसिल में एक और मेम्बर बढ़ाया गया, जिसका काम क़ानूनी विषयों पर सलाह देना था। इस 'ला-मेम्बर' के पद को पहले-पहल मैकौले ने सुशोभित किया। एक मार्के की बात इस समय यह हुई कि कम्पनी के आज्ञा-पत्र में लिख दिया गया कि कोई भारतवासी अपने धर्म, जाति अथवा रङ्ग के कारण किसी पद से—जिसके योग्य वह होगा—वञ्चित नहीं रक्खा जायगा। इससे हिन्दुस्तानियों को बड़ा सन्तोष हुआ।

इस आज्ञा-पत्र ने शासन-पद्धति को पहले से [illegible] अच्छा कर दिया। व्यापार बन्द हो जाने के कारण [illegible] के अधिकारी प्रजा के सुख का अधिक ध्यान रखने [illegible]

सर चार्ल्स मेटकाफ़

(सन् १८३५—१८३६ ई०)

प्रेस की स्वतंत्रता—सन् १८३५ ई० [illegible]
मेटकाफ़, जो आगरा-प्रान्त का लेफ्टिनेन्ट [illegible] जनरल के पद पर नियुक्त किया गया। [illegible] अच्छी तरह जानता था और बुद्धिमान [illegible] वासियों को समाचारपत्र छापने [illegible] निडर होकर लेख लिखने की भी [illegible] उसके प्रस्ताव का समर्थन किया। [illegible] एक क़ानून पास हुआ जिसमें [illegible] दे दी गई। परन्तु उन्हें ऐसी [illegible] नहीं दिया गया जिससे [illegible] जनता को किसी प्रकार [illegible]

अध्याय २४

लार्ड आकलैंड—अफ़ग़ान-युद्ध

(सन् १८३६ ई० से १८४२ तक)

अफ़ग़ानिस्तान की दशा—सर चार्ल्स मेटकाफ़ के बाद लार्ड आकलैंड गवर्नर-जनरल हुआ। इसके समय अफ़ग़ानों के साथ पहली लड़ाई हुई और पश्चिमोत्तरीय सीमा का प्रश्न उठा। इस समय अफ़ग़ानिस्तान की स्थिति अच्छी नहीं थी। पूर्व में रणजीतसिंह घात लगाये बैठा था और पश्चिम की ओर फ़ारस का शाह अफ़ग़ानिस्तान का कुछ भाग छीन लेने की चेष्टा कर रहा था। सन् १८३३ ई० में शाहशुजा ने जो अफ़ग़ानिस्तान का बादशाह होना चाहता था, रणजीतसिंह से सन्धि की थी। उसे दोस्त मुहम्मद ने, जो इस समय अमीर बन बैठा था, देश से निकाल दिया था। उसने हिन्दुस्तान में आकर शरण ली थी। अँगरेज़ों ने उसके साथ दया का बर्ताव किया और उसकी पेंशन नियत कर दी।

लार्ड आकलैंड की नीति—लार्ड आकलैंड जब हिन्दुस्तान में आया तब दोस्त मुहम्मद ने फ़ारस और रणजीतसिंह के विरुद्ध सहायता माँगी। गवर्नर-जनरल ने उत्तर दिया कि अँगरेज़ी-सरकार स्वाधीन देशों के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहती। इस उत्तर को पाकर दोस्त मुहम्मद ने फ़ारस और रूस से लिखा-पढ़ी करना आरम्भ किया और सन्धि का प्रस्ताव किया। उसने रूसी राजदूत का, जो अफ़ग़ानिस्तान में आया था, सत्कार किया। यह सुनकर लार्ड आकलैंड को बड़ी चिन्ता हुई। वह अफ़ग़ानिस्तान में ऐसा बादशाह चाहता था जो अँगरेज़ी सरकार से मित्रता रक्खे। इसलिए उसने रणजीतसिंह की सहायता से दोस्त मुहम्मद को गद्दी से उतारने और

गुजरात
जम्मू
स्यालकोट
लाहौर
अमृतसर
रावी नदी
मुलतान
लुधियाना
मुदकी
अम्बाला
पटियाला
करनाल
पानीपत
मेरठ
देहली
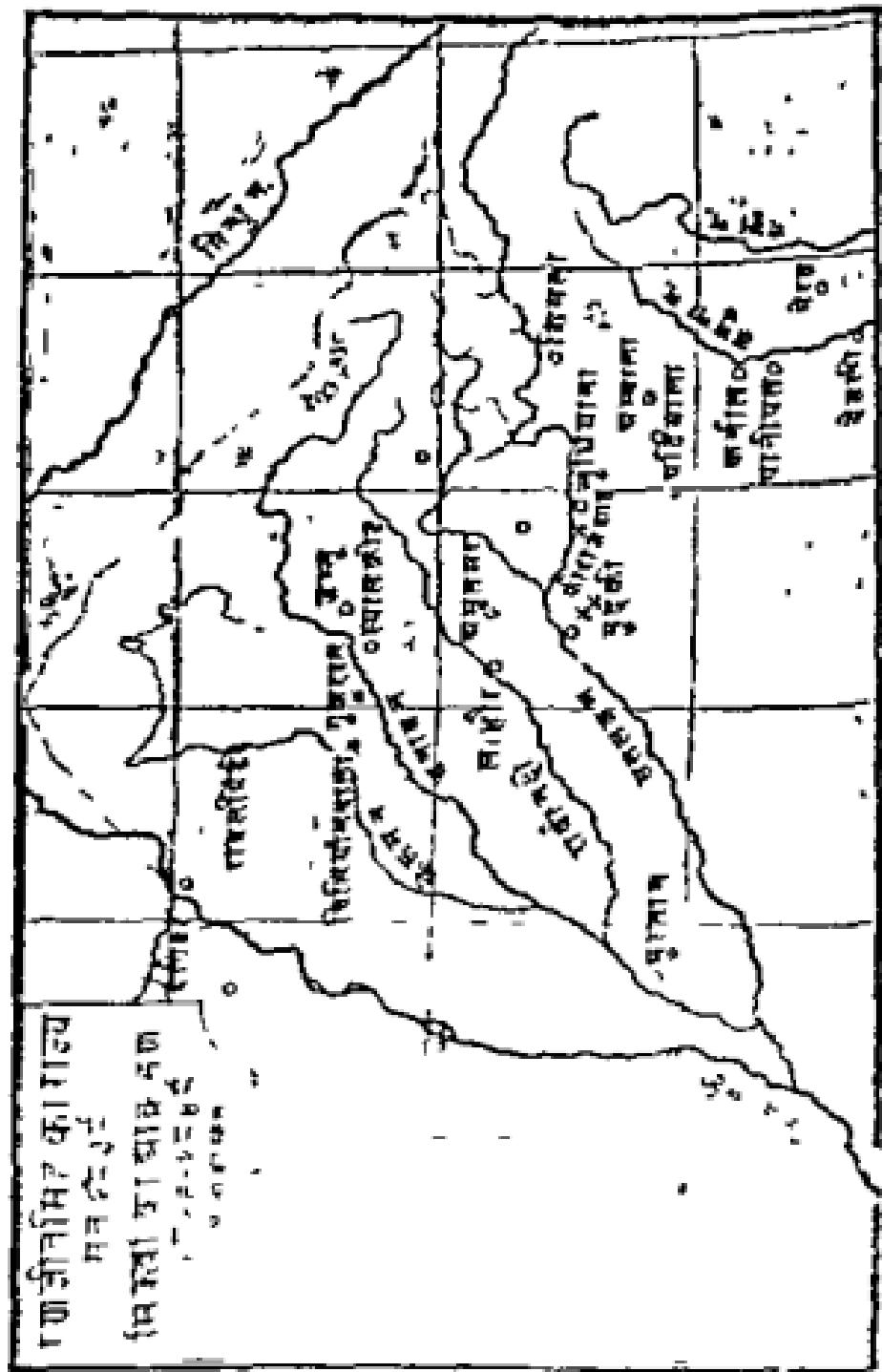
ह जाति-पाँत का भेद नहीं करता था। बहुत से हिन्दू-मुसलमान
सके विश्वासपात्र थे। क़ाज़ी अज़ीज़ुद्दीन, राजा दीनानाथ,
गुलाबसिंह, ध्यानसिंह आदि राज्य के कर्मचारी बड़े योग्य पुरुष थे।
महाराजा उनका बड़ा सम्मान करता था। उसका शासन फ़ौजी
था। इसलिए कभी-कभी प्रजा के साथ कठोरता का व्यवहार
भी हो जाता था: परन्तु वह सैनिकों को मनमानी नहीं करने
देता था। सेना में अधिकांश सिक्ख ही थे, जो अस्त्र-शस्त्र से
खूब सुसज्जित थे। इन्हीं की सहायता से रणजीतसिंह पञ्जाब में
राज्य करता था। भूमि-कर के वसूल करने का प्रबन्ध अच्छा
था। राज्य की आमदनी लगभग डेढ़ करोड़ थी। किसानों से
कुल पैदावार का ⅓ भाग लिया जाता था। सारा देश ज़िलों
में विभक्त था। प्रत्येक ज़िले में कारदार होते थे जो भूमिकर
वसूल करने का ठेका ले लेते थे। राजधानी के आस-पास तो
ये लोग महाराजा के डर से अनुचित व्यवहार नहीं करते थे
परन्तु दूर के प्रान्तों में खूब लूट करते और लोगों से जितना
चाहते, वसूल करते थे। रणजीतसिंह हिसाब स्वयं देखता था।
यदि किसी कारदार की बेईमानी उसे मालूम हो जाती तो वह
उसे कठिन दण्ड देता था। भूमि-कर के अतिरिक्त और भी
बहुत से कर लिये जाते थे। कारदार को मुक़दमे करने का भी
अधिकार था। बहुत से अपराधों के लिए केवल जुर्माने का दण्ड
दिया जाता था। जो कुछ रुपया इस प्रकार वसूल होता, वह
सरकारी कोष में जमा हो जाता था। न्याय करने का ढङ्ग अच्छा
नहीं था। आजकल की सी अदालतें नहीं थीं। अंग-भंग का
दण्ड दिया जाता था क्योंकि महाराजा अपराधियों को जेल में
रखना फ़जूलखर्ची समझता था। शासनप्रबन्ध बिलकुल दोष-रहित
नहीं था परन्तु रणजीतसिंह प्रजा के सुख का सदा ख़याल
रखता था। जब तक वह जीवित रहा, उसके राज्य में शान्ति
रहा और कोई [illegible] नहीं हुआ।

अध्याय २७

लार्ड डैलहौज़ी—शासन-सुधार

(सन् १८४८ ई० से १८५६ ई० तक)

लार्ड हार्डिन्ज के चले जाने के बाद लार्ड डैलहौज़ी गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त हुआ । उसने क्लाइव, हेस्टिंग्ज़ और वेलेज़ली की तरह कई राज्यों को अँगरेज़ी राज्य में मिलाया। इसी लिए उसे ब्रिटिश राज्य की नींव को पक्का करनेवाला कहते हैं। वह बड़ा योग्य तथा परिश्रमशील पुरुष था। उसने इँगलैंड में अच्छा काम किया था। इसी लिए केवल ३५ वर्ष की अवस्था में वह ऐसे उच्च पद पर नियुक्त किया गया था।

सिक्खों की दूसरी लड़ाई (सन् १८४८-४९ई०)—हिन्दुस्तान में आते ही डैलहौज़ी को सिक्खों से लड़ना पड़ा। मुलतान के हाकिम मूलराज ने हिसाब देने से इनकार किया और दो अँगरेज़ अफ़सरों को मार डाला। इसी पर लड़ाई छिड़ गई और सिक्खों की सेना इकट्ठी होने लगी। सारा खालसा एक हो गया और युद्ध की तैयारी करने लगा। सर ह्यू गफ़ भी अपनी सेना लेकर आगे बढ़ा। पहले रामनगर और सादुल्लापुर की लड़ाइयाँ हुईं; परन्तु किसी की जीत न हुई। दोनों दलों के बहुत से सिपाही घायल हुए। सादुल्लापुर की लड़ाई के बाद अँगरेज़ी सेना ने चिनाब को पार किया और १३ जनवरी को सिक्खों पर धावा किया। चिलियानवाला की प्रसिद्ध लड़ाई हुई जिसमें बहुत से वीर योद्धा खेत रहे। लड़ाई केवल ३ घंटे ही रही परन्तु अँगरेज़ों के बहुत से आदमी मारे गये। सिक्खों की भी क्षति हुई परन्तु वे फिर युद्ध के लिए तैयार हो गये। इसके बाद गुजरात की लड़ाई हुई जिसमें सिक्खों की हार हुई। लार्ड गफ़ के पास केवल २४,००० सेना थी परन्तु तोपखाने की

सहायता से उसने सिक्खों को पराजित किया। यद्यपि सिक्ख हार गये, तथापि उनकी वीरता इतिहास में सदा अमर रहेगी। अँगरेज़ अफ़सरों ने भी, जिनसे वे लड़े थे, उनकी प्रशंसा की है।

लार्ड डैलहौज़ी हार्डिञ्ज की नीति का विरोधी था। वह निर्बल राज्यों का अन्त करना चाहता था। इसी लिए उसने सन् १८४८-६ ई० में पञ्जाब को अँगरेज़ी राज्य में मिलाने की आज्ञा दे दी। महाराजा दिलीपसिंह को ४० हज़ार पौण्ड सालाना की पेन्शन दी गई और उनसे पञ्जाब के बाहर रहने को कहा गया। कोहनूर हीरा थोड़े दिन जान लारेन्स की जेब में पड़ा रहा और फिर इँगलैंड भेज दिया गया। दिलीपसिंह कुछ दिन बाद इँगलैंड चले गये। वहाँ उन्होंने ईसाई-धर्म स्वीकार कर लिया और अँगरेज रईसों की तरह रहने लगे। रानी नेपाल चली गई। वहाँ से इँगलैंड पहुँच गई और वहीं रहने लगी। सिक्ख सर्दारों की जागीरें छीन ली गईं और सबकी पेन्शनें नियत कर दी गईं। मूलराज पर अँगरेज़ अफ़सरों की हत्या का अभियोग चलाया गया। उसे फांसी का दण्ड मिला।

पञ्जाब का शासन-प्रबन्ध—पञ्जाब का शासन करने के लिए लार्ड डैलहौज़ी ने तीन बड़े हाकिमों का एक बोर्ड नियत किया। सारा सूबा कई ज़िलों में विभाजित किया गया। प्रत्येक ज़िले में एक हाकिम नियत किया गया, जिसके वही अधिकार थे जो रणजीतसिंह के समय में कारदार के। बहुत से कर बन्द कर दिये गये। ४८ में से केवल ६ रक्खे गये। सिक्ख कभी-कभी किसानों से पैदावार का आधा भी ले लेते थे परन्तु बोर्ड ने सरकारी भाग ¼ कर दिया जिससे प्रजा बहुत सन्तुष्ट हुई। खेतों को सींचने के लिए नहरें निकाली गईं। नई अदालतें स्थापित हुई। कानून भी नये ढङ्ग से बनाये गये। शिक्षा-प्रचार के लिए विद्यालय खोले गये। उनके प्रबन्ध के लिए एक नया

लखनऊ रेज़ीडेन्सी

लार्ड कैनिंग

जनरल हैवलॉक

छोटे राज्य अँगरेज़ी राज्य में मिला लिये गये परन्तु यह बात याद रखनी चाहिए कि 'स्वतन्त्र' राज्यों में यह नियम लागू नहीं किया गया। लार्ड डैलहौज़ी की इस नीति का घोर विरोध किया जाता है और उस पर यह दोष लगाया जाता है कि उसकी इच्छा सारे देशी राज्यों का अन्त करने की थी; किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं। देशी राज्यों का अँगरेज़ी राज्य में मिलाया जाना कोई नई बात नहीं थी। दूसरे ऐसे राज्यों में, जो अँगरेज़ी राज्य में पहले के थे, इस नियम का प्रयोग नहीं किया गया था।

सतारा—सन् १८१७ ई० में बाजीराव पेशवा के पद से अलग होने पर लार्ड हेस्टिंग्ज़ ने सतारा का राज्य शिवाजी के वंश के एक राजकुमार को दे दिया था। वह राजकुमार मर गया! उसके मरने के बाद उसका भाई गद्दी पर बैठा। उसने १० वर्ष तक राज्य किया। जब मरने का समय निकट आया तब उसने एक लड़का गोद लिया। गोद की रस्म शास्त्रोक्त विधि के अनुसार हुई थी परन्तु अँगरेज़ी सरकार ने उसे अस्वीकार किया और सन् १८४८ ई० में सतारा अँगरेज़ी राज्य में मिला लिया गया।

झाँसी—इसी समय झाँसी का राजा मर गया। झाँसी के राजा कभी स्वतन्त्र नहीं थे। पहले वे पेशवा के अधीन थे और फिर कम्पनी के अधीन हो गये थे। राजा ने लड़का गोद लिया परन्तु अँगरेज़ी सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया। रियासत [illegible] असन्तुष्ट [illegible] गया का [illegible]

नागपुर [illegible] १८१८ [illegible] का छोटा [illegible] हो गया।

न तो उसके कोई सन्तान थी और न उसने किसी को गोद लिया था। इससे नागपुर की रियासत अँगरेज़ी राज्य में मिला ली गई और हीरे-जवाहिरात आदि, जो वहाँ थे, नीलाम कर दिये गये। इससे बहुत असन्तोष फैला। मध्य-प्रदेश के नाम से एक नई कमिश्नरी बन गई और उसके प्रबन्ध के लिए एक चीफ़ कमिश्नर नियत हो गया।

निज़ाम और बरार—सन् १८०१ ई० में निज़ाम ने अँगरेज़ों से सन्धि की थी और युद्ध के समय मदद करने का वादा किया था। किन्तु उसके यहाँ जो अँगरेज़ी सेना थी उसका ख़र्च ठीक समय पर नहीं दिया जाता था। सन् १८४३ ई० में निज़ाम का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया परन्तु कुछ न हुआ। अन्त में निज़ाम ने इस सेना का ख़र्च चलाने के लिए बरार का सूबा अँगरेज़ों को दे दिया।

इनके अतिरिक्त और भी कई छोटे-छोटे राज्य अँगरेज़ी राज्य में मिला लिये गये। बाजीराव पेशवा के मरने पर उसकी पेन्शन बन्द हो गई। इस कारण उनका गोद लिया हुआ बेटा नाना साहब बहुत अप्रसन्न हुआ।

अवध—अवध के अँगरेज़ी राज्य में मिलाने के और ही कारण थे। अवध का राज्य, एक प्रकार से, अँगरेज़ों का ही बनाया हुआ था। सन् १७६४ ई० में बक्सर की लड़ाई के बाद क्लाइव ने [illegible] पर भी, अवध का राज्य शुजाउद्दौला को लौटा दिया था [illegible] अवध के नवाबों ने [illegible] को [illegible] शासन-सुधार करने का [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] स्वाद [illegible]

अलग महकमा बनाया और शिक्षा-विभाग की देख-भाल के लिए एक डाइरेक्टर नियुक्त किया गया। बहुत से मदर्से खोले गये और उन्हें सरकार से आर्थिक सहायता मिलने लगी।

सरकारी आय और व्यापारिक उन्नति—डैलहौज़ी के समय में सरकार की आय २६ लाख से ३० लाख हो गई। व्यापार की भी उन्नति हुई। माल विदेशों को भी जाने लगा और बिक्री खूब होने लगी। सड़कों और नहरों के कारण व्यापार में बड़ी सुविधा हुई। माल एक स्थान से दूसरे स्थान को आसानी से आने लगा। बम्बई, कलकत्ता आदि शहरों में व्यापार की अच्छी उन्नति हुई। विलायत के देशों की बनी हुई चीज़ें हिन्दुस्तान में आने लगीं। उनकी पहुँच छोटे-छोटे गाँवों तक में हो गई। समुद्री बन्दरगाहों की भी दशा सुधर गई और व्यापार खूब होने लगा।

डाक का महकमा—लार्ड डैलहौज़ी के आने से पहले हरकारे एक स्थान से दूसरे स्थान को चिट्ठियाँ ले जाते थे। इसमें खर्च अधिक पड़ता था इसलिए गरीब आदमी तो कभी चिट्ठी लिखते ही नहीं थे। केवल बड़े लोग लिखते थे जो हरकारे का उसका काम दे सकते थे। चिट्ठियों के एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में बहुत देर लगती थी क्योंकि रास्ते ठीक नहीं थे। लार्ड डैलहौज़ी ने डाक के [illegible] एक कमेटी नियत की [illegible] रास्ते में चिट्ठियाँ हिन्दुस्तान के [illegible] सकती थीं। इससे [illegible]

तार—[illegible] डैलहौज़ी के [illegible] यह सचमुच [illegible] स्थान के [illegible]

इसका नाम "इंडिया कौंसिल" रक्खा गया। इस कौंसिल क
सभापति "सेक्रेटरी आफ़ स्टेट फ़ार इण्डिया" अथवा भारत
मंत्री हुआ।

शिक्षा—शिक्षा-प्रचार का भी प्रयत्न हुआ। इसी साल
कलकत्ता, मदरास और बम्बई में यूनिवर्सिटियाँ (विश्वविद्यालय)
स्थापित की गईं। इसके बाद लाहौर और इलाहाबाद में भी
यूनिवर्सिटियाँ स्थापित हुईं। प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षा के
प्रचार के लिए भी स्कूल खोले गये जिनसे बड़ा लाभ हुआ।

लार्ड कैनिङ्ग और देशी राज्य—सन् १८५९ ई०
में लार्ड कैनिङ्ग ने आगरे में एक दरबार किया जिसमें बहुत से
राजा सम्मिलित हुए। इस दरबार में यह घोषणा की गई
कि न तो किसी देशी राज्य की स्वतन्त्रता छीनी जायगी और न
वह अँगरेज़ी राज्य में मिलाया जायगा। यदि किसी राजा का
उत्तराधिकारी न हो तो उसे पुत्र गोद लेने का पूरा अधिकार
होगा और इस गोद लिये पुत्र को अँगरेज़ी सरकार स्वीकार
करेगी। लार्ड कैनिङ्ग ने प्रत्येक देशी रियासत में एक सनद भेज
दी जिसमें लिख दिया कि उसे यह अधिकार उसी समय तक
रहेगा जब तक कि वह अँगरेज़ी राज्य के साथ मित्रता रक्खेगी
अन्यथा नहीं।

नये क़ानून—लार्ड कैनिङ्ग के समय में तीन क़ानून
बनाये गये।—

(१) ज़ाब्ता दीवानी सन् १८५९ ई० में

(२) ताज़ीरात हिन्द सन् १८६० ई० में

(३) ज़ाब्ता फ़ौजदारी सन् १८६१ ई० में

ये क़ानून सारे भारतवर्ष में प्रचलित किये गये। इनसे प्रजा
को बड़ा लाभ हुआ। हिन्दुस्तान की सारी प्रजा के लिए ये ही
क़ानून हैं और इनके बनाने में किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं

लार्ड लारेंस

लार्ड मेयो

किया जाता। सन् १८६१ ई० में कलकत्ता, बम्बई और मदरास में हाईकोर्ट भी स्थापित किये गये।

कौंसिल का सुधार—इसी साल "इंडियन कौंसिल ऐक्ट" पास हुआ जिससे वाइसराय की व्यवस्थापक सभा के नियमों में कुछ परिवर्तन हो गया। इस क़ानून के अनुसार भारतवासियों को शासन में भाग मिला। कौंसिल में क़ानून बनाने के समय भारतीय सदस्य भी बैठने लगे। पीछे से इन सदस्यों को प्रजा ही चुनने लगी। इनका काम सरकार के सामने प्रजा का मत प्रकट करना था जिससे क़ानून ऐसे बनें जो रीति-रिवाज के अनुकूल हों और हानिकारक सिद्ध न हों। क़ानून बनाने के समय इस बात का विचार रक्खा जाता है कि कोई क़ानून ऐसा न हो जिसे सर्व-साधारण स्वीकार न करें।

मृत्यु—जिस दिन से लार्ड कैनिङ्ग हिन्दुस्तान में पधारे थे उसी दिन से उन्हें बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ा था। उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था। इंगलेंड लौटने पर एक वर्ष बाद, सन् १८६२ ई० में, उनका देहान्त हो गया। उनकी धर्मपत्नी का देहान्त तो पहले हिन्दुस्तान ही में हो चुका था।

अध्याय ३१

लार्ड एल्गिन, दूसरा वाइसराय

(सन् १८६२ ई० से १८६३ ई० तक)

लार्ड एल्गिन केवल नवम्बर सन् १८६३ ई० तक जीवित रहा और हिमालय पहाड़ के ऊपर धर्मशाला नामक स्थान में उसकी मृत्यु हो गई। उसने आगरे में एक दरबार किया जिसमें बहुत से देशी राजा उपस्थित थे। दरबार में घोषणा की गई कि महारानी विक्टोरिया को देशी राजाओं की भलाई का बड़ा

बोर्ड और लोकल फण्ड एक्ट के अनुसार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स्थापित किये गये। उसी समय जनता ने अपने प्रतिनिधि चुने और कमेटियाँ बनाई गईं। हर शहर में ये काम करने लगीं। ये मेम्बर प्रजा को लाभ पहुँचानेवाले काम करते हैं और प्रजा से वसूल किये हुए कर को उन्हीं के लाभार्थ व्यय करते हैं। लार्ड रिपन ने वह कर, जो बाहर जानेवाली चीज़ों पर लगता था, बन्द कर दिया। इससे चीज़ें सस्ती हो गईं और व्यापार में उन्नति हुई।

आजकल भारतवर्ष में ७०० से अधिक म्युनिसिपल्टियाँ हैं। इनके प्रबन्ध का उल्लेख आगे किया जायगा। इनके मेम्बरों को जनता चुनती है और इन्हीं मेम्बरों में से एक प्रधान बना दिया जाता है जिसे चेयरमैन कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की भी संख्या अधिक हो गई है और उनके मेम्बरों को भी जनता चुनती है। डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के चेयरमैन भी अब गैर सरकारी होने लगे हैं।

शिक्षा—लार्ड रिपन के समय में शिक्षा की भी उन्नति हुई। बहुत से नये स्कूल खोले गये और प्राइवेट स्कूलों को सरकारी ख़ज़ाने से सहायता दी गई।

मैसूर-राज्य—सन् १८८१ ई० से ५० वर्ष पहले से मैसूर की रियासत अँगरेज़ी अफ़सरों के एक कमीशन के अधीन थी। सन् १८८१ ई० में मैसूर का राज्य वहाँ के भूतपूर्व महाराज के गोद लिये हुए बेटे को सौंप दिया गया।

सन् १८८४ ई० में लार्ड रिपन [illegible] लौट गये। हिन्दुस्तानियों ने [illegible] किया और उनके प्रति [illegible] कृतज्ञता [illegible]

—

अध्याय ३७

लार्ड डफ़रिन, आठवाँ वाइसराय

(सन् १८८४ ई० से १८८८ ई० तक)

ब्रह्मा की तीसरी लड़ाई (सन् १८८५ ई०)—लार्ड [illegible]रिन के बाद लार्ड डफ़रिन वाइसराय हुए। इनके समय में ब्रह्मा [illegible] तीसरी लड़ाई हुई। उत्तरी ब्रह्मा के राजा थीबो ने, जिसका [illegible]न-प्रबन्ध बहुत बुरा था, अँगरेज़ों से युद्ध आरम्भ कर दिगा। [illegible]में एक अँगरेज़ी सेना भेजी गई और थीबो लड़ाई के मैदान [illegible] भाग गया। वह गद्दी से उतार दिया गया और क़ैद करके [illegible]न्दुस्तान भेज दिया गया। सन् १८८६ ई० में उत्तरी ब्रह्मा [illegible]गरेज़ी राज्य में शामिल हो गया।

ग्वालियर का क़िला सिन्धिया को लौटा दिया [illegible]या—सन् १८८६ ई० में लार्ड डफ़रिन ने सिन्धिया को ग्वालि-[illegible] का क़िला लौटा दिया जिसे अँगरेज़ों ने सन् १८५८ ई० में [illegible]या था।

इण्डियन नेशनल कांग्रेस—सन् १८८५ ई० में इण्डि-[illegible] नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में [illegible]

[illegible]

मुसलिम लीग का लक्ष्य भी कांग्रेस की तरह स्वराज्य प्राप्त करना है। इसका अधिवेशन भी प्रतिवर्ष होता है और बड़े-बड़े प्रतिष्ठित मुसलमान इसमें भाग लेते हैं।

लेडी डफ़रिन फ़न्ड—लार्ड डफरिन के समय में सब से महत्त्वपूर्ण काम यह हुआ कि उनकी सहायता से भारतीय स्त्रियों की चिकित्सा के लिए इँगलैंड से एक लेडी डाक्टर भेजी गई। इस कार्य के खर्च के लिए एक फ़न्ड स्थापित किया गया जो "लेडी डफरिन फ़न्ड" के नाम से प्रसिद्ध है।

अध्याय ३८

लार्ड लैन्सडौन, नवाँ वाइसराय

(सन् १८८८ ई० से १८९४ ई० तक)

पश्चिमोत्तर सीमा—लार्ड डफरिन के स्थान में ला[illegible] लैन्सडौन नियत हुए। इस वाइसराय ने पश्चिमोत्तर सीमाप्रा[illegible] को हर प्रकार के हमलों से बचाने का उपाय किया। भारत[illegible] का यही भाग हमेशा से बड़ा [illegible] [illegible]

[illegible]

क्रिचाल के राजा के साथ सन्धि [illegible]

[illegible]

मनीपुर के [illegible]

अध्याय ४१

लार्ड मिण्टो, बारहवाँ वाइसराय

(सन् १९०५ ई० से १९१० ई० तक)

देश में अशान्ति—लार्ड कर्जन के जाने के समय हिन्दुस्तान में बड़ी अशान्ति फैल गई थी। इसके कई कारण थे। शिक्षित भारतवासी अपने देश के शासन-प्रबन्ध में अधिक भाग लेना चाहते थे। लार्ड कर्जन की नीति ने जनता में असन्तोष फैला दिया। उधर रूस और जापान की लड़ाई में जापानियों की जीत ने भी भारत के शिक्षित लोगों का हौसला बढ़ा दिया। नये विचार उत्पन्न हो गये। जातीयता का भाव जाग्रत हो गया। लोग खुल्लम-खुल्ला गवर्नमेंट को भला-बुरा कहने लगे। कहीं कहीं राजविद्रोह के भी लक्षण दिखाई देने लगे। इस सबको रोकने के लिए सरकार ने एक नया प्रेस-एक्ट जारी किया जिससे समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता बहुत कुछ कम हो गई।

मिन्टो-मार्ली रिफ़ार्म—सरकार ने राजविद्रोह को रोकने का दृढ़ता से प्रयत्न किया। साथ ही शिक्षित-समाज को सन्तुष्ट करने का भी उपाय किया गया। लार्ड मिन्टो ने शासन में बहुत से सुधार किये। इस समय [illegible]

[illegible]

दी गईं, बढ़ाई गईं। और, सन् १९०९ ई० में "इंडियन कौंसिल्स एक्ट" के अनुसार इन दोनों कौंसिलों में भारतवासियों की संख्या अधिक हो गई। इस बात का विशेष ध्यान रक्खा गया कि हिन्दू और मुसलमान दोनों के प्रतिनिधि अलग-अलग निर्वाचित किये जायँ। सेक्रेटरी आफ स्टेट की कौंसिल में भी दो हिन्दुस्तानी नियुक्त हुए, एक हिन्दू और दूसरा मुसलमान। बाद को एक हिन्दू मेम्बर और बढ़ाया गया।

अध्याय ४२

लार्ड हार्डिंग्ज तेरहवाँ वाइसराय

(सन् १९१० ई० से १९१६ ई० तक)

सम्राट् एडवर्ड की मृत्यु—सन् १९१० ई० में सम्राट् एडवर्ड की मृत्यु हुई और उनकी जगह जार्ज पंचम गद्दी पर बैठे। उन्होंने लार्ड हार्डिंग्ज को लार्ड मिन्टो के स्थान पर वाइसराय नियत किया।

दिल्ली-दरबार और सम्राट् की विज्ञप्ति—सन् १९११ ई० में महाराज जार्ज पंचम, सम्राज्ञी महारानी मेरी के साथ, भारत में पधारे और १२ दिसम्बर सन् १९११ ई० को दिल्ली में राजसिंहासन पर बैठे। भारत के लिए यह पहला अवसर था कि इंगलैंड का राजा स्वयं आकर भारत के सिंहासन पर बैठे। सम्राट् ने अपनी विज्ञप्ति में कहा कि दिल्ली नगर एक बार फिर हिन्दुस्तान की राजधानी बनाया जाता है।

उसी समय सम्राट् ने यह भी घोषणा की कि बिहार और उड़ीसा का एक नया सूबा बनाया जाता है जिसकी राजधानी पटना शहर होगा, जो कि दो हज़ार वर्ष पहले चंद्र-काल में सारे हिन्दुस्तान और एशिया में प्रसिद्ध था। पूर्वी बंगाल और

आसाम का सूबा फिर तोड़ा गया और उसका दक्षिणी भाग ढाका-सहित पुराने बंगाल में मिला दिया गया। आसाम केवल एक चीफ़ कमिश्नर के अधीन रह गया। इस परिवर्तन से बंगाली लोग बहुत प्रसन्न हुए और लार्ड हार्डिञ्ज की प्रशंसा करने लगे।

लार्ड हार्डिञ्ज ने सम्राट् की ओर से यह भी सूचित किया कि "विक्टोरिया क्रास" नामक पदक, जो शूर वीरों को लड़ाई के समय दिया जाता है, बिना भेद-भाव के सब लोगों को दिया जायगा।

यह दरबार दिल्ली के सब दरबारों से बढ़कर था। इसमें असंख्य दर्शक इकट्ठे हुए थे और लगभग एक लाख राजा-महाराजा और रईस आये थे।

लार्ड हार्डिञ्ज ने बहुत से स्कूल और अस्पताल खोले, सड़कें बनवाई और प्रजा के हित के और भी काम किये।

लार्ड हार्डिञ्ज पर बम्ब—२३ दिसम्बर सन् १९१२ ई० को दिल्ली में किसी ने लार्ड हार्डिञ्ज पर बम्ब फेंका। वे तो बाल-बाल बच गये परन्तु उनका रक्षक मारा गया। ऐसी आपत्ति के समय में भी उन्होंने अपनी नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया। जब तक वे हिन्दुस्तान में रहे, प्रजा के साथ दया का बर्ताव करते रहे।

यूरोपीय युद्ध—उन्हीं के समय में यूरोपीय महायुद्ध का आरम्भ हुआ जिसका वर्णन आगे किया जायगा।

पबलिक सर्विस कमीशन—लार्ड हार्डिञ्ज के समय में सरकारी नौकरियों की दशा की जाँच के लिए एक कमेटी नियत हुई। इसका नाम पबलिक सर्विस कमीशन था। इसके सदस्य हिन्दुस्तानी और अँगरेज़ दोनों थे। भारत के सुप्रसिद्ध

देश-भक्त और राजनीतिज्ञ श्रीयुत गोखले भी इनके मेम्बर थे। इस कमीशन ने भारत के सारे प्रान्तों में भ्रमण किया और भिन्न-भिन्न विभागों के लोगों से बातचीत की। मेम्बरों ने अपनी रिपोर्ट में नौकरियों के सुधार की बहुत सी तदबीरें बताईं जिनको गवर्नमेंट ने स्वीकार किया। यह इसी कमीशन की सिफ़ारिशों का फल है कि सरकारी नौकरों की तनख़्वाहें अब पहले से अधिक हो गई हैं।

इनडस्ट्रियल कमीशन—लार्ड हार्डिन्ज को प्रजा के हित का ध्यान सदा रहता था। उन्होंने भारत की कारीगरी और व्यापार की उन्नति के साधनों पर विचार करने के लिए एक औद्योगिक कमीशन भी नियत किया। इस कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें व्यापार और कलाकौशल की उन्नति के अनेक साधन बताये।

सन् १९१६ ई० में लार्ड हार्डिन्ज इंगलैंड लौट गये। उनकी जगह लार्ड चेम्सफ़ोर्ड वाइसराय नियत हुए। लार्ड हार्डिन्ज प्रजा के हितैषी थे। उनका नाम भारतवासी कभी नहीं भूल सकते।

अध्याय ४३

यूरोपीय महायुद्ध और भारत

(सन् १९१४ ई० से १९१९ ई० तक)

महायुद्ध—संसार के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध कभी नहीं हुआ। इसमें लगभग ३ करोड़ से अधिक मनुष्यों ने भाग लिया था। कोई देश और जाति ऐसी नहीं जिसने इस युद्ध में थोड़ा-बहुत भाग न लिया हो। एक ओर इस युद्ध में

जर्मनी, आस्ट्रिया, टर्की और बलगेरिया आदि राष्ट्र थे और दूसरी ओर इँगलैंड, फ्रांस, इटली, बेलजियम, अमरीका, यूनान और अन्य छोटे-छोटे राष्ट्र थे। ये सब, युद्ध के समय, मित्रराष्ट्र कहलाते थे।

युद्ध का कारण—जर्मनी के दक्षिण-पूर्व की ओर आस्ट्रिया का देश है। वास्तव में, जर्मनी के कहने से, युद्ध आस्ट्रिया ही ने आरम्भ किया था। इसका कारण यह था—२८ जौलाई सन १९१४ ई० को आस्ट्रिया के राजकुमार को सर्विया के कुछ विद्रोहियों ने मार डाला। इस पर आस्ट्रिया का सम्राट बहुत बिगड़ा और उसने युद्ध की घोषणा कर दी।

रूस सर्विया की रक्षा करना चाहता था इसलिए वह भी युद्ध में शामिल हो गया। फ्रांस और रूस में पहले सन्धि हो चुकी थी कि काम पड़ने पर एक दूसरे की मदद करेंगे इसलिए फ्रांस को भी रूस के साथ युद्धक्षेत्र में उतरना पड़ा। इसके अतिरिक्त एक और भी कारण था। जर्मनी और फ्रांस में द्वेष था और एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहता था। जब सब तैयारी हो गई तब जर्मनी ने बेलजियम में होकर अपनी सेना भेजी। बेलजियम का देश फ्रांस और जर्मनी के बीच में है और वहाँ होकर फ्रांस के लिए सीधा रास्ता है। जर्मनी, फ्रांस और इँगलैंड पहले सन्धिपत्र लिख चुके थे कि बेलजियम के देश पर कोई चढ़ाई न करेगा और यदि बाहर से उस पर कोई हमला होगा तो सब मिलकर उसकी रक्षा करेंगे। बेलजियम के राजा ने इँगलैंड और फ्रांस से कहा कि जर्मन ऐसा करते हैं। इँगलैंड ने जर्मनी को लिखा कि बेलजियम में सेना भेजना सन्धि के विरुद्ध है परन्तु उसने न माना। इसी पर इँगलैंड और फ्रांस को युद्ध में शामिल होना पड़ा।

जर्मनी की तैयारी—जर्मनी ने कई वर्ष से युद्ध की तैयारी की थी। उसके पास लड़ाई की बहुत सी सामग्री और

और हर्ष से अपने पतियों और बेटों को युद्ध-क्षेत्र में लड़ने के लिए भेज दिया। हज़ारों स्त्रियों ने मरहम-पट्टी करना सीखा और पीछे से घायल सिपाहियों की देखभाल की। उन्होंने कारखानों में भी बड़े परिश्रम से काम किया। इंग्लैंड में कोई घर ऐसा न बचा जिसका एक न एक आदमी रणक्षेत्र में मौजूद न हो।

भारत की सहायता—युद्ध की खबर पाते ही भारत भी सहायता के लिए तैयार होगया। राजाओं, ताल्लुक़ेदारों, ज़मींदारों और धनाढ्य व्यापारियों ने बहुत सा रुपया दिया। मध्यम श्रेणी के लोगों ने भी दिल खोलकर सरकार की सहायता की और लोगों को समझाया कि युद्ध में सरकार की मदद करना हमारा कर्त्तव्य है। भारत के बड़े-बड़े नगरों में सभाएँ हुईं जिनमें हिन्दुस्तान के प्रसिद्ध नेताओं ने कहा कि हम सब तन, मन, धन से साम्राज्य की मदद करने के लिए तैयार हैं।

लड़नेवाली जातियों ने असीम उत्साह प्रकट किया। सिक्ख, राजपूत, जाट, पठान, गोरखे, बलूची, अफ़ग़ान, हिन्दू, मुसलमान और ईसाई सब युद्ध में जाने के लिए तैयार हो गये और क़वायद सीखने लगे। भारतीय नेताओं ने अपने व्याख्यानों से उन्हें युद्धक्षेत्र में ले जाने की प्रार्थना की। कालेज और यूनिवर्सिटियों के अध्यापक और विद्यार्थी भी युद्ध के लिए तैयार हो गये और क़वायद सीखने लगे। एक भारत-रक्षिणी सेना बनाई गई जिसमें बहुत से हमारे [illegible] जिन्होंने कभी बन्दूक हाथ में भी नहीं [illegible] भर्ती हो गये।

[illegible]

बातचीत होने लगी। यूरोप में कई सभाएँ इस बात का निर्णय करने के लिए हुईं कि जर्मनी को क्या दण्ड दिया जाय। बहुत सी बहस के बाद सन्धि हुई। जर्मनी और टर्की की शक्ति कम कर दी गई और उनसे हरजाना लिया गया।

युद्ध का अन्त होने पर भारत में भी ख़ुशी मनाई गई। इँगलैंड के राजनीतिज्ञों ने और भारत-सरकार ने हिन्दुस्तानी प्रजा की प्रशंसा की और बहुत से प्रतिष्ठित सज्जनों को ख़िताब दिये और सोने-चाँदी के पदक प्रदान किये।

अध्याय ४४

लार्ड चेम्सफ़ोर्ड, चौदहवाँ वाइसराय

(सन् १९१६ ई० से १९२१ ई० तक)

मॉन्टेग्यू-चेम्सफ़ोर्ड रिपोर्ट—जिस समय लार्ड चेम्सफ़ोर्ड वाइसराय हुए, यूरोपीय महायुद्ध हो रहा था। उन्होंने युद्ध का सामान विदेशों को भेजा और लड़नेवाले सिपाही भी बहुत से हिन्दुस्तान के बाहर भेजे।

भारत ने जो युद्ध में मदद की उसे देखकर इँगलैंड के लोग प्रसन्न हुए। वहाँ की सरकार ने मि० मॉन्टेग्यू को, जो उस समय 'सेक्रेटरी आफ़ स्टेट फ़ार इण्डिया' थे, हिन्दुस्तान में इस बात की जाँच करने को भेजा कि हिन्दुस्तानियों को शासन-प्रबन्ध में कहाँ तक अधिकार देना उचित है। मि० मॉन्टेग्यू और लार्ड चेम्सफ़ोर्ड ने सैकड़ों भारतीय नेताओं, राजाओं, ताल्लुक़ेदारों और अन्य मनुष्यों से मिले और उनसे इस विषय में परामर्श किया। उन्होंने बड़े बड़े नगरों में दौरा भी किया और लोगों से पूछा कि शासन-सुधार में किन-किन साधनों का प्रयोग करना चाहिए। इन्होंने जो रिपोर्ट प्रकाशित की वह मॉन्टेग्यु-

स्तानी भी इसके मेम्बर थे। इस कमीशन ने जगह-जगह दौ[रा]
किया और एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें शिक्षा-सुधार के उपा[य]
बताये। संयुक्त प्रान्त में इलाहाबाद और लखनऊ यूनीवर्सिटि[यों]
में इसी कमीशन की सिफ़ारिशों के अनुसार काम हो रहा है।

अफ़ग़ानों की चौथी लड़ाई (सन् १९१९-२१)—इस युद्ध का मुख्य कारण अमीर हबीबुल्ला की मृत्यु थी। [illegible] फ़रवरी सन् १९१९ ई० को अमीर के दुश्मनों ने उसका व[ध] करा दिया। अमीर के मरने के बाद राज्य के लिए झग[ड़ा] हुआ परन्तु कुछ समय के बाद हबीबुल्ला का छोटा लड़[का] अमानुल्ला अमीर हो गया। उसने अपने पिता का वध करने वालों को कड़ी सज़ा दी। इस पर कुछ लोगों ने उसका विरो[ध] किया और आन्दोलन करना आरम्भ कर दिया। इतने में हिन्दु[स्]तान में रौलट बिल के कारण बड़ी अशान्ति फैली। जो अफ़ग़ा[न] यहाँ मौजूद थे उन्होंने बहुत सी झूठी खबरें अफ़ग़ानिस्तान [में] फैलाईं और अमीर को हिन्दुस्तान पर हमला करने का न्यो[ता] दिया। अमीर ने भारत की सीमा पर अपनी सेना भेजना आरम्भ कर दिया। इधर अँगरेज़ी सरकार ने भी अपनी से[ना] और कई हवाई जहाज भेजे जिन्होंने जलालाबाद औ[र] काबुल पर हमला किया। अन्त में अफ़गान हार गये औ[र] ८ अगस्त सन् १९१९ ई० को सन्धि हो गई।

राजनीतिक स्थिति—लार्ड चेम्सफ़ोर्ड के शासनका[ल] में राजविद्रोह का दमन करने के लिए [illegible] रौलट एक्ट पास हुआ [illegible] व्यवस्थापक सभा [illegible] गैर-सरकारी सभ्य [illegible] इसका [illegible] किया परन्तु सरकार ने [illegible] बड़ी असन्तो[ष] [illegible] आपद [illegible] अमृतसर [illegible] जलियाँवाला बाग़ में [illegible] के लिए बहुत क[illegible]

उद्योग किया था, देश को सत्याग्रह करने की सलाह दी। थोड़े दिन बाद उन्होंने सरकार से असहयोग आरम्भ किया जिसमें प्रधान बातें तीन थीं—(१) सरकारी स्कूलों और कालिजों का परित्याग, (२) अदालतों का बहिष्कार, (३) विदेशी वस्त्र का बहिष्कार। देश में अनेक सभाएँ हुईं। जनता में बड़ा जोश फैला। बड़े-बड़े वकील-बैरिस्टरों ने वकालत छोड़ दी। कुछ विद्यार्थियों ने भी पढ़ना छोड़ दिया। बहुत से लोग खद्दर पहनने लगे और ज़ोर का आन्दोलन हुआ।

सन् १९२१ ई० में लार्ड चेम्सफ़ोर्ड विलायत लौट गये। उनकी जगह लार्ड रैडिङ्ग वाइसराय हुए। वे पहले इंगलैंड के चीफ़ जस्टिस (प्रधान न्यायाधीश) थे और अपनी योग्यता, व्यावहारिक कुशलता और न्याय-प्रियता के कारण ही वाइसराय के पद पर नियुक्त किये गये थे।

अध्याय ४५

लार्ड रैडिङ्ग, पन्द्रहवाँ वाइसराय

(सन् १९२१ ई० से १९२६ ई० तक)

भारतीय स्थिति—जिस समय लार्ड रैडिङ्ग हिन्दुस्तान आये, सारे देश में असहयोग-आन्दोलन का ज़ोर-शोर था। ख़िलाफ़त कमेटियाँ भी अपना काम कर रही थीं। अगस्त के महीने में मलाबार में मोपला नामक मुसलमानों ने भयङ्कर उत्पात किया। मलाबार में हलचल मच गई। रास्ते रोक दिये [illegible] खूब मारकाट हुई अन्त में वहाँ [illegible]

प्रिंस का आगमन—[illegible]

भारत में पधारे। राजाओं, महाराजाओं, रईसों तथा प्रजा ने उनका स्वागत किया और उत्सव मनाया। प्रिंस ने बड़े-बड़े शहरों में दौरा किया और कहीं-कहीं पर विद्यार्थियों से भी भेंट की और वार्तालाप किया।

पंजाब में अशान्ति—अकाली सिक्खों ने पञ्जाब में गुरुद्वारों के सुधार के लिए घोर आन्दोलन शुरू किया। इनका कहना था कि महन्त लोग अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करते और सारा धन और समय भोग-विलास में नष्ट करते हैं। इन्होंने जबर्दस्ती गुरुद्वारों पर अधिकार करना आरम्भ कर दिया। पहले-पहल ननकाना साहब का हत्याकाण्ड हुआ जिसमें महन्त ने अकालियों के एक जत्थे को कत्ल करवा डाला। बड़ा उपद्रव आरम्भ हो गया। सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। बड़ी कठिनाई से शान्ति स्थापित हुई।

शासन-सुधार—सन् १९२२ ई० में गवर्नमेन्ट ने श्रीयुत *श्रीनिवास शास्त्री को आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा आदि* देशों में हिन्दुस्तानियों की दशा की जाँच करने के लिए भेजा। उनका उन देशों में अच्छा प्रभाव पड़ा। उपनिवेशीय सरकारों ने हिन्दुस्तानियों की दशा सुधारने का वचन दिया।

भारत-सरकार की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए 'इञ्चकेप कमेटी' नियत हुई। इसने खर्च कम करने के साधन बतलाये।

सेना में हिन्दुस्तानियों को कमीशन मिलने लगा। फौजी शिक्षा का भी अच्छा प्रबन्ध किया गया। जहाजी बेड़ा बनाने का भी प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है।

[illegible]

मेम्बरों ने अपनी अलग रिपोर्ट तैयार की जिसमें कहा कि शासन में शीघ्र सुधार करने की आवश्यकता है।

कुछ दिन से विलायत में ऐसा हो गया था कि अँगरेज़ नवयुवक भारतीय सिविल सर्विस की परीक्षा में शामिल नहीं होते थे। उन्हें आकर्षित करने और मौजूदा अफ़सरों की दशा सुधारने के लिए 'ली कमीशन' नियत हुआ। इस कमीशन की सिफ़ारिशों के अनुसार सिविल सर्विस के अफ़सरों के वेतन और भत्ते बढ़ा दिये गये हैं।

राजनीतिक स्थिति—असहयोग-आन्दोलन कुछ समय के बाद शिथिल पड़ गया। कांग्रेस में कई दल हो गये। महात्मा गान्धी के अनुयायियों में मतभेद हो गया। हिन्दू-मुसलमानों में झगड़ा होने लगा। शुद्धि-संगठन की कार्यवाही शुरू हुई। उधर मुसलमानों ने भी अपने धर्म का प्रचार करने के लिए नई-नई संस्थाएँ बनाईं। दोनों ओर से वैमनस्य बढ़ गया। कोहाट में भयङ्कर बलवा हुआ। ख़ूब मारकाट हुई। धन लूटा गया। बहुत से मनुष्यों के प्राण गये। इसी समय दोनों क़ौमों में मेल करने की कोशिश की गई। महात्मा गान्धी ने २१ दिन का दिल्ली में उपवास रक्खा। ऐक्य स्थापित करने के लिए सभा हुई परन्तु विशेष सफलता न हुई। बंगाल में भी हलचल मची। सन् १९२४ में राजविद्रोह को रोकने के लिए सरकार ने एक नया क़ानून जारी किया। कई बंगाली अफ़सर तथा कौंसिल के मेम्बर गिरफ्तार कर लिये गये और जेलख़ाने भेज दिये गये। देश भर में इसका विरोध हुआ परन्तु क़ानून जारी रहा।

लार्ड अरविन—अप्रैल सन् १९२६ ई० में लार्ड रीडिंग [illegible]

कौंसिल (प्रबन्धकारिणी सभा) में कुछ संशोधन हुआ। वाइसराय को थोड़े से मेम्बर नामजद करने का अधिकार मिल गया जो कौंसिल में उस समय बैठते थे जब वह क़ानून बनाने का काम करती थी। इक्ज़िक्यूटिव कौंसिल केवल शासन-प्रबन्ध का काम करती थी। सन् १८९२ ई० में एक और क़ानून पास हुआ जिससे कौंसिलों की स्थिति में बहुत कुछ सुधार हुआ। सन् १९०९ ई० में मिन्टो-मार्ले सुधार हुआ जिससे कौंसिलों की दशा में बहुत परिवर्त्तन हो गया। प्रबन्धकारिणी सभा में प्रधान सेनापति (कमान्डर-इन-चीफ़) को मिलाकर सात मेम्बर होते थे और सब अँगरेज़ होते थे। अब एक मेम्बर हिन्दुस्तानी होने लगा। व्यवस्थापक सभा के मेम्बरों की संख्या ६० हो गई जिनमें २५ मेम्बर ग़ैरसरकारी होने लगे। ग़ैरसरकारी मेम्बरों के अधिकार भी कुछ बढ़ा दिये गये और उन्हें बजट पर बहस करने की भी आज्ञा मिल गई।

सन् १९१९ का सुधार—जिस समय यूरोपीय महायुद्ध हो रहा था, मिस्टर मौन्टेग्यू, भारत के सेक्रेटरी आफ़ स्टेट, हिन्दुस्तान आये। उन्होंने पार्लियामेंट में घोषणा की थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की यह इच्छा है कि यथासम्भव भारतवासियों को उनके देश के शासन में भाग दिया जाय और धीरे-धीरे भारत में उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन स्थापित किया जाय। भारत-मन्त्री ने यह भी कहा कि यदि भारतवासी शासन-प्रबन्ध में योग्यता दिखायेंगे तो उन्हें एक दिन पूरा उपनिवेशीय स्वराज्य (जैसा ब्रिटिश-साम्राज्य के अन्तर्गत राज्यों में है) दे दिया जायगा।

मिस्टर मौन्टेग्यू और लार्ड चेम्सफ़ोर्ड ने साथ साथ भारत के अनेक प्रान्तों में भ्रमण किया। उन्होंने सैकड़ों भारतवासियों और अँगरेज़ों से भेंट की और उनसे शासन-सुधार के विषय में सलाह की। उन्होंने प्रसिद्ध भारतीय नेताओं को भी बुलाया

और उनसे पूछा कि शासन-प्रणाली में क्या सुधार होना चाहिए।

जब उन्होंने सबकी राय पूछकर मसाला इकट्ठा कर लिया तब एक रिपोर्ट लिखी जो मौन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है। इस रिपोर्ट में उन्होंने वर्तमान शासन-प्रणाली के दोष दिखलाये और आवश्यकीय सुधारों का वर्णन किया। इसी रिपोर्ट में उन्होंने यह मत प्रकट किया कि भारतवासियों को भी उच्च पद मिलने चाहिएँ।

पीछे से इस रिपोर्ट के आधार पर विलायत में बहुत सी बहस हुई और सर्व-सम्मति से यह निश्चय हुआ कि भारतीय शासन-प्रबन्ध का सुधार करने के लिए क़ानून पास होना चाहिए। अन्त में सन् १९१९ ई० में गवर्नमेंट आफ़ इण्डिया ऐक्ट (भारत-शासन का क़ानून) पास हुआ जिसने भारतीय और प्रान्तिक सरकारों का स्वरूप ही बदल दिया।

इस क़ानून के अनुसार भारत-सरकार की प्रबन्धकारिणी सभा में हिन्दुस्तानी मेम्बरों की संख्या बढ़ गई। आजकल इस सभा में तीन हिन्दुस्तानी मेम्बर हैं।

व्यवस्थापक सभा, जिसको अब लेजिस्लेटिव ऐसेम्बली कहते हैं पहले की अपेक्षा बहुत बड़ी हो गई। इसके सदस्यों की संख्या नये क़ानून के अनुसार [illegible] है जिसमें से कम से कम [illegible] मेम्बर प्रजा के चुने [illegible] होने चाहिएँ। शेष ४० मेम्बरों के [illegible] नाम [illegible] है। [illegible] यह नियम है कि [illegible] सरकारी [illegible] इस सभा में [illegible] सभापति के [illegible] ग्रहण करते थे [illegible] नहीं है। पहला सभापति सरकार ने चार वर्ष के लिए नियुक्त किया था परन्तु अब सभा अपना सभापति आप चुनती है। इस सभा का मुख्य कार्य समस्त भारतवर्ष के लिए क़ानून बनाना है। प्रति तीसरे वर्ष इस सभा का चुनाव होता है

जाता है जिससे जन-साधारण उस पर विचार कर सकें और अपना मत प्रकट कर सकें । कुछ समय के बाद वह कानून व्यवस्थापक सभा में पेश होता है और बहस के बाद एक छोटी सी कमेटी को सौंप दिया जाता है। इस कमेटी के मेम्बर उस पर विचार करते हैं और, यदि आवश्यकता होती है तो, उसमें संशोधन भी करते हैं। इसके बाद तीसरी बार फिर वही कानून सभा के सामने रक्खा जाता है और मेम्बर लोग बहस करते हैं। मेम्बरों को अधिकार है, चाहे वे उसका समर्थन करें चाहे विरोध। जब कानून बहुमत से पास हो जाता है तब देश में जारी किया जाता है।

लेजिस्लेटिव एसेम्बली का कोई मेम्बर प्रजा के हित के लिए जो प्रश्न चाहे कर सकता है परन्तु किसी मेम्बर को ऐसा प्रश्न करने का अधिकार नहीं जिससे दूसरे व्यक्ति की निन्दा अथवा जनता की हानि हो। सरकार की आमदनी और खर्च का सालाना चिट्ठा हर साल इस सभा के सामने उपस्थित किया जाता है। इस चिट्ठे को अँगरेज़ी में "बजट" कहते हैं । एक सरकारी मेम्बर इसे पढ़कर सभा में सुनाता है और हर एक बात की व्याख्या करता है। इसके बाद बहस होती है और ग़ैरसरकारी मेम्बर उसमें काट-छाँट करते हैं। तब बजट मेम्बरों की सलाह से पास किया जाता है।

व्यवस्थापक सभा और राज्य सभा की कार्यवाही सरकारी रिपोर्टों में छप जाती है कोई बात गुप्त नहीं रक्खी जाती। इन रिपोर्टों से [illegible] आसानी से जान सकते हैं और वाद-विवाद पढ़ सकते हैं।

२ प्रान्तीय शासन

जैसे मुसलमानों [illegible] के समय में सारा देश सूबों में

भारत भी कई सूबों में बँटा हुआ है। इन सूबों में कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे। सन १९१८ ई० में कुल मिलाकर १५ सूबे थे।

(१) बड़े-बड़े सूबे, जो प्रेसीडेन्सियाँ (अहाते) के नाम से प्रसिद्ध हैं; जैसे, बंगाल, बम्बई और मदरास।

(२) मध्यम श्रेणी के सूबे, जिनमें सन १९१९ के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर शासन का प्रबन्ध करते थे, जैसे, संयुक्तप्रदेश आगरा और अवध, पञ्जाब, बर्मा, बिहार और उड़ीसा।

(३) छोटे सूबे, जो चीफ़ कमिश्नरों के अधीन थे; जैसे मध्य-प्रदेश, आसाम, पश्चिमोत्तर-सीमा-प्रान्त और दिल्ली।

(४) ब्रिटिश बलूचिस्तान, अजमेर-मेरवाड़ा, कुर्ग और अण्डमान नीकोबार द्वीप-समूह।

बंगाल, बम्बई और मदरास सूबों का शासन सन् १९१९ ई० के सुधारों के पहले भी गवर्नरों द्वारा ही होता था। गवर्नरों की सहायता के लिए दो कौंसिलें होती थीं जो अब भी हैं और जिन्हें इक्ज़िक्यूटिव और लेजिस्लेटिव कौंसिल कहते हैं। प्रबन्ध-कारिणी सभा में एक भारतीय सदस्य भी पीछे से होने लगा था।

संयुक्त-प्रान्त, पञ्जाब, बिहार और उड़ीसा और ब्रह्मा का शासन-प्रबन्ध लेफ्टिनेन्ट गवर्नरों द्वारा होता था। ये बहुधा सिविल सर्विस के अफ़सरों में से नियुक्त किये जाते थे। इनमें से कुछ के यहाँ प्रबन्धकारिणी सभाएँ थीं और कुछ के यहाँ नहीं; परन्तु व्यवस्थापक अर्थात् क़ानून बनानेवाली सभाएँ सबके यहाँ थीं। छोटे-छोटे सूबे चीफ़ कमिश्नरों के अधीन थे और उनकी सहायता के लिए कौंसिलें नहीं थीं।

नये सुधारों के पहले प्रान्तीय शासन में प्रजा के चुने हुए मेम्बरों का अधिकार बहुत थोड़ा था। वे केवल सरकार के कामों के दोष बताया करते थे। परन्तु जब १९१९ ई० में गवर्नमेंट आफ़

इण्डिया ऐक्ट् पास हुआ तब सरकार ने अपनी नीति बदल दी। इस ऐक्ट् में प्रजा के चुने हुए मेम्बरों को प्रान्तीय शासन में अधिक भाग देने का निर्णय किया गया जिससे लोग धीरे-धीरे स्वराज्य के योग्य बन जावें।

इसी क़ानून के अनुसार संयुक्तदेश, पञ्जाब, बिहार और उड़ीसा, मध्यप्रदेश और आसाम आदि सूबे बड़े सूबे हो गये और उनका शासन भी प्राचीन बड़े सूबों की तरह गवर्नरों-द्वारा होने लगा। हर एक सूबे में गवर्नर की सहायता के लिए दो कौंसिलें स्थापित हो गईं, इक्ज़िक्यूटिव और लेजिसलेटिव। इक्ज़िक्यूटिव यानी प्रबन्धकारिणी सभा के मेम्बरों की संख्या ४ से अधिक किसी सूबे में नहीं हो सकती जिनमें कम से कम आधे भारतवासी होने चाहिएँ। गवर्नर की सहायता के लिए व्यवस्थापक सभा (लेजिस्लेटिव कौंसिल) के प्रजा के चुने हुए मेम्बरों में से कम से कम दो मन्त्री नियत किये गये। शासन का सारा काम दो भागों में बँट गया, एक तो वह जिस पर गवर्नर और उसकी प्रबन्धकारिणी सभा का अधिकार रहा और दूसरा वह जिसका कार्य-सञ्चालन मन्त्रियों द्वारा होने लगा। भारतीय मंत्रियों का दर्जा प्रबन्धकारिणी कौंसिल के मेम्बरों के बराबर ही है। उनके अधीन जो महकमे हैं उनमें शिक्षा और स्वास्थ्य-रक्षा का महकमा मुख्य है। यदि वे चाहें तो प्रजा के हित के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मंत्री उसी समय तक अपने पद पर रह सकते हैं जब तक कि लेजिस्लेटिव कौंसिल को उनके ऊपर पूरा भरोसा रहेगा। जब कौंसिल से उन्हें सहायता न मिलेगी तब उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ेगा।

व्यवस्थापक सभा के सदस्यों की संख्या पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गई है। सब सूबों में सदस्यों की संख्या समान नहीं है क्योंकि कोई सूबे बड़े हैं और कोई छोटे। परन्तु प्रजा के निर्वाचित मेम्बरों की संख्या सब प्रान्तों में मिलाकर ७७६ है।

इन कौंसिलों में अधिकांश मेम्बर प्रजा के चुने हुए होंगे और सरकारी मेम्बर २० फी सदी से अधिक न होंगे।

वोट का अधिकार—इस सभा के मेम्बरों को प्रान्त के निवासी 'वोट' द्वारा चुनेंगे। परन्तु वोट का अधिकार प्रत्येक मनुष्य को नहीं होगा। वोट केवल वे ही लोग दे सकेंगे जो सरकार को मालगुज़ारी, लगान अथवा आय-कर (इनकमटैक्स) देते हों। वोटरों के नियम हर एक प्रान्तों में एक से नहीं हैं। सब प्रान्तों से मिलाकर लगभग साढ़े बावन लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें वोट देने का अधिकार है। इनमें बहुत से देहाती लोग हैं जो लिखना-पढ़ना बिलकुल नहीं जानते परन्तु जो सरकार को कुछ धन, कर के रूप में, देते हैं। पश्चिमीय देशों की तरह अभी यहाँ स्त्रियों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। परन्तु यदि कोई प्रान्तिक सरकार चाहे तो अपने यहाँ की स्त्रियों को वोट का अधिकार दे सकती है। कौंसिल का चुनाव तीन वर्ष बाद होता है। चुनाव के पहले वोटरों के नाम छाप दिये जाते हैं जिससे मेम्बरी चाहनेवालों को मालूम हो जाय कि वोट देने का किन-किन लोगों को अधिकार है। वोट देने और न देने की हर एक वोटर को पूरी स्वतन्त्रता है। यदि वह न चाहे तो अपना वोट किसी को न दे। मेम्बरी की इच्छा रखनेवाले लोग वोट लेने के लिए वोटरों से प्रार्थना कर सकते हैं। यदि कोई मनुष्य वोटरों को घूस देता है या उनके साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसे दण्ड दिया जाता है। हर एक वोटर मेम्बरी के लिए खड़ा हो सकता है परन्तु कोई सरकारी कर्मचारी प्रजा-द्वारा निर्वाचित मेम्बर नहीं हो सकता। वोट का अधिकार देने का अभिप्राय यही है कि लोग [illegible] है और अपना [illegible] करने [illegible] [illegible] बाद वे देखें कि उनके [illegible] किया है फिर उन्हें [illegible]

न दें। प्रान्तीय सरकार उन्हीं कामों का प्रबन्ध करती है जिनका सूबे से सम्बन्ध होता है; जैसे, कर वसूल करना, शिक्षा का प्रबन्ध, तालाब-नहरें-सड़कें और पुल आदि बनाना और पुलिस और जेल आदि का प्रबन्ध करना।

प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा का पास किया हुआ क़ानून जारी नहीं हो सकता जब तक वाइसराय उसे स्वीकार न कर ले।

(३) ज़िले का शासन

हर एक सूबे में कई ज़िले होते हैं। ज़िले का सबसे बड़ा हाकिम कलक्टर होता है और वह बहुधा सिविल सर्विस के अफसरों में से नियुक्त किया जाता है। पञ्जाब, अवध, मध्य-प्रदेश और अन्य छोटे सूबों में उसे डिप्टी कमिश्नर कहते हैं। कलक्टर ज़िले के शासन का प्रबन्ध करता है और ज़िले में जितने और महकमों के अफ़सर होते हैं उनके काम की देखभाल करता है। उसकी सहायता के लिए उसके अधीन और भी कई हाकिम होते हैं, जैसे, असिस्टेन्ट कलक्टर या डिप्टी कलक्टर, सुपरिन्टेन्डेन्ट जेल, सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, इञ्जीनियर, सिविल सर्जन, इन्सपेक्टर मदारिस आदि। ये सब ज़िले के बड़े अफ़सर हैं। इनमें से किसी-किसी के अधीन तीन-तीन चार-चार ज़िले होते हैं जिनमें वह दौरा करता है और अपने महकमे के काम की देख-भाल करता है। इन पदों पर अँगरेज़ और हिन्दुस्तानी दोनों नियुक्त किये जाते हैं।

कलक्टर बहुत से काम करता है। वह मालगुज़ारी वसूल करता है, मुक़दमे करता है और ज़िले में शान्ति रखता है। पुलिस, जेल, अस्पताल, मदर्से आदि के काम को भी वह देखता है और लोगों से मिलकर उनका हाल पूछता है। जाड़े के दिनों में वह देहात में दौरा करता है, खेती-बारी को देखता है और लोगों की दशा को जानने का प्रयत्न करता है। उसे हर मास अपने ज़िले के प्रबन्ध की एक रिपोर्ट लिखकर ऊपर के हाकिम के पास भेजनी पड़ती है।

हर एक ज़िले में कई तहसीलें होती हैं जो तहसीलदारों के अधीन होती हैं। तहसीलदार का मुख्य काम मालगुज़ारी वसूल करना है परन्तु वह फ़ौजदारी और माल के छोटे छोटे मुकदमे भी करता है जिनकी अपील कलक्टर के यहाँ होती है। इनके नीचे नायब-तहसीलदार, क़ानूनगो, पटवारी आदि कर्मचारी होते हैं। तहसीलदार अपने इलाक़े में वही काम करता है जो कलक्टर ज़िले में करता है। यह देहाती लोगों को बहुत कुछ लाभ या हानि पहुँचा सकता है। यह भी जाड़े के दिनों में अपने इलाक़े में दौरा करता है और लोगों से उनका हाल पूछता है। पहले तहसीलदार इतने पढ़े-लिखे नहीं होते थे परन्तु अब इनमें बहुत से योग्य और सुशिक्षित हैं और ईमानदारी से काम करते हैं।

कई ज़िलों को मिलाकर कमिश्नरी बनती हैं जो एक कमिश्नर के अधीन होती हैं। कमिश्नर कलक्टरों के काम की निगरानी करता है और उनके मुकदमों की अपीलें भी सुनता है। वह सिविल सर्विस के सदस्यों में से चुना जाता है और बहुधा बुद्धिमान और अनुभवी पुरुष होता है।

(४) स्थानीय स्वराज्य (लोकल सेल्फ़ गवर्नमेंट)

प्राचीन भारत के ग्राम स्थानीय स्वराज्य के प्रतीक थे। हिन्दू-काल में प्रत्येक गाँव में पञ्चायतें होती थीं जो गाँव के लोगों के झगड़ों का निपटारा करतीं और गाँव का प्रबन्ध करती थीं। मुसलमानों के समय में भी गाँवों का प्रबन्ध इसी प्रकार होता रहा। हर एक गाँव का एक मुखिया होता था जिसे पटेल अथवा नम्बरदार कहते थे। वह लगान वसूल करके और पटवारी को देकर सरकार में जमा करता था। [illegible]

करने के लिए हर एक गांव में एक चौकीदार भी होता था। इन लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती थी। वे किसानों से अनाज पाते थे परन्तु आजकल सबको नक़द तनख्वाह दी जाती है।

शहरों का प्रबन्ध आजकल म्यूनिसपल्टियां करती हैं। सरकार ने सब बड़े-बड़े शहरों में म्यूनिसपल्टियां स्थापित कर दी हैं। बड़े-बड़े काम जैसे मालगुज़ारी वसूल करना, क़ानून बनाना, व्यापारिक उन्नति का उद्योग करना, उच्च शिक्षा का प्रबन्ध आदि प्रान्तीय सरकार करती है परन्तु बहुत से काम ऐसे हैं जिन्हें लोग स्वयं अच्छी तरह कर सकते हैं। ये काम हैं— शहर की सफ़ाई रखना, रोशनी करना, पीने के लिए साफ़ पानी का प्रबन्ध करना, बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल खोलना, अस्पताल खोलना आदि। म्यूनिसपल कमेटियां पहले-पहल बम्बई, कलकत्ता, मदरास आदि बड़े बड़े शहरों में स्थापित हुई थीं। पहले तो लोगों ने उनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे समझते थे कि कर लगाना और शहर की सफ़ाई आदि का प्रबन्ध करना सरकार का काम है, उनका नहीं। परन्तु जब शिक्षा का प्रचार हुआ और वे समझने लगे कि इन कामों को सरकार की अपेक्षा हम ही अधिक अच्छी तरह कर सकते हैं तब उन्होंने म्यूनिसपल कमेटियों में भाग लेना आरम्भ किया। पहले म्यूनिसपल्टियों पर सरकार का अधिकार बहुत था परन्तु अब उन्हें अधिक स्वतन्त्रता मिल गई है।

म्यूनिसपल्टियों के मेम्बर म्यूनिसपल कमिश्नर कहलाते हैं और उनमें से अधिकांश प्रजा-द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। उनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें सरकार नामज़द करती है। लगभग ८० फ़ी सदी मेम्बर भारतवासी होते हैं। वे अपना सभापति आप चुनते हैं।

म्यूनिसपल्टियों की आय उन करों से होती है जो वे स्वयं वसूल करती हैं। इसके सिवा उन्हें सरकार से भी आर्थिक सहा-

चन्दा मिलती है। यह सब रुपया प्रजा के हित के कामों में ख़र्च किया जाता है। लोग म्यूनिसपल्टी के मेम्बर होने में अपनी प्रतिष्ठा समझते हैं।

देहातों में यह काम डिस्ट्रिक् बोर्डों के द्वारा होता है। सन् १८८३ ई० में, लार्ड रिपन के समय में, तहसीलों में लोकल बोर्ड स्थापित किये गये थे। इनका काम मदरसों, सड़कों और अस्पतालों का प्रबन्ध करना था। देहात के लोग इनके मेम्बर बनाये गये परन्तु सरकार का अभिप्राय पूरा नहीं हुआ। इनका मुख्य कारण यह था कि गाँवों के लोग पढ़े-लिखे न होने के कारण उनकी उपयोगिता को समझ न सके। मदरास-प्रान्त में ये बोर्ड अभी तक मौजूद हैं और उनके मेम्बर पढ़े-लिखे होने के कारण अच्छी तरह काम करते हैं।

डिस्ट्रिक् बोर्ड हर एक ज़िले में हैं। इनके मेम्बर भी बहुत से ऐसे होते हैं जिनका देहात से सम्बन्ध होता है। बोर्डों का काम है सड़कों की मरम्मत कराना, मदरसे खोलना और उनकी देख-भाल करना; अस्पताल खोलना और प्रजा की स्वास्थ्य-रक्षा का उपाय करना आदि। भारत-सरकार ने १९१८ ई० में एक विज्ञप्ति निकाली थी जिसमें उसने यह कहा था कि बोर्डों के मेम्बर प्रजा के चुने हुए होने चाहिएँ और उन्हें अधिकार भी ज़ियादा मिलना चाहिए। बहुत से प्रान्तों में बोर्डों का नये ढंग से संगठन हुआ है। उनमें अब अधिकांश मेम्बर प्रजा के चुने हुए हैं और इन्हें अपना सभापति चुनने का भी अधिकार मिला है। बहुत सी जगहों में बोर्डों को अपने इलाके में कर लगाने का भी अधिकार दे दिया गया है।

कई [illegible] में सरकार ने सब [illegible] में पंचायतें स्थापित कर दी हैं। ये [illegible] के झगड़ों का निपटारा करने और शान्ति रखने [illegible] सम्बन्ध रखते हैं और [illegible]

जातियों में से चुने जाते हैं। वे दीवानी और फौजदारी के छोटे-छोटे मुक़द्दमे करते हैं। इनसे सरकार का यही अभिप्राय है कि लोग धीरे-धीरे अपना प्रबन्ध आप करना सीख जायँ।

(५) पुलिस और जेल

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के समय में पुलिस का प्रबन्ध अच्छा नहीं था। परन्तु ग़दर के बाद सरकार ने पुलिस का सुधार करने में बहुत सा रुपया ख़र्च किया है। पुलिस का प्रबन्ध प्रान्तीय सरकार अपने सूबे में करती है। पुलिस का काम प्रजा की रक्षा करना और चोर, डाकू, लुटेरे आदि अपराधियों को पकड़ कर दण्ड दिलवाना है। यदि पुलिस न हो तो हमारे जान-माल की रक्षा होना असम्भव हो जाय और हर जगह उपद्रव होने लगें। पुलिस का सबसे बड़ा हाकिम इन्सपेक्टर-जनरल आफ पुलिस कहलाता है जिसके अधीन और बहुत से अफ़सर होते हैं। हर एक ज़िले में एक सुपरिन्टेन्डेन्ट होता है और उसकी सहायता के लिए असिस्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट, डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट, इन्सपेक्टर और सब-इन्सपेक्टर (दारोगा) होते हैं। ज़िले में कई थाने होते हैं और हर एक थाने में एक या दो थानेदार होते हैं और थाने में सिपाही भी रहते हैं। देहात में भी थाने होते हैं और प्रत्येक थाने के अधीन कई गाँव होते हैं। गाँव में पुलिस का काम चौकीदार करता है। वह सरकारी नौकर होता है। जब किसी गाँव में कोई बदमाश आता है या चोरी या डकैती [illegible] कोई [illegible] हो जाता है तब वह उसकी ख़बर थाने [illegible] गाँव में एक निश्चित [illegible] अपराधियों का पता [illegible] करता है

[illegible] प्राचीन [illegible] अपराधियों

को केवल दुख देने के लिए है और दूसरों को डराने के लिए। जेलों में अन्धाधुन्ध अपराधी ठूँस दिये जाते थे। न उन्हें समय पर भोजन मिलता था और न उनकी स्वास्थ्य-रक्षा का कोई उपाय किया जाता था। काम उनसे इतना लिया जाता था कि बहुत से तो बेचारे जेल ही में अपने प्राण खो बैठते थे परन्तु अब जेलों की दशा ऐसी नहीं है। जेलों की निगरानी के लिए अलग हाकिम होते हैं। जेल हर एक ज़िले में होता है। जेल के अफसरों के अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट जज, सिविल सर्जन, डिस्ट्रिक्ट-मजिस्ट्रेट भी जेलों की देख-भाल करते हैं और यदि प्रबन्ध अच्छा नहीं होता तो रिपोर्ट करते हैं।

कैदियों को जेल में रखने से सरकार का यह अभिप्राय नहीं है कि उन्हें दुख दिया जाय। दूसरे देशों की तरह यहाँ भी उनका स्वभाव बदलने और आचरण सुधारने की चेष्टा की जाती है। कैदियों को जेल में ऐसे काम सिखलाये जाते हैं जैसे कालीन बुनना, दरी बुनना, सफाई, दरजी, बढ़ई और लुहार का काम इत्यादि। इससे कैदी जेलखाने से चतुर होकर निकलते हैं और आराम से जीविका उपार्जन करते हैं।

जेलों के प्रबन्ध की ओर सरकार ने हाल में विशेष ध्यान दिया है। कैदियों की स्वास्थ्य-रक्षा के लिए डाक्टर रहते हैं [illegible]

बना दिये गये हैं जहाँ उन्हें शिक्षा भी दी जाती है और दलकारी सिखाई जाती है।

(६) सेना

प्रत्येक गवर्नमेंट का पहला कर्तव्य यह है कि वह देश में शान्ति रक्खे, देश को बाहरी हमलों से बचाये और भीतरी उपद्रवों को भी होने से रोके। कारण यह है कि बिना शान्ति के किसी प्रकार की उन्नति नहीं हो सकती।

पहले कह चुके हैं कि प्रजा की जान-माल की रक्षा के लिए पुलिस रक्खी जाती है। परन्तु देश के भीतरी बड़े उपद्रवों को शान्त करने के लिए और विदेशी हमलों से देश की रक्षा करने के लिए सेना की आवश्यकता होती है।

सन् १८५७ ई० में जब कम्पनी का राज्य समाप्त हुआ तब अँगरेज़ी सरकार का सेना पर अधिकार स्थापित हो गया। उस समय भारत में तीन बड़ी सेनाएँ थीं—एक तो बङ्गाल में, दूसरी बम्बई में और तीसरी मदरास में। उसमें ६५,००० गोरे और १,४०,००० हिन्दुस्तानी थे। सन् १९०४ ई० में लार्ड किचनर ने फिर से सेना का सगठन किया और तीन सेनाएँ बनाईं। यूरोपीय महायुद्ध के बाद इस बात की आवश्यकता हुई कि सेना का फिर संगठन होना चाहिए और शान्तिकाल में ऐसी सेना रखनी चाहिए जो शीघ्र युद्ध के लिए तैयार हो सके। तब १० सैनिक जिले बना दिये गये और हर एक को अपना-अपना प्रबन्ध करने का अधिकार दे दिया गया। सन् [illegible] ई० में भारतीय सेना में [illegible] का [illegible] संगठन हुआ है।

[illegible]

सकते हैं। इनके अलावा २०,००० मनुष्य देशी रियासतों की सेनाओं में हैं। पश्चिमोत्तर-सीमादेश में १२,००० मनुष्यों की एक फ़ौज अलग है, क्योंकि तुरकी के रास्ते से पश्चिमोत्तर की ओर से ही भारतवर्ष पर हमला हो सकता है।

जल की ओर से भारत की रक्षा ब्रिटेन के संसार-प्रसिद्ध जंगी जहाज़ों के बेड़े द्वारा होती है। कुल स्थल-सेना और जल-सेना का सबसे बड़ा अफ़सर कमान्डर-इन-चीफ़ कहलाता है जिसके विषय में तुम पहले ही पढ़ चुके हो। उसके अधीन बहुत से छोटे अफ़सर हैं। सरकार के पास हवाई जहाज़ भी हैं जिनसे लड़ाई के समय काम लिया जा सकता है।

सन १९१९ तक फ़ौज में हिन्दुस्तानी अफ़सर बहुत कम होते थे। अब इनकी संख्या बढ़ाई जा रही है।

सेना के सिपाहियों की फ़ौजी शिक्षा के लिए भी सरकार ने प्रबन्ध किया है। वैलिंगटन में गोरों के लिए और बेलगांव में हिन्दुस्तानियों के लिए फ़ौजी स्कूल खोले गये हैं। देहरादून में 'वेल्स नावल मिलिटरी स्कूल' खोला गया है जहाँ से नवयुवक '[illegible] मिलिटरी कालेज सैंडहर्स्ट' में शिक्षा पाने के लिए भेजे [illegible] और [illegible] निकल [illegible] है [illegible]

[illegible]

५. [illegible] का प्रबन्ध

[illegible]

अव्वल दर्जे के मजिस्ट्रेटों की अपील सेशन्स जज के यहाँ होती है और दूसरे और तीसरे दर्जे के मजिस्ट्रेटों की कलेक्टर के यहाँ। सेशन्स जज के फैसले की अपील केवल हाईकोर्ट में हो सकती है।

यूरोपीय लोगों के मुकदमे करने का अधिकार पहले केवल हाईकोर्ट को था परन्तु अब ऐसा नहीं है।

इनके दीवानी के मुकदमे चाहे जो दीवानी का हाकिम कर सकता है परन्तु फौजदारी के मुकदमे या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर सकता है या सेशन्स जज।

(८) शिक्षा

अँगरेज़ी राज्य के पहले भारत में शिक्षा पाठशालाओं और मकतबों में होती थी। मौलवी और पण्डित विद्यार्थियों से अपनी फीस लेते और उन्हें पढ़ाते थे। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने बहुत काल तक शिक्षा की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। परन्तु जब वारेन हेस्टिंग्ज़ गवर्नर-जनरल हुआ तब उसने देशी विद्वानों की सहायता की। सन १७८१ ई० में उसने मुसलमानों की शिक्षा के लिए कलकत्ता-मदरसा खोला। इसके नौ वर्ष बाद, सन १७९१ ई० में हिन्दुओं के लिए बनारस में संस्कृत-कालेज खोला गया।

[illegible]

प्रारम्भिक शिक्षा छोटे स्कूलों में होती है। इनका प्रबन्ध डिस्ट्रिक्टबोर्ड अथवा म्युनिसिपलबोर्ड करते हैं। इनमें लिखना, पढ़ना और हिसाब-किताब सिखाया जाता है जो देहात के रहनेवालों के लिए लाभदायक हो। प्राइमरी स्कूलों में से निकल कर लड़के टाउन स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ हिन्दी और उर्दू मिडिल तक पढ़ाई जाती है। इन स्कूलों में इतिहास, भूगोल, पैमायश आदि विषय भी पढ़ाये जाते हैं।

हर एक जिले में अँगरेजी स्कूल होते हैं जो सेकण्डरी स्कूल कहलाते हैं। इनमें पढ़ाई अँगरेजी में होती है और इतिहास, भूगोल, भाषा, व्याकरण, अंकगणित, बीजगणित और विज्ञान आदि विषय पढ़ाये जाते हैं। इन स्कूलों में बहुत से हाईस्कूल होते हैं। हर एक जिले में एक गवर्नमेंट हाईस्कूल होता है। इसका खर्च सरकार देती है।

ऊँचे दर्जे की शिक्षा कालेजों में होती है। इनमें वे ही विद्यार्थी पढ़ सकते हैं जिन्होंने हाईस्कूल की अन्तिम परीक्षा पास कर ली हो। कालेजों में गणित, साहित्य, अर्थशास्त्र, इतिहास, विज्ञान आदि अनेक विषय पढ़ाये जाते हैं। जो अध्यापक इनमें पढ़ाते हैं वे बड़े विद्वान होते हैं और प्रोफ़ेसर कहलाते हैं। जो विद्यार्थी स्कूल से निकलकर कालेज में पढ़ते [illegible] और

[illegible]

सन् १९१७ ई० में इस शिक्षा की जाँच के लिए एक कमीशन बैठा था। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा कि शिक्षा का प्रबन्ध ऐसा होना चाहिए जिससे विद्यार्थियों की विचारशक्ति बढ़े और वे नई बातें निकाल सकें। इसी रिपोर्ट के अनुसार किसी-किसी प्रान्त में यूनिवर्सिटियों का संगठन फिर से किया गया है। नीचे के दो दर्जे कुछ कालेजों में से अलहदा कर दिये गये हैं और उनमें पढ़ाई केवल बी० ए० और एम० ए० क्लासों की होती है। कई हाई स्कूल इन्टरमीडियेट कालेज बना दिये गये हैं जहाँ एफ० ए० तक की पढ़ाई होती है।

गवर्नमेन्ट ने स्त्री-शिक्षा के प्रचार करने का भी उपाय किया है। स्कूल और कालेज खोल दिये गये हैं जहाँ लड़कियों को स्त्रियाँ ही पढ़ाती हैं। अध्यापिकाओं को तनख्वाह भी अच्छी दी जाती है और उन्हें अपनी उन्नति करने में शिक्षा-विभाग पूरी सहायता देता है। परन्तु भारतवर्ष के लोगों के सामाजिक रीति-रिवाज ऐसे हैं कि स्त्री-शिक्षा में अधिक उन्नति नहीं होती।

इन स्कूलों के अतिरिक्त और भी कितने ही प्रकार के मदर्से हैं। कुछ दस्तकारी के हैं जहाँ दर्जी, रँगरेज, मोची, बढ़ई, लुहार और जुलाहे का काम सिखाया जाता है। बड़े शहरों में आर्ट स्कूल भी खोल दिये गये हैं, जहाँ तसवीर बनाना, नक्काशी करना, सोने के बर्तन और खिलौने बनाना आदि सिखाया जाता है। व्यापारिक कालेजों में व्यापार-सम्बन्धी विषय पढ़ाये जाते हैं और इञ्जीनियरिङ्ग कालेजों में विद्यार्थी सरकार के महकमा-इमारत में काम करने के लिए तैयार किये जाते हैं। कृषि-कालेजों में कृषि-विद्या का ज्ञान कराया जाता है और मेडिकल कालेजों में रोगों की चिकित्सा और निदान सिखाये जाते हैं। ताल्लुकेदारों की शिक्षा के लिए अलग कालेज हैं जिनमें उन्हें पढ़ाने का तरीका निराला रक्खा गया है। [illegible] के लड़कों के पढ़ने के लिए भी मदर्से हैं जिनका खर्च सरकार देती है। इस तरह

जाते हैं। प्लेग की बीमारी एक प्रकार के कीड़े के द्वारा फैलती है। इन कीड़ों को चूहे एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाते हैं। इसलिए चूहों का विनाश करना इस रोग से बचने के लिए अत्यन्त हितकर है। मलेरिया के पैदा होने का कारण भी एक कीड़ा है जिसको फैलानेवाले मच्छड़ होते हैं। तभी तो अधिकतर वर्षा-ऋतु के बाद और विशेषतः दलदल, तराई और अन्य नम स्थानों में इसका अधिक प्रकोप होता है। हैज़े की बीमारी मक्खियों-द्वारा फैलती है। अतएव विशेषतः गन्दे और मैले कुचैले स्थानों ही में इस रोग का सब दौर-दौरा रहता है। शीतला से बचने के लिए केवल एक उपाय है जिसको चेचक का टीका कहते हैं।

इन सब रोगों को हटाने और उनसे लोगों को बचाने के लिए सरकार ने मेडिकल डिपार्टमेंट खोल रक्खा है। प्रत्येक बड़े शहर में एक सदर अस्पताल होता है, जिनमें विलायत के पास-शुदा डाक्टर रहते हैं, जिन्हें सिविल सर्जन कहते हैं। बड़े-बड़े कस्बों में भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अस्पताल होते हैं जिनमें हिन्दुस्तानी डाक्टर रोगियों की चिकित्सा करते हैं। सर्जरी (चीर-फाड़) का काम भी इन सब अस्पतालों में होता है। कठिन और असाध्य रोगों से ग्रसित रोगी सदर अस्पताल भेज दिये जाते हैं, जहाँ उनकी चिकित्सा के लिए अँगरेज़ और हिन्दुस्तानी डाक्टर और सेवा के लिए अँगरेज़ी दाइयाँ होती हैं। अधिकांश चिकित्सा इन अस्पतालों में मुफ्त होती है और ग़रीबों को दवा के अतिरिक्त भोजन और कपड़ा आदि भी मुफ़्त मिलता है।

इनके अतिरिक्त किसी-किसी सूबे में गश्ती अस्पताल भी हैं [illegible] डाक्टरों के अधीन होते हैं। वे ज़िले भर में दौरा करके [illegible] लोगों का मुफ़्त इलाज करते हैं। रेल, जेल, नहर और पुलिस के भी अस्पताल होते हैं जो अपने-अपने विभाग के कर्मचारि[illegible] [illegible] करते हैं। विशेष प्रकार के

कठिन-कठिन रोगों के इलाज के लिए विशेष चिकित्सालय हैं; जैसे, पागल कुत्ते के काटने, क्षयरोग और कोढ़ आदि के इलाज के लिए सुरम्य और स्वास्थ्यप्रद स्थानों में अस्पताल हैं। पागलों की चिकित्सा के लिए पागलखाने भी कहीं-कहीं पर खोल दिये गये हैं। यही नहीं, स्त्रियों के लिए अलग ज़नाने अस्पताल हैं। भारतवर्ष के भूत-पूर्व वाइसराय लार्ड डफरिन की पत्नी लेडी डफरिन ने भारतीय स्त्रियों का दुख दूर करने के लिए बहुत प्रयत्न किया था। अब प्रत्येक जिले में डफरिन हास्पिटल इस काम के लिए खुल गये हैं। पशुओं के इलाज के लिए भी मेडिकल डिपार्टमेंट का एक विभाग है। उसे वेटरिनरी अर्थात् पशु-चिकित्सा-विभाग कहते हैं।

इनके अतिरिक्त म्युनिसिपल्टियाँ और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अपने-अपने इलाकों में सफाई, रोशनी और साफ पानी का प्रबन्ध करते हैं, जिससे सर्वसाधारण के स्वास्थ्य की रक्षा होती है।

कहीं-कहीं पर अन्य सार्वजनिक संस्थाओं ने भी अपने अस्पताल खोल रक्खे हैं। उनमें ईसाईमिशनों, आर्यसमाज, रामकृष्णमिशन, जैनसमाजों और सेवासमितियों के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

हिन्दुस्तानियों को वैद्यक, चिकित्सा और सर्जरी की शिक्षा देने के लिए मेडिकल स्कूल और कालेज हैं, जिनमें पढ़कर प्रति वर्ष अनेक डाक्टर निकलते हैं।

(१०) अकाल

भारत कृषि-प्रधान देश है। यहाँ लगभग ७० प्रति सैकड़ा मनुष्य खेती से अपनी जीविका कमाते हैं। जब मेंह नहीं बरसता तब खेती नहीं हो सकती और देश में अकाल पड़ जाता है। देहात के रहनेवाले सब बेकार हो जाते हैं और भूखों मरने लगते हैं। प्राचीन समय में भी अकाल पड़ते थे। हिन्दुओं के

सुविधा होती है। बिना किसी रोक-टोक के जहाँ अकाल होता है वहाँ मदद पहुँचा दी जाती है। अकाल से प्रजा की रक्षा करने के लिए भारत-सरकार ने बहुत सी तरकीबें निकाली हैं जिनमें से कुछ नीचे लिखी जाती हैं।

पहली—प्रतिवर्ष सन १८७८ से सरकार डेढ़ करोड़ रुपया अलग रख लेती है जिससे यदि किसी प्रान्त में अकाल पड़े तो वह उसकी सहायता करे।

दूसरी—अकाल के समय "सहायक काम" खोले जाते हैं, जैसे नहर, सड़क, तालाब आदि का बनना। जो आदमी मज़बूत होते हैं वे इन पर काम में लगा दिये जाते हैं। वहाँ उन्हें मज़दूरी मिलती है जिससे उनका पेट-पालन होता है। मज़दूरी अधिक नहीं मिलती परन्तु इतनी अवश्य मिलती है जिससे खाने भर का काम चल जाता है। जो काम करने योग्य नहीं होते उन्हें बिना काम ही मजदूरी दी जाती है।

तीसरी—रेलें बनाई जाती हैं। आजकल भारत का कोई भाग ऐसा नहीं जिसमें रेलें न हों। यदि एक जगह अकाल होता है तो रेलों के द्वारा दूसरी जगह से शीघ्र अनाज आ जाता है और भूख से पीड़ित मनुष्यों का कष्ट दूर होता है। रेलों में बैठकर कुली और मजदूर लोग ऐसी जगहों में चले जाते हैं जहाँ उन्हें नौकरी मिल जाती है।

चौथी—सरकार ने खेती की उन्नति के लिए हर एक सूबे में "कृषिविभाग" (महकमा खेती) खोल दिया है। इसका काम ऐसे अफ़सर की सहायता से होता है जो कृषिविज्ञान को भी अच्छी तरह जानता है। वह नये तरीक़ों से खेती करना बतलाता है और किसानों को अपनी सलाह देता है।

पाँचवीं—सरकार ने जङ्गलों की रक्षा की है जिससे अकाल के समय जानवर उनमें चर सकें। जङ्गलों का महकमा अलग है। भारत में लगभग ड्ढ लाख वर्गमील के बाघ से जङ्गल ही जङ्गल

हैं। जङ्गलों से बहुत लाभ हैं। उनमें जानवर चर सकते हैं और मनुष्य भी कठिन समय उपस्थित होने पर कन्द, मूल और फल खाकर जीवित रह सकते हैं। जङ्गलों के हाकिम अलग होते हैं जो उनकी देख-भाल करते हैं।

छठी—किसी-किसी प्रान्त में सरकार ने यह नियम कर दिया है कि क़र्ज़ में महाजन किसी की ज़मीन न ले सकेंगे। यह क़ानून पञ्जाब में जारी है। यदि कोई अपनी ज़मीन बेचना चाहे या गिरवी रखना चाहे तो ऐसे मनुष्य के पास रख सकता है जो स्वयं खेती करता हो। इस क़ानून का अभिप्राय छोटे-छोटे ज़मींदारों को महाजन के चंगुल में से निकालना है।

सातवीं—अकाल के समय सरकार की ओर से किसानों को जानवर, बीज और चारा ख़रीदने के लिए तक़ावी दी जाती है। यह रुपया किसान लोग धीरे-धीरे सरकार को अदा कर देते हैं। तक़ावी से बड़ा लाभ होता है। जिन किसानों को कोई महाजन एक रुपया तक उधार नहीं देता उन्हें भी रुपया मिल जाता है और उनका काम चल जाता है। तक़ावी पर रुपया सैकड़ा का ब्याज लिया जाता है।

आठवीं—सरकार नहरें खुदवाती है जिनसे खेतों की आबपाशी अर्थात् सिंचाई हो। बहुत सी जगहों में पानी न बरसने पर भी नहरों से खेती हो जाती है और अकाल के कारण कुछ भी कष्ट नहीं होता।

नवीं—अकाल के समय सरकारी हाकिम देहात में दौरा करते हैं और खेती की हालत देखते हैं। जब पैदावार कुछ भी नहीं होती तब लगान और मालगुज़ारी दोनों माफ़ कर दिये जाते हैं। ज़मींदारों को भी उनकी गुज़र के लिए तक़ावी दी जाती है।

दसवीं—सरकार ने अकाल का एक ज़ाब्ता बना दिया है जिसमें अकाल के प्रबन्ध के सारे नियम लिखे हुए हैं और जिनके अनुसार अफ़सर लोग काम करते हैं।

ने सड़कें और नहरें बनवाई थीं, परन्तु उनके उत्तराधिकारियों ने उनकी रक्षा न की। जो कुछ व्यापार होता था, वह या तो नदियों में नावों के द्वारा, या पैदल या टट्टुओं और बैलगाड़ियों से होता था। अब सारे देश में रेलों का जाल बिछा हुआ है। उनके द्वारा व्यापार की बड़ी सुविधा है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक बड़ी आसानी से रेलों से लदकर माल-असबाब जा सकता है। यद्यपि भारतवर्ष में अच्छे बन्दरगाह बहुत कम हैं क्योंकि यहाँ का समुद्र-तट बहुत कम टूटा-फूटा और दन्दानेदार है। परन्तु बम्बई, कलकत्ता, मदरास, करांची, चटगाँव और रंगून संसार के बड़े बन्दरगाहों में हैं। यहाँ पर बड़े-बड़े जहाज़ आ-जा सकते हैं। वे यहाँ का माल बाहर ले जाते और विदेशों का माल यहाँ लाते हैं। तार की लाइनें सारे देश में बिछी हुई हैं। उनके द्वारा क्षण भर में व्यापारी दूर का हाल जान सकते हैं। अब बेतार के तार भी लग गये हैं। डाक-विभाग से भी व्यापारियों को बड़ा लाभ होता है।

भारत से बाहर जानेवाले माल दो प्रकार के होते हैं—एक तो कच्चा माल, दूसरे तैयार की हुई चीज़ें। जूट, कपास, अनाज, आटा, तेलहन, चाय, कहवा, चमड़ा, और लाख इत्यादि बाहर जानेवाली चीज़ों में से हैं। ग्रेटब्रिटेन, ब्रिटिशसाम्राज्य के अन्य देश, संयुक्त-प्रान्त (अमेरिका) और जापान आदि देशों को यह माल जाता है।

भारत में आनेवाले माल में अधिकांश तैयार किया हुआ माल होता है। सूती कपड़े, लोहा और फौलाद, मशीनें, शकर, रेलों का सामान, मट्टी का तेल और रसायन आदि पदार्थ ग्रेटब्रिटेन, संयुक्त-प्रान्त (अमेरिका), जापान, जावा, फ्रांस जर्मनी आदि देशों से आते हैं।

(१३) खेती

भारत कृषिप्रधान देश है। यहाँ के तीन-चौथाई आदमियों की जीविका खेती ही से है। यही कारण है कि यहाँ बड़े-बड़े नगरों की संख्या बहुत कम है। अधिकांश मनुष्य अपने अपने खेतों और बागों के पास गाँवों में बसते हैं। अमेरिका, इंगलैंड, फ्रांस आदि देशों में यह बात नहीं है। वहाँ बड़े-बड़े नगरों की संख्या अधिक है। अतएव हिन्दुस्तानियों के लिए खेती ही सर्वोपयोगी व्यवसाय है। इसी की उन्नति और रक्षा करना सरकार अपना कर्तव्य समझती है।

इस उद्देश की पूर्ति के लिए सरकार ने कृषि-विभाग खोल रक्खा है। सन् १९१९ के नवीन 'गवर्नमेंट आफ़ इण्डिया ऐक्ट' के अनुसार कृषि-विभाग भी, शिक्षा-विभाग की भाँति, प्रजा के निर्वाचित सदस्यों में से नियत किये हुए मंत्रियों के हाथ में है।

कृषि-विभाग की ओर से ऐसे ज्ञान और साहित्य का प्रचार किया जाता है जिससे किसानों को खेती-बारी में मदद मिले। प्राचीन समय से भारतीय किसान उन्हीं पुराने हलों और औज़ारों को काम में लाते रहे हैं। अमेरिका आदि अन्य देशों ने इस ओर बहुत उन्नति की है। उन्होंने बढ़िया-बढ़िया हल और मशीनें खेती के लिए बनाई हैं। उनके द्वारा कम समय में और अल्प व्यय पर अधिक उपज हो सकती है। विज्ञान की सहायता से भूमि को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए उन्होंने कई प्रकार का खाद तैयार किया है। फ़सल को रोग और कीड़ों से बचाये रखने के लिए भी उन्होंने अनेक उपाय निकाले हैं। अनाजों और पौधों की नस्ल में भी उन्होंने बहुत उन्नति की है। पशुओं के पालन और रक्षा में भी उन्होंने उन्नति की है।

अन्य देशों के अनुभव और खोज के आधार पर कृषि-विभाग भी खेती और पशुओं की उन्नति के लिए उद्योग करता है।

वे सब अँगरेज़ी सरकार के अधीन हैं और बहुत सी बातों में उसके आज्ञानुसार काम करती हैं। हर एक रियासत में एक अँगरेज़ रेज़िडेन्ट रहता है जिसके द्वारा उसका राजा भारत-सरकार से लिखा-पढ़ी करता है।

इन्हीं राज्यों के साथ भारत-सरकार का मित्रता का बर्ताव है। इनके अन्दरूनी शासन प्रबन्ध में पूरी स्वतन्त्रता है। वे स्कूल और कालेज खोल सकते हैं, सड़कें, नहर, अस्पताल और पुस्तकालय आदि बनवा सकते हैं और व्यापारिक उन्नति के लिए जो चाहें कर सकते हैं। वह अपने ढंग से अपनी प्रजा पर कर लगाते हैं, अपना सिक्का चलाते हैं और अपराधियों को फाँसी तक का दण्ड दे सकते हैं। सरकार शासन-प्रबन्ध में हस्तक्षेप नहीं करती। यही कारण है कि राजा-महाराजा सदा सुख और दुःख में सरकार का साथ देने को तैयार रहते हैं।

परन्तु बाहरी मामलों में सरकार को पूरा-पूरा अधिकार है। यदि कोई राजा प्रजा पर अत्याचार करता है अथवा शासन-प्रबन्ध ठीक नहीं करता और प्रजा दुःख पाने लगती है तो वह गद्दी से उतार दिया जाता है। कोई देशी राजा किसी विदेशीय राजा या गवर्नमेंट से न तो सन्धि या युद्ध कर सकता है और न किसी विदेशीय को बिना भारत सरकार की आज्ञा के अपने यहाँ नौकर रख सकता है। परन्तु यदि कोई [illegible]

अध्याय ४७

उपसंहार

शान्ति—समस्त भारतवर्ष अब ब्रिटिश-सरकार के अधीन है। गत ६० वर्ष में भारत की बहुत कुछ उन्नति हुई है। सारे देश में शान्ति स्थापित हो गई है। अब लुटेरों और डाकुओं का इतना डर नहीं है जितना पहले था। पहले देश पर विदेशी लोगों के आक्रमण हुआ करते थे जिनसे प्रजा को बड़ा कष्ट होता था। वे लोग धन लूटकर ले जाते और सहस्रों मनुष्यों को जान से मार डालते थे। परन्तु अब ऐसा नहीं होता। सारे देश में, हिमालय से लङ्का तक और आसाम से करांची तक, एक ही राज्य है।

देशी रियासतों को भी अब विदेशियों के आक्रमणों का डर नहीं है; क्योंकि ब्रिटिश-सरकार उनकी रक्षा के लिए सदा तैयार रहती है। मुसलमान बादशाहों के समय में सारे देश में कभी ऐसी शान्ति स्थापित नहीं हुई थी। उनके समय में कभी-कभी दो दिल्ली के पास के सूबों में ही उपद्रव हुआ करता था। औरङ्गज़ेब की मृत्यु के बाद मुग़ल-साम्राज्य शक्तिहीन हो गया और प्रान्तों के सूबेदार परस्पर लड़ने झगड़ने तथा स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने की चेष्टा करने लगे। मरहठों का उत्कर्ष होने पर देश में और भी अधिक अशान्ति फैल गई। पिण्डारियों के झुण्ड के झुण्ड देश भर में घूमते और लूट-मार करते थे। आजकल भारत के सब सूबे एक ही सरकार के अधीन हैं। वही उनका शासन-प्रबन्ध करती और उनकी रक्षा करती है। रेल और तार-द्वारा सरकार को सारे देश के समाचार मिलते रहते हैं। यदि कहीं उपद्रव होता है तो रेल-द्वारा शीघ्र सेना भेज दी जाती है। सरकार के पास स्थल-सेना के अतिरिक्त जहाज़ी बेड़ा भी है जो व्यापार की रक्षा करता है। हवाई जहाज़ भी रक्खे जाते हैं जिनसे युद्ध के समय काम लिया जाता है

एक सा क़ानून—अब देश भर में एक सा क़ानून है। धनी, निर्धनी, शिक्षित, अशिक्षित, हिन्दू मुसलमान और ईसाई सबके लिए क़ानून एक सा है। क़ानून के सामने सब लोग बराबर हैं, चाहे वे किसी जाति अथवा वर्ण के हों। यदि कोई बड़ी जाति का मनुष्य अपराध करे तो उसे वैसा ही दण्ड मिलता है जैसा छोटी जातिवाले को। फौजदारी का क़ानून एक पुस्तक में छाप दिया गया है जिसे भारत का "पीनल-कोड" अर्थात् ताज़ीरात हिन्द कहते हैं। इसमें हर एक अपराध की स्पष्ट व्याख्या की गई है और यह भी लिखा है कि किस अपराध के लिए कितना दण्ड दिया जायगा।

जायदाद और क़र्ज़ इत्यादि के झगड़ों का निपटारा करने के लिए दीवानी अदालतें हैं जिनमें एक ही 'ज़ाब्ता दीवानी' समस्त भारतवर्ष में प्रचलित है। हक़ और वरासत के मामलों में हिन्दुओं के धर्मशास्त्र और मुसलमानों की हदीस के नियमों पर पूरा ध्यान दिया जाता है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मनुष्य को इन्हीं क़ानूनों के अनुसार चलना पड़ता है और जो इनके विरुद्ध आचरण करता है उसे दण्ड दिया जाता है।

सामाजिक सुधार—भारतवर्ष में अनेक जातियों के मनुष्य रहते हैं जिनके धर्म और रीति-रिवाज एक दूसरे से भिन्न हैं। धर्म के विषय में अब सबको पूरी स्वतन्त्रता है। यदि कोई मनुष्य एक धर्म को छोड़कर दूसरा ग्रहण करना चाहे तो कर सकता है। उसे न कोई रोक सकता है और न सता सकता है।

ब्रिटिश-राज्य के स्थापित होने और शिक्षा का प्रचार होने के कारण भारतवर्ष के लोगों की सामाजिक दशा में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। पहले बहुत से लोग अपनी निर्दोष लड़कियों को पैदा होते ही मार डालते थे। इस अमानुषिक रीति का प्रचार काठियावाड़ और राजपूताना में अधिक था। अँगरेज़ी सरकार ने इसको बन्द कर दिया। पहले लोग [illegible] और दब-

ताओं को सन्तुष्ट करने के लिए कहीं-कहीं मनुष्य की बलि देते थे परन्तु अब कोई ऐसा नहीं कर सकता। सती की प्रथा भी प्रचलित थी। इसको रोकने का उपाय लार्ड बेंटिङ्क ने किया था अब कोई विधवा भी सती नहीं हो सकती और क़ानून बन दिया गया है कि जो कोई सती होने में सहायता करेगा उसे कठिन दण्ड दिया जायगा। दासता की प्रथा भी अब बन्द हो गई है। छोटी जातियों के लोगों को सामाजिक स्वतन्त्रता पहले की अपेक्षा अधिक मिल गई है। उनकी शिक्षा के लिए मदरसे खोल दिये गये हैं। जाति-पाँति का भेद भी अब कम हो गया है। छोटी जातियों के प्रतिनिधि अब कौंसिलों में बड़े बड़े शासकों के बराबर बैठते और सार्वजनिक विषयों पर अपनी सम्मति प्रकट करते हैं। यदि कोई छोटी जाति का मनुष्य शिक्षित और योग्य हो तो उसे सरकारी नौकरी भी मिल सकती है।
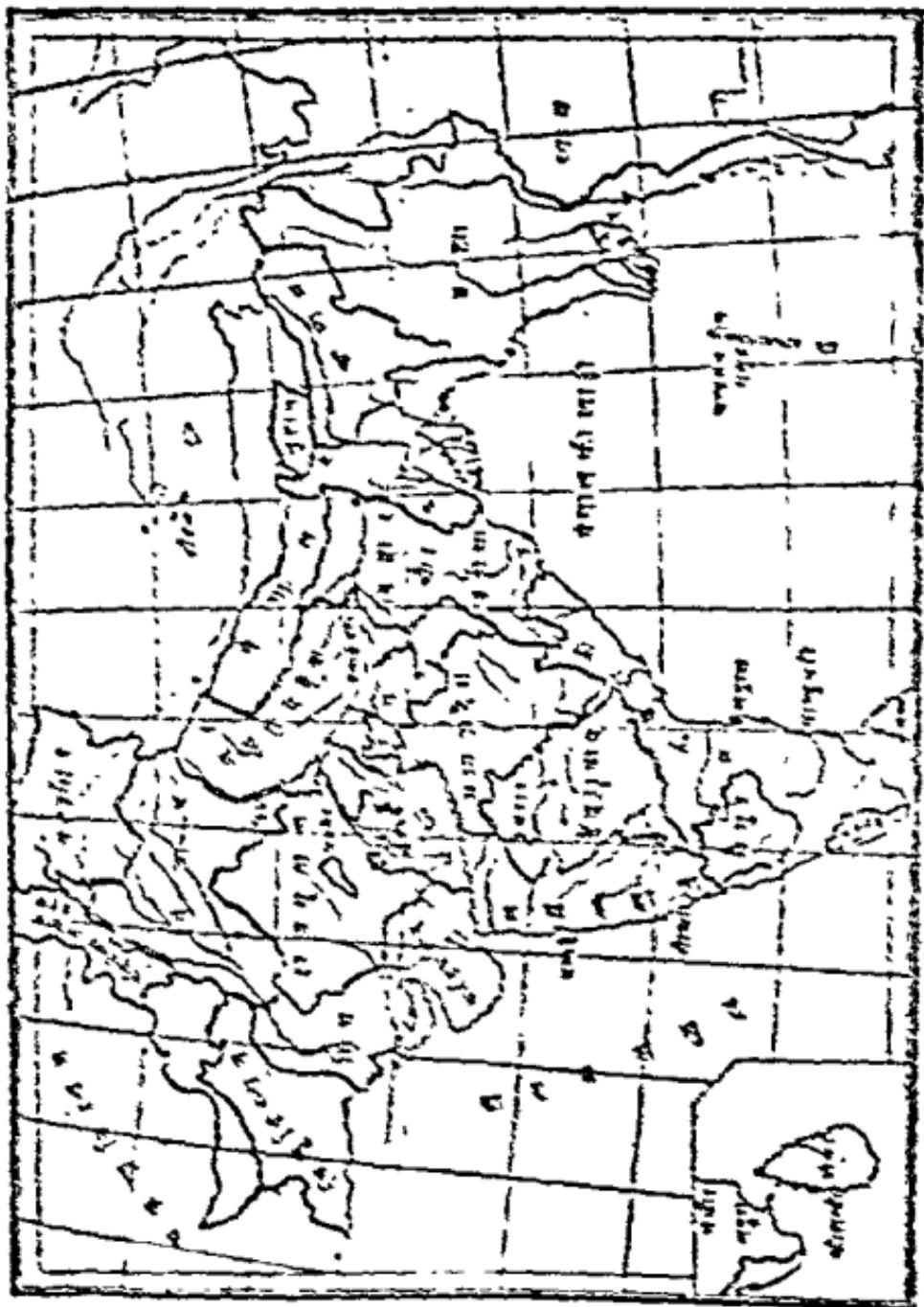
अँगरेज़ी राज्य के स्थापित होने से हमारे रहन-सहन में भी बड़ा परिवर्तन हो गया है, प्रत्येक मनुष्य को स्वतन्त्रता है कि वह चाहे जिस वेष में रहे। व्यवसाय का भी पूरी स्वतन्त्रता है। पहले मनुष्य वही कारबार करते थे जो उनके बाप दादा करते चले आते थे। इसी कारण बहुत से विलक्षण बुद्धि के मनुष्य समाज में उन्नति न कर पाते थे। परन्तु अब प्रत्येक मनुष्य को अधिकार है कि वह चाहे जो व्यवसाय करे। परिश्रम से कमाया हुआ धन छिपा रखने की किसी को आवश्यकता नहीं है। लोगों को अधिकार है कि वे अपने द्रव्य को चाहे जैसे ख़र्च करें।

एकता—अँगरेज़ी शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण फल यह हुआ है कि देश में एकता का भाव उत्पन्न हो गया है। पहले बंगाली, मद्रासी, पञ्जाबी, मराठा और राजपूत सब भारत को एक दूसरे से भिन्न समझते थे [illegible] और न एक दूसरे के साथ सहानुभूति प्रकट करते थे। अँगरेज़ी [illegible]

लोग आपस में अँगरेज़ी भाषा में बातचीत कर सकते हैं। वे समझने लगे हैं कि हम एक ही देश के निवासी हैं और मिल-जुलकर काम करने में ही हमारा कल्याण है। एकता के भाव को फैलाने में रेलों ने भी बड़ी सहायता की है। पहले एक प्रान्त के लोग दूसरे प्रान्त के लोगों से कभी मिलने भी नहीं पाते थे और न एक दूसरे के विषय में कुछ जानते थे। अब लोग सारे देश में भ्रमण करते और बिना किसी भेद-भाव के रेल में यात्रा करते हैं। देश में एक ही प्रकार की शासन प्रणाली होने के कारण बहुत सी बातों में लोगों के विचार एक से हो गये हैं। इससे भी एकता के भावों की वृद्धि हुई है।

रेल, तार और डाक—रेलों से यात्रा की बड़ी सुविधा हो गई है। सड़कों के बनाने का काम लार्ड डलहौज़ी के समय में आरम्भ हुआ था। उनने महकमा इमारत बनाया जिनका काम सरकारी इमारतों, नहरों और सड़कों का बनाना था। बहुत सी बड़ी-बड़ी सड़कें बनाई गईं और नदियों के पुल बाँधे गये। रेल और सड़कों के बनने से यात्रियों और व्यापारियों को बड़ा लाभ हुआ है। अकाल के समय एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में अनाज पहुँचाया जाता है। इस तरह भूखे मनुष्यों के प्राण बच जाते हैं। दूसरे देशों से जो माल हिन्दुस्तान में आता है उसे रेलगाड़ियाँ ही सारे देश में शीघ्रता के साथ पहुँचा देती हैं। यदि ऐसा न होता तो हमें बहुत सी आवश्यक चीज़ें समय पर न मिलतीं और बड़ी असुविधा होती।

डाक का [illegible] एक स्थान से [illegible]

नीति में अधिक औदार्य दिखलाने की आवश्यकता है। जब शिक्षा का यथेष्ट प्रचार हो जायगा तब इन उद्देश की पूर्ति में कठिनाई न होगी। ब्रिटिश-साम्राज्य के अन्तर्गत रहने में भारत की भलाई है और इसी में रहकर उसकी उन्नति हो सकती है। वर्तमान स्थिति में ऐसे बड़े और शक्तिशाली साम्राज्य का भाग होना भारत के लिए हितकर है क्योंकि उसकी सहायता से हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है।

भारत के गवर्नर-जनरल

	ईसवी
वारेन हेस्टिंग्ज़ ...	१७७४-८५
लार्ड कार्नवालिस	१७८६-९३
सर जान शोर ...	१७९३-९८
लार्ड वेलेज़्ली	१७९८-१८०५
सर जार्ज बार्लो ...	१८०५-०७
लार्ड मिण्टो ..	१८०७-१३
लार्ड हेस्टिंग्ज .	१८१३-२३
लार्ड एम्हर्स्ट ..	१८२३-२८
लार्ड बैंटिङ्क ..	१८२८-३५
सर चार्ल्स मेटकाफ़	१८३५-३६
लार्ड आकलैंड ...	१८३६-४२
लार्ड एलेनबरा ..	१८४२-४४
लार्ड हार्डिंञ ..	१८४४-४८
लार्ड डैलहौज़ी ...	१८४८-५६
लार्ड कैनिङ्ग ..	१८५६-५८

वाइसराय

	ईसवी
लार्ड कैनिङ्ग ...	१८५८-६२
लार्ड एल्गिन ...	१८६२-६३
लार्ड लारेंस ...	१८६४-६९
लार्ड मेयो ...	१८६९-७२
लार्ड नार्थब्रुक ..	१८७२-७६
लार्ड लिटन ...	१८७६-८०
लार्ड रिपन ..	१८८०-८४
लार्ड डफरिन ...	१८८४-८८
लार्ड लैन्सडौन ..	१८८८-९४
लार्ड एल्गिन (द्वितीय)	१८९४-९९
लार्ड कर्ज़न ...	१८९९-१९०५
लार्ड मिण्टो ...	१९०५-१०
लार्ड हार्डिंञ ..	१९१०-१६
लार्ड चेम्सफोर्ड ...	१९१६-२१
लार्ड रीडिङ्ग ...	१९२१-२६
लार्ड अरविन ...	१९२६—